खण्ड-235, अंक-1
सोमवार, 2 आश्विन, शक संवत् 1884
(24 सितम्बर, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 235 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–२९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन बने नियम (मेज पर रखे गये)	२९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	२९
पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	२९
महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे नियमावली अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	२९–३०
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ (विधान परिषद द्वारा पारित .. विधेयक मेज पर रखा गया) ..	३०
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) विधेयक, १९६२ (राज्यपाल महोदय .. की अनुमति की घोषणा)	३०
सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	३०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३१–३२
मंत्रि परिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में 'नेशनल हेरल्ड' अथवा प्रेस सम्वाददाता समिति, लखनऊ तथा मुख्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय (जारी)	३२–३३
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक और विश्वविद्यालय अनुदान समितियों तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट व उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा	३३
२० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३३–३४
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (जारी) ..	३४–४९
सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	५०
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (जारी) ..	५०–७५
मंत्रि परिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार-पत्रों में छपने के बारे में 'नेशनल हेरल्ड' अथवा प्रेस सम्वाददाता समिति, लखनऊ तथा मुख्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	७५–७७
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (जारी)	७७–७९
नत्थियां	८०–१०४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132639

सोमवार, २४ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६३

अखण्डप्रतापसिंह , श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव , श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त ,श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्भेश्वरीप्रसाद, श्री

डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवारिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह झिष्ट,
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास ,श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री

पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां ,श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री ,श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री

राजनाथ सिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल. श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगराय शास्त्री, नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उपमंत्री, श्री रामनारायण पांडेय, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सब-इंसपेक्टर पुलिस पयागपुर की गोली से ब्राह्मण की मृत्यु

**१—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच) तथा श्री दलजीतसिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ७ सितम्बर, १९६२ को ग्राम चन्दईपुर, थाना पयागपुर, जिला बहराइच में Sub-Inspector, पयागपुर ने उसी ग्राम के निवासी बिमाऊ ब्राह्मण पर अपनी पिस्तौल से कई फायर किये जिससे वह मर गया ? यदि हां, तो firing के क्या कारण थे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—थानेदार पयागपुर एक Robbery के मुकदमे की जांच के संबंध में चन्दईपुर मजरा ग्राम थवई गये थे । वहां जब वे अभियुक्त से पूछतांछ कर रहे थे, बिमाऊ ब्राह्मण ने उन पर भाले से आक्रमण कर घायल कर दिया । थानेदार को आत्म रक्षार्थ फायर करना पड़ा जिसके फलस्वरूप बिमाऊ ब्राह्मण को चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

मिर्जापुर जेल में कैदी की कथित हत्या

*१—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि दिनांक ३ अगस्त को जिला जेल मिर्जापुर में एक कैदी की मारे जाने पर ही हत्या हो गयी थी तथा आम जनता ने भी इस प्रश्न की ओर रास्ता रोक कर सरकारी अधिकारियों का ध्यान खींचा था ? यदि हां, तो जिम्मेवार व्यक्तियों के ऊपर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविंदसहाय)—जिला जेल, मिर्जापुर में न तो इस प्रकार की कोई घटना हुई और न जनता ने इस प्रकार की घटना की ओर सरकारी अधिकारियों का ध्यान ही आकर्षित किया था ।

बरेली नगरपालिका का क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में सुझाव

*२—श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका विचार ग्राम सालेह नगर व छावनी राजा साहब, तहसील बरेली को नगरपालिका बरेली में सम्मिलित करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो इन ग्रामों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के चुनावों की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई ?

स्वायत्त मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—जी नहीं । ग्राम सालेहनगर नवदिया का कुछ क्षेत्र पूर्व से ही नगरपालिका बरेली में सम्मिलित था । शेष क्षेत्र जो कि नगरपालिका के क्षेत्र से बाहर था, वह ग्राम महेशपुर अटरिया में सम्मिलित कर दिया गया और वहां पर प्रधान का निर्वाचन हो चुका है । छावनी राजा साहब कोई पृथक ग्राम नहीं है बल्कि उसका क्षेत्र ग्राम सालेहनगर नवदिया में ही सम्मिलित है ।

श्री मुहम्मद हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षेत्र नगरपालिका बरेली में सम्मिलित किया गया है वह कौन से वार्ड में सम्मिलित किया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मुहम्मद हुसैन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बरेली से इस सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार सरकार से हुआ है, यदि हुआ है तो वह क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगरपालिका बरेली ने एक सुझाव भेजा था । उस सम्बन्ध में जिलाधीश बरेली से बातचीत चल रही है और जब पूरा विवरण मिल जायगा तब उसके ऊपर शासन का निर्णय हो सकेगा ।

[२४ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद में वाटर टैक्स

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद नगर महापालिका की सीमा के अन्दर किन-किन मुहल्लों में Water Works द्वारा पानी दिया जाता है और उन मुहल्लों की संख्या क्या है ? उन मुहल्लों में जहां-जहां पालिका हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स लेती है वहां Water Works द्वारा पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है ? ऐसा क्यों हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—ऐसे मुहल्लों की संख्या २२४ है और उनके नाम संलग्न सूची में उल्लिखित हैं । जहां तक हाउस टैक्स लगाने का प्रश्न है इस टैक्स का पानी की सुविधा पहुंचाने से कोई सम्बन्ध नहीं है । वाटर टैक्स का इस सुविधा से

अवश्य सम्बन्ध है मगर यह केवल उन्हीं भूमि तथा भवनों पर लगाया जाता है जो महापालिका द्वारा लगाये गये पानी के सार्वजनिक बम्बों से ६०० फीट के अर्धव्यास (radius) के भीतर स्थित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८०-८१ पर)

नगरपालिका झांसी का बिना वापसी चुन्गी लगाने का प्रस्ताव

*२—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र दिनांक १६ अप्रैल, १९६२, प्रश्न संख्या १६ के संदर्भ में सरकार द्वारा झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष से बिला वापसी चुंगी की प्रथा से संबंधित प्रस्ताव अब तक क्यों नहीं मंगाया, क्यों वर्षों से यह कार्यवाही चल रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नगरपालिका, झांसी का बिला वापसी चुंगी लगाने का प्रस्ताव कमिश्नर, झांसी डिवीजन के माध्यम से सरकार को दिनांक २७ अगस्त, १९६२ को प्राप्त हो गया है। जैसा कि पहले सोमवार के लिये निर्धारित सदस्य महोदय के प्रश्न संख्या १६ के उत्तर में बताया जा चुका है कि मामला प्रायः सन् १९५६ से चल रहा है।

*३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र १६ अप्रैल, १९६२ के प्रश्न संख्या १६ के संदर्भ में क्या झांसी का समस्त व्यापार वर्तमान चुंगी प्रथा में नष्ट हो चुका है व भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें सरकार की जानकारी में हैं? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही जनहित में की जा रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—वर्तमान चुंगी प्रथा के कारण झांसी में समस्त व्यापार के नष्ट होने की शासन को कोई सूचना नहीं है। हां, इस आशय की शिकायत अवश्य प्राप्त हुई है। चुंगी चोरी के मामले में अध्यक्ष नगरपालिका, झांसी की अकर्मण्यता के बारे में कुछ शिकायतें शासन को अवश्य प्राप्त हुई थीं जिनपर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकारकी जानकारी में है कि बहुत से मुकदमें चुंगी चोरी से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में इस समय भी चल रहे हैं। इस प्रकार की चुंगी चोरी की घटनाओं को जो लाखों रुपये की होती हैं रोकने हेतु क्या सरकार शीघ्र बिला वापसी चुंगी की प्रथा झांसी नगरपालिका में लागू करने जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसका तो एक कायदा होता है। वह कायदा जब तक पूरा न हो तब तक सरकार अपने आप उसे लागू नहीं कर सकती है। वह कायदा अभी पूरा नहीं हुआ है। लिखापढ़ी चल रही है। वह पूरा हो जायगा तो लागू कर दी जायगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उनकी अकर्मण्यता के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आवश्यक कार्यवाही की गई है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे शिकायतें क्या थीं और उन पर क्या आवश्यक कार्यवाही की गई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, उनकी तो बड़ी लम्बी फेहरिस्त है। सारा समय उसी में निकल जायगा।

श्री अध्यक्ष—६०-६२ उनके खिलाफ अभियोग हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—खास-खास जो शिकायतें हों, वह सदन के सामने रख दी जायं।

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—आवश्यक कार्यवाही के सम्बन्ध में बता दिया जाय कि क्या कार्यवाही की गई?

श्री अध्यक्ष—देखिये, आप प्रश्नों को पढ़ लीजियेगा तो आपको मालूम हो जायगा कि बहुत सीमित प्रश्न हैं।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—यह प्रश्न १९५६ से चल रहा है ऐसा माननीय मन्त्री जी भी मानते हैं तो यह मामला कब तक चलेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हमारे पास उनकी वह दरख्वास्त कमिश्नर की मार्फत आनी चाहिये, वह नहीं आई थी। अभी २, ३ महीने हुए आई है। अब उस पर विचार हो रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि म्युनिसिपल ऐक्ट में यह साफ लिखा हुआ है कि किसी नगरपालिका का कर्तव्य पालन अगर खराब रहा है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये। जब कि ऐक्ट के अन्दर ऐसी धारा है तो इस दृष्टि से नगरपालिका के अध्यक्ष ने सैकड़ों अपराध किये हैं जो सरकार को विदित हैं तो क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही मन्त्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न चुंगी से सम्बन्धित है। उन्होंने कह दिया कि ऐसी सूचना नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—उन्होंने उत्तर में यह कहा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो भी शिकायतें आई हैं उनके ऊपर जो भी कार्यवाही उचित थीं वे सब की जा रही हैं। किसी जगह भी देर नहीं की गई। ये शिकायतें रहीं। उन शिकायतों की जब तक पूरी जांच न हो जाय और सरकार यहां से आदेश न दे दे कि इनको हटाकर यह कर दो तब तक यह नहीं हो सकता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—यह मानते हुए कि इस सदन में झांसी नगरपालिका के संबंध में अनेक प्रकार की शिकायतें आई हैं और वहां की बहुत गम्भीर समस्या है, क्या सरकार उन समस्याओं को हल करने के लिये खास तरीके की जांच करने के लिये कोई आयोग बैठाने का विचार करेगी ताकि ये समस्यायें हल हों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वहां पर खास तरीके की भी जांच कराई गई। सी० आई०डी० के द्वारा भी जांच कराई गई और जो भी सरकार कर सकती थी वह सब सरकार ने वास्तव में किया। उस सम्बन्ध में दिक्कत यह है कि २, ४ मामलों में शिकायत होती तो ऐक्शन लिया जा सकता था। शिकायतें हैं बहुत, कुछ में वे दोषी लगते हैं या उन्हीं को लेकर श्री उदैनिया ने एक मानहानि का दावा दायर कर दिया है। वह सब-जुडिस हो गया। सरकार यह नहीं चाहती है कि उसमें सरकार प्रिसिपिटेट करे। बाकी जो मामले थे उन सब में कार्यवाही की जा रही है। आखिर में हमने अपने विभाग को कह दिया है कि शिकायतों का जो यह जंगल इकट्ठा हो गया है उसमें जो शिकायतें ठहर सकती हैं उनको छांट लिया जाय और उन पर ऐक्शन ले लिया जाय। शिकायत करने वाले ऐसे गलतफहमी फैला देते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट भी उसमें खो जाता है। अगर थोड़ी बहुत शिकायतें होतीं तो ऐक्शन लेकर अब तक उनको खत्म कर दिया गया होता।

जेलों में फिनायल के ड्रमों का विक्रय तथा जेल ट्रेनिंग स्कूल की जमीन का किराया

*४—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० जेल में कितने खाली फिनाइल के ड्रम १९५५ से आज तक सर्विसेबिल तथा अन्न सर्विसेबिल पृथक-पृथक कितनी तादाद में प्रतिवर्ष बेचे गये ? उनकी पृथक-पृथक प्रत्येक ड्रम की बेचने की क्या कीमत थी ? किन-किन फर्मों को बेचे गये ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८२ पर)

*५—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० के जेलों में ड्रमों के खरीदने के लिये सन् ६२ में किसी फर्म ने tender दिया था कि वह १३ रु० प्रति ड्रम खरीदेगी मगर उस फर्म को न देकर ६ रु० २५ नय पैसे वाली फर्म को क्यों दिये गये?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं।

*६—श्री हिम्मतसिंह—क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल ट्रेनिंग स्कूल में कुछ जमीन किराये पर उठा रखी है? यदि हां, तो जेल कोआपरेटिव सोसाइटी क्या किराया देती है और जेल कोआपरेटिव सोसाइटी को किरायेदार कितना रुपया किराये का देता है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां। जेल कोआपरेटिव सोसाइटी ६० रु० प्रतिवर्ष देती है और उसको किरायेदार से ४० रु० प्रतिमास किराया मिलता है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जेल के उच्च अधिकारियों ने सर्कुलर निकाला था कि ६ रुपये २५ नये पैसे पर ड्रम बेचा जाय?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इसके लिये कोई सर्कुलर नहीं था लेकिन बेचा जरूर इसी कीमत पर गया।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में १७ ड्रम केवल १५ रुपये को बेचे गये। उनमें किने सर्विसेबिल थे और कितने अन-सर्विसेबिल?

श्री धर्मदत्त वैद्य—माननीय सदस्य को सूची भेजी जा चुकी है। इन १७ ड्रमों में कोई भी सर्विसेबिल नहीं था।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस के किसी एक व्यापारी ने १३ रुपये का टेण्डर दिया था जिस पर वे ड्रम नहीं बेचे गये?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, वाराणसी की एक फर्म ने केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के अध्यक्ष को १३ रुपये प्रति ड्रम के हिसाब से टेण्डर लिख कर भेजा था, किन्तु जिस प्रकार के ड्रम वह चाहते थे वह सर्विसेबिल ड्रम होते और उन पर ढक्कन होना चाहिये था। एस ड्रम वहां अवेलेबिल नहीं थे और इसलिये उनके हाथ ड्रम बेचने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटी ने यह दूकान कब से किराये पर उठा रखी है और वह ४० रुपये कब से किराया दे रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जेल ने यह भूमि जेल कोआपरेटिव सोसाइटी को लीज पर दे रखी है और ६० रुपया प्रति वर्ष वह किराया देती है।

श्री हिम्मत सिंह—यह उसने किराये पर कब से उठा रखी है, और किरायेदार का का नाम क्या है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यह जमीन लीज पर १९५६ में उस सोसाइटी को दी गई थी। सोसाइटी ने किसी दूसरे व्यक्ति के साझे में एक चक्की लगायी जो कामयाब नहीं हो सकी। घाटे के कारण सोसाइटी ने उसी आदमी को अपना हिस्सा बेच दिया। इस प्रकार से यह सोसाइटी के पास लीज में है। सरकार यह विचार कर रही है कि अब उसका किराया बढ़ाया जाय या उसे वापस लिया जाय। लीज की जो शर्तें हैं, वह मेरे पास हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ दूं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो किरायेदार हैं वह जेल विभाग के एक उच्च अधिकारी हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जेल ने तो कोआपरेटिव सोसाइटी को लीज लिखी है। किरायेदार से उसका कोई वास्ता नहीं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो जमीन लीज पर सोसाइटी को दी गयी उसमें कोई ऐसी शर्त भी थी कि जिससे सोसाइटी सबलेट कर सकती हो ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी नहीं ।

श्री मैनेजरसिंह—इस बात को देखते हुए कि बिना शर्त के सोसाइटी ने उस जमीन को शिकमी पर उठा दिया, क्या सरकार अविलम्ब उस जमीन को सोसाइटी से वापस लेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि लीज कितने साल के लिये दी गयी है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—यह जो सोसाइटी को लीज दी गयी है वह एक वर्ष के लिये लिखी जाती है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण करना होता है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि उस किरायेदार का नाम क्या है और प्रारम्भ में उसका किराया क्या था और अब क्या है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—किरायेदार से तो हमारा सम्बन्ध नहीं, हमारा सम्बन्ध कोआपरेटिव सोसाइटी से है। उसके नाम का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी में लक्ष्मी ताल से जलमुखी निकालने की प्रार्थना

*७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के समय का ऐतिहासिक तालाब जो लक्ष्मी ताल के नाम से है उसमें कई वर्षों से जलमुखी पूरे तालाब में फैल चुकी है जिसके कारण कई लोगों की जान सन् १९६० से ६२ के बीच गई व जनता को जलमुखी के कारण महान कष्ट हो रहा है ? यदि यह सत्य है तो सरकार द्वारा जलमुखी तालाब से निकलवाने का जनता के हित में क्या प्रबंध किया किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—लक्ष्मी ताल में जलमुखी जरूर फैल गई थी परन्तु ऐसा नहीं हुआ कि जलमुखी की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई। केवल एक व्यक्ति डूब कर मर गया था। मगर यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी मृत्यु जलमुखी के कारण ही हुई। जलमुखी को तालाब से ट्रैक्टर द्वारा जिला नियोजन समिति ने १,७९५ रुपये खर्च करके निकलवाया और नगरपालिका ने भी १,००० रुपया इसको निकलवाने के लिये अपने बजट में रक्खा है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि उस तालाब से जलमुखी ३–४ साल से नहीं निकाली गयी और एक-एक इंच पानी में जलमुखी है जिसमें फाईलेरिया आदि के कीड़े होते हैं, उसे तालाब से निकालवाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है कि एक हजार रुपया नगरमहापालिका झांसी ने इसमें खर्च करने के लिये निश्चित किया है।

*८—श्री कल्याण चन्द मोहिले (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया ।]

दिल्ली मास्टर प्लान

*९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिल्ली के विस्तार के लिये जो वृहत् मास्टर प्लान बनाया गया है उसमें उत्तर प्रदेश की कितनी जमीन और कौन-कौन नगर तथा गांव, उसमें जा रहे हैं ? क्या यह मास्टर प्लान प्रदेश सरकार की राय से तैयार किया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं ।

*१०—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि जो जमीन मास्टर प्लान में एक्वायर होगी उसकी मुआवजे की भी कोई शर्त तय हुई है या नहीं ?

श्रीमता तारा अग्रवाल—जी नहीं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में दिल्ली के टाउन प्लानर्स का एक बयान निकला था कि सिकन्दराबाद तहसील का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कि गाजियाबाद का लोनी परगना, यह सब उनके प्लान में आ गये हैं । उनका यह कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी से यह प्लान बनाया है तो क्या यह उनका कथन सत्य है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसमें थोड़ी सी समझने में भूल हो रही है । यह मैं मानता हूं कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है, उसमें दिल्ली की अथारिटीज से हम लोगों ने कन्सलटेशन किया था । इसी तरह से पंजाब वाले भी पूछते हैं । उनसे यह बातचीत होती है कि आप दिल्ली में कितना खपा लेंगे और कितना हम लोगों को प्रबंध करना होगा । इस तरह से हम लोग उनके अनुभव से भी लाभ उठाते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस पर काम किया है । लेकिन उसको दिल्ली का मास्टर प्लान न कहकर उसको गाजियाबाद का मास्टर प्लान कहा जाता है । दूसरी बात मैं और इस सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी हिस्सा तब तक नहीं जा सकता जब तक हम उसको कन्सेन्ट न दे दें, हाउस उसको कन्सेन्ट न दे दे या पार्लियामेंट उसको पास न करे । ऐसा अभी नहीं हुआ है । यह हो सकता है कि आफिस की गलती से यह सब झगड़े खड़े हो गये हैं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि गाजियाबाद के बहुत से किसान हजारों की संख्या में प्रधान मंत्री के यहां गये थे और उन्होंने मुआवजा मांगा था ? माननीय मंत्री जी को दिल्ली के प्लान में गाजियाबाद और सिकन्दराबाद का जो लोनी परगना है उसको देने में क्या आपत्ति है, जब कि प्रधान मंत्री खुद चाहते हैं कि दिल्ली का प्लान बन जाय ?

श्री अध्यक्ष—इसका प्रश्न कैसे उठता है । हमारे प्रदेश का कोई भाग तब तक कैसे दिया जा सकता है जब तक कि इस सदन की उस पर मंजूरी नहीं होगी । और फिर पार्लियामेंट उसको पास करेगा, तब वह जायेगा । अगर आप उचित समझें तो इसको संकल्प के रूप में ला सकते हैं ।

श्री ऊदल—इसमें दिक्कत यह है कि जो दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया गया है, उसमें मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद का बहुत हिस्सा उसमें आ गया है । उनका कथन है कि हम अपना एक प्लान बना रहे हैं । मेरा यह कहना है कि अगर दिल्ली के उस मास्टर प्लान में यह सब इलाका आ रहा है और प्रधान मंत्री भी चाहते हैं कि दिल्ली का विस्तार हो जाय तो क्या आपत्ति है मंत्री जी को या सरकार को इस इलाके को देने में ? कृपया इस बात का स्पष्टीकरण करें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मान्यवर, दिल्ली के मास्टर प्लान की जो जरूरतें हैं उनको इस भाग को उत्तर प्रदेश का भाग रखते हुये भी पूरा किया जा सकता है । इसलिये इसके ट्रांसफर करने का सवाल नहीं उठता है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया उस भाग के विस्तार पर खर्च होगा उसको वे सेंट्रल गवर्नमेन्ट से लेने की कोशिश करगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसमें श्री ऊदल की राय व सहायता की आवश्यकता नहीं होगी । गवर्नमेन्ट ऐसा खुद करती रही है और आगे भी करती रहेगी ।

करहल विकास खंड से श्री गिरजाशंकर का स्थानान्तरण करने का सुझाव

*११—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के करहल विकास खंड में पी०आर०डी० के संगठनकर्ता श्री गिरजा शंकर लगभग ७ वर्ष से वहीं काम कर रहे हैं ? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण करने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हाँ । परन्तु इस समय श्री गिरजा शंकर के स्थानान्तरण का कोई विचार नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुये कि एक जगह पर एक कर्मचारी ३ वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता, उन को १३ वर्ष से ज्यादा वहाँ रखने का क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—पी० आर० डी० के जो आर्गेनाइजर हैं उनको वेतन कम मिलता है और इस प्रकार के आदेश हैं कि जो जिले के लोग हैं उनके लिये इस बात का प्रयास किया जाय कि वह उसी जिले में रखे जायं । यदि कोई शिकायत हो तो माननीय सदस्य लिख कर दें, उसपर जरूर विचार किया जायगा और अगर कोई शिकायत नहीं है तो बिला कारण उनको हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सहदेवसिंह—मैं इसकी जाँच करके बता रहा हूं कि उक्त संगठनकर्ता के विरुद्ध १-८-६२ को ग्राम-पंचायतों के सभापति और जिला परिषद् के सदस्यों ने दरख्वास्त दी और मंत्री जी को भी उसकी प्रति भेजी थी, क्या वह उनको मिली और क्या यह सही है कि वहाँ के समाचार-पत्रों में भी इस प्रकार छपा है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इस समय तो मेरे पास कोई शिकायती पत्र नहीं है यदि आया होगा तो और पता लगाऊंगा और माननीय सदस्य की जानकारी में कोई शिकायत हो तो भिजवा दें ।

श्री सहदेवसिंह—क्या इस बात को सूचना मानकर कि वह पड़ोस के इटावा जिले के रहने वाले हैं और वहाँ उनकी बहुत सी रिश्तेदारियाँ हैं जिसके कारण वह पार्टीबन्दी में पड़े हुये हैं, इस पर विचार करके उनका तबादला करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि शिकायतें भिजवा दें तो हम कार्यवाही करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये अधिकारी महोदय ऐसी क्या विशेष सेवा कर रहे थे जिससे उनको वहाँ ही रखा गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—मैंने अभी कहा कि इस शासन के ऐसे आदेश हैं कि जो पी०आर० डी० के आर्गेनाइजर हैं उनको वेतन बहुत नहीं मिलता है और रचनात्मक कार्यों में उनका योगदान होता है इसलिये जब तक विशेष शिकायत न हो तब तक वह जिले में रहें और अगर शिकायत हो तो जरूर शासन विचार करेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि इस कैटेगरी के सारे प्रदेश में जो छोटे-छोटे अधिकारी हैं, ग्राम सेवक हैं उनको भी अपने जिले में रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—इसका अलग से प्रश्न कर लीजियेगा ।

बलिया जिले से अवैध निर्यात

*१२—**श्री बिपिनबिहारी तिवारी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले से चोर बाजारी द्वारा बहुत सा गल्ला तथा सीमेंट नित्य बिहार राज्य में भेज दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उसकी रोकथाम तथा अपराधियों को दंड देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रसद उप-मं ्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—ऐसी सूचना मिली है कि ग़ल्ला तथा सीमट बलिया जिले द्वारा बिहार को भेज दिया जाता है। इस अवैध निर्यात को रोकने के लिये समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितने हजार मन गल्ला और कितनी सौ सीमेंट की बोरियाँ बिहार को भेजी जा चुकी ह ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—अध्यक्ष महोदय, इसके विषय में "आज" अखबार में यह समाचार छपा। उसकी इंक्वायरी करायी गयी, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और न पता चला है कि कौन ले जाता है। संभव हो सकता है कि चावल के मूवमेन्ट तो बन्द हैं, मुमकिन है कि बाकी अनाज पर प्रतिबंध नहीं है तो कोई और चीज ले जाते रहे हों। मगर इसके लिये समुचित प्रबंध कर दिया गया है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—जो गल्ला चोरी से जाता था मेरे पास उसके चित्र उपलब्ध हैं, उनके फोटो लिये गये हैं और ट्रकों और बैलगाड़ियों के द्वारा यह गल्ला.....

श्री अध्यक्ष—मन्त्री जी कह रहे हैं कि पकड़ा नहीं है किसी को, आगे कोई अगर इंफार्मेशन हो आपके पास, तो उसे आप भेज दें।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह अवैध निर्यात हो रहा है, तो उसक मुख्य द्वार कौन-कौन से हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने अर्ज किया कि समाचार अखबारों में छपा था, उस पर हमने यह जानने की कोशिश की कि यह कहां तक सही है, अभी कोई पकड़ा नहीं गया है। उसके लिये चौकी आदि खोली जा रही हैं और आवश्यक इन्तजाम किया जा रहा है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि २९-७-६२ को भारतीय जनसंघ, रसड़ा के सहायक मन्त्री श्री वर्मा ने उनको एक पत्र द्वारा यह सूचना दी थी कि इस प्रकार का अवैध निर्यात रसड़ा, जो बलिया का केन्द्र है, वहां से हो रहा है और वहां पर पुलिस के अधिकारी, सप्लाई इंसपेक्टर, मार्केटिंग आफिसर आदि सभी लोग उस व्यापार में सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला मैजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी गयी। उसमें ऐसी कोई चीज का वर्णन नहीं है। अगर माननीय सदस्य डिटेल्स लिख कर देंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि २९-७-६२ का वह पत्र उनको मिला या नहीं ? अगर मिला तो क्या जांच कराई गयी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगायी है।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कोटा बलिया जिले के लिय था वह करीब एक चौथाई के ही वहां पहुंचा था जिसके कारण वहां पर सीमेंट की कमी है और १४-१५ रुपये बोरी सीमेंट वहां पर बिक रहा है जब कि उसके पड़ोसी प्रदेश बिहार में वह ८-९ रुपये बोरी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बलिया से यह ५ मील का एरिया बार्डर एरिया था। हम से बलिया वालों ने और देवरिया वालों ने यह रिप्रेजेंट किया कि वहां पर ५ मील के बार्डर पर जो हेडक्वार्टर आता है उससे आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। हमने उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया जिससे आने-जाने में यह दिक्कत न हो। अब अगर यह आरोप है और शिकायत है कि उससे ब्लैक होता है, तो हम फिर उसको सील कर देंगे।

श्री मैनेजरसिंह—मेरा प्रश्न ही दूसरा था। मेरा बार्डर आदि का सवाल नहीं था। मेरा तो सवाल यह था कि जो कोटा वहां कम सप्लाई हुआ और जिसके कारण वहां पर सीमेंट, कमी होने के कारण, १४-१५ रुपये बोरी बिक रहा है और उसी के पड़ोस में छपरा में ८-९ रुपये बिक रहा है, तो क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि छपरा से सीमेंट आकर वहां ब्लैक में बिक रहा है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे सूचना नहीं है, लेकिन आपकी सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि छपरा से सीमेंट आना चाहिये, अगर वहां तेज है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी मेरी इस सूचना के आधार पर, जिसे मैं दे रहा हूं, जांच करायेंगे कि २५-७-६२ को एक ट्रक जिसका नम्बर यू० पी० एल० ३१४५ है जिसमें चावल रसड़ा से बिहार को भेजा गया.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने डिटेल्स आपसे मांगी हैं। अच्छा हो अगर आप उनको यह सब लिख कर भेज दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जब माननीय मन्त्री जी को यह सूचना मिली कि गल्ला बिहार को भेजा जाता है तो उस पर उन्होंने क्या कार्यवाही की? उसकी रोकथाम के लिये क्या प्रबन्ध किया?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि जो सूचना मिली वह समाचार-पत्र द्वारा मिली और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से उसकी जांच करायी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसकी रिपोर्ट दे दी।

वाराणसी महापालिका का अनुदान रोकना

*१३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी महापालिका की एक लाख रुपये की ग्रांट सरकार ने रोक दी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उस अनुदान की सही धनराशि जिसका उल्लेख प्रश्न में है १,०९,५०० रुपये है। यह सत्य है कि वर्ष १९६१-६२ का अनुदान देते समय नगर महापालिका वाराणसी को यह सूचित किया गया है कि उक्त अनुदान १९६२-६३ से बन्द कर दिया जायगा। इसे बन्द करने का कारण यह है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाराणसी, जिसे अनुदान दिया जाता था, वह अब कोई पृथक संस्था नहीं है।

*१४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—[१३वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१५—श्री नाथूराम शिक्षक—[१८ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न ८३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

इटावा में टर्मिनल टैक्स की चोरी के मुकदमे

*१६—श्री सहदेवसिंह—क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगरपालिका इटावा ने जून, १९६१ में नगर में रेल द्वारा आयात या निर्यात हुये माल पर टरमिनल टैक्स की चोरी के सिलसिले में एक जांच कराई थी? यदि हां, तो क्या इस सिलसिले में कोई मुकदमा उन अभियुक्तों पर चलाया जा रहा है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां। मुकदमा चलाया जा रहा है।

*१७—**श्री सहदेवसिंह**—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि अगस्त, १९६० के आगे की बिल्टियां जिलाधीश द्वारा मुहरबन्द करा दी थीं? यदि हां, तो क्या उनकी जांच सहायक परीक्षक स्थानीय लेखा निधि उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई है? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां। सहायक परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि किन अभियुक्तों पर किन-किन धाराओं में मुकदमें चल रहे हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—श्रीराम को छोड़कर निवाजी, जंगबहादुर और मिसरीलाल पर ४०९ की चार्ज शीट लगाकर मुकदमा चल रहा है।

श्री सहदेवसिंह—लगभग १ वर्ष हो गया उन बिल्टियों को सीलबन्द किये हुये, और अगर जांच नहीं हुई तो उसे कराने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—१७ अगस्त को जिलाधीश ने परीक्षक द्वारा विशेष आडिट की अनुमति के लिये लिखा। १५ सितम्बर को यह शासन के पास आया है और शासन इस पर विचार करके शीघ्र आदेश देने वाला है।

कमलानगर कालोनी, कानपुर के क्वार्टर्स

*१८—**श्री संतसिंह यूसुफ** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमलानगर कालोनी कानपुर की कुछ जमीन जे० के० उद्योग संचालकों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से यह आश्वासन दे कर ली थी कि वह इस जमीन पर अच्छे मकान उचित सुविधाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान, बिजली तथा पानी के नल आदि के साथ बनायेंगे? यदि हां, तो अब तक इस भूमि पर कितने मकान बने और आश्वासन किस हद तक पूरे हुए?

श्रीमती तारा अग्रवाल—पहला भाग —जी हां।

दूसरा भाग—मेसर्स जुग्गीलाल कमलापति ने १५६ क्वाटर्स दो मंजिले ६ ब्लाकों में बनवाये हैं। प्रत्येक क्वार्टर में दो कमरे, एक स्टोर, एक रसोई तथा एक कदमचेदार शौचालय है। इसके अतिरिक्त ८ दुकानों का एक ब्लाक बनवाया है जिसके ऊपर ७ क्वाटर्स बने हैं जिनमें स्नानागार, और वाटर क्लोजेट की भी व्यवस्था है पानी के लिये मैदान में सार्वजनिक व्यवस्था है किन्तु अभी बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। नगर महापालिका, कानपुर इस संबंध में कमलानगर कालोनी के प्रबन्धकों से इसकी व्याख्या करवाने के लिये उचित कार्यवाही कर रही है।

*१९—**श्री सन्तसिंह यूसुफ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जे० के० उद्योग संचालकों ने कितनी भूमि और किस दर पर ली थी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस संबंध में जे० के० उद्योग संचालकों को कुल ७९.१७ एकड़ भूमि १,००० रु० प्रति एकड़ की दर से दी गयी थी जिसमें से ८.७२ एकड़ भूमि उनसे उसी दर पर वापस ले ली गयी थी।

*२०—**श्री संतसिंह यूसुफ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर नगर महापालिका के मुख्य नगराधिकारी को उपरोक्त भूमि पर बने हुये क्वार्टरों की असुविधा के संबंध में गत जून से लेकर अब तक कुछ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस संबंध में और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती तारा अग्रवाल—पहला भाग—पत्रों के सम्बन्ध में बताना कठिन है। महापालिका द्वारा कमला नगर कालोनी के सुधार के संबंध में लिखा-पढ़ी चल रही है।

दूसरा भाग—उनको निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिये नगर महापालिका कानपुर द्वारा नोटिस दी गई है कि वे यह कार्य ३० दिन के भीतर पूरा करें।

१—टट्टियों को सीवर से मिलाना।
२—पानी की उचित व्यवस्था करना।
३—रोशनी का प्रबन्ध करना।
४—ड्रेनेज की ठीक व्यवस्था करना।
५—मेहतरों तथा भिश्ती का प्रबन्ध करना।

मुझे खेद है कि सोमवार के दिन जो हमारे विभाग से उत्तर दिया गया था उसमें क्वार्टर संख्या १६३ दे दी गई थी। चूंकि इसमें ब्लाक की दूकानों के ऊपर ७ क्वार्टर बनाये गये, इसलिये उन्हें शामिल करके १६३ हैं, वैसे आज के उत्तर में १५६ हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—सरकार ने यह जमीन कुछ शर्तों के साथ सस्ती दी थी कि पानी, बिजली, पाठशाला आदि वहां होंगे, इस वर्कर्स कालोनी में। तो क्या मंत्री जी खुद इस मामले में दिलचस्पी लेकर उन शर्तों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने बहुत पहले यूसुफ साहब से निवेदन किया था कि वह अपनी शिकायतें मुझे लिखकर दे दें तो मैं नगरमहापालिका की तवज्जह उधर ड्रा कर दूं। मेरा जितना भी प्रभाव है मैं उनकी सेवा में अर्पित करने के लिये तैयार हूं। यह चीज नगर-महापालिका के करने की है और जितना जोर वह यहां लगा रहे हैं अगर उससे कुछ कम भी वहां लगावें तो काम हो सकता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—कारपोरेशन पद्मपत सिंहानिया का ट्रस्ट है, वह उसके खिलाफ क्या करेगा? मंत्री जी बात करें तो कुछ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—उनकी सेवायें तो आपको समर्पित हैं ही।

***२१-२२—श्री शुगन चन्द्र मजदूर**—[हटा दिये गये]

***२३-२५—श्री मदनपाल सिंह (जिला हमीरपुर)**—[१३ वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

नलकूपों से लगे पाइपों की हालत

***२६—श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश में ट्यूबवेलों से गांवों के बाजारों में जानवरों तथा मनुष्यों को पानी पीने के लिये जो टंकी बनाकर पाइप जमीन में डालकर नल लगाये गये थे उनमें से ९० फीसदी नल टूट गये हैं? यदि हां, तो कितनी तथा कितने कीमतों की पाइप लगाये गये थे? क्या उन पाइपों को, जो जमीन के अन्दर सड़ रहे हैं, उसे सरकार निकलवाने पर विचार कर रही है या उन नलों को मरम्मत कर चालू करने पर विचार कर रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नलों (pipes) के टूटने की तो कोई सूचना नहीं है, परन्तु जो नल प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाये गये थे उनमें से कुछ की टोटियां खराब हो गई थीं।

बाकी प्रश्न के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन ब्लाकों में सरकार ने जांच कराके एसा उत्तर दिया है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—नोटिस चाहिये।

श्री ऊदल—क्या एकाध ब्लाक की सरकार ने जाँच कराई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा स्वयं ध्यान इस ओर गया था और मैंने खुद अपने विभाग से कहा कि इनका फिर से पुनरुद्धार हो सके क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि बहुत सी जगह इनसे पानी नहीं लिया जा रहा है। अगर हमको शुरू से अनुभव होता तो बहुत सी जगह इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि लग गये हैं तो ग्राम सभाएं अगर थोड़ा सा इंटेरेस्ट लें कि टोंटियाँ खराब न हों और कीचड़ न हो, तो गाँव वालों को हैल्दी वाटर मिल सकता है। हमारा विभाग देख रहा है कि इसमें क्या करने की आवश्यकता है यद्यपि हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इन दो ब्लाकों की, पिंडरा कीरतपुर और बड़ा गाँव में ताड़ी, वरहिनिवादा, बिलवाँ, और कुवांर आदि की जाँच कराके चूंकि मेरी जानकारी में है कि ९० फीसदी टोंटियाँ टूटी हुई हैं, पूरे प्रदेश के लिये किसी नतीजे पर पहुंचने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जाँच की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब तक उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी गाँव सभायें न लें वे चालू हो ही नहीं सकती हैं।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर पंचायतें दिलचस्पी लें तो टोंटी लगवायी जा सकती हैं, तो क्या बलिया में बेरिया ब्लाक के तिरमनपुर, तालीपुर और मधुबनी ग्रामों के बीच में जो ट्यूबवैल की टंकी लगी हुई है और कुछ पाइप भी बिछे हुये हैं, वहाँ पर नगर ग्राम पंचायत रख रखाव की जिम्मेदारी ले तो क्या मंत्री जी वहाँ लोगों को पानी दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर वहाँ टंकी बनी है तो वह किसी योजना के अनुसार ही बनी होगी। अगर कहीं अधूरापन उसमें रह गया हो तो अवश्य उस पर विचार करेंगे। महाशय जी अगर लिखकर दे दें तो मैं उपकार मानूंगा।

नगरपालिकाओं में सफाई मजदूरों का वेतन

*२७—**श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतायेंगे कि प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में सरकार के इस जी०ओ० पर अब तक कार्य शुरू कर दिया है कि सफाई मजदूरों को नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ-साथ इतवार की व अन्य गजटेड छुट्टियाँ सवेतन दी जायं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—बिल्कुल ऐसा कोई जी०ओ० शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया। एक शासकीय आदेश दिनाँक २० अगस्त, १९६० को निर्गत किया गया था जिसकी एक प्रति संलग्न है। इसके अनुसार कार्य करने के बारे में नगरपालिकाओं से सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३–८४ पर)

श्री शराफत हुसैन रिजवी—मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इस किस्म का कोई जी०ओ० नहीं है। यह भी इतने दिनों के बाद उत्तर दिया गया। यह हजारों मजदूरों का सवाल है। ऐसे मजदूरों का जिनको म्युनिसिपैल्टियों द्वारा कभी समय पर वेतन नहीं दिया जाता और न उनके रहन-सहन का ही कोई इन्तजाम होता है, उसका उत्तर भी टालमटोल का मंत्री जी ने दिया है। फिर भी उन्होंने यह उत्तर क्यों दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। प्रश्न स्थगित ही कर दिया जाता और जब सूचना मिल जाती तो सही उत्तर दे दिया जाता, लेकिन यह टालमटोल का उत्तर दे दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जाइये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जब इस प्रकार का प्रश्न पार्लियामेंट में पूछा गया था तो वहाँ बताया गया था कि सवेतन छुट्टी के बारे में जी० ओ० गया है लेकिन यहाँ उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो सरकार बताये कि क्या इस प्रकार का कोई जी०ओ० गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, उत्तर में कहा गया है कि इस प्रकार का जी० ओ० गया है। श्रीमन्, यह समझ लेना चाहिये कि नगरपालिकायें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो हैं नहीं, स्वायत्त शासन की संस्थायें हैं, उनसे बहुत सी बातों के कराने में बड़ी कठिनाई होती है और सूचना मंगाने में दिक्कत होती है, इसलिये जो जवाब दिया गया है वह ठीक दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—(श्री शराफत हुसैन रिजवी के खड़े होने पर) जब आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है तो उस समय आप प्रश्न तो पूछते नहीं हैं, आक्षेपात्मक बातें करने लगते हैं। अच्छा अब प्रश्न पूछिये ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी नगरपालिकायें हैं जिन्होंने इस जी०ओ० पर अमल करना शुरू कर दिया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। मेरे पास ५–७ जगहों से शिकायतें आयीं थीं, वहाँ पर आदेश भेज दिये गये हैं। सब स्थानों पर मजदूर यूनियन है। मुझे एक भी स्थान का ऐसा नहीं मालूम है जहाँ से कोई शिकायत आयी हो और वहाँ पर उसको दूर करने का प्रयत्न न किया गया हो। यह सर्क्यूलर भी उसी के फलस्वरूप भेजा गया था ।

श्री अध्यक्ष—आपने अपने उत्तर में कहा है कि वह जी०ओ० कार्यान्वित किया जा रहा है और उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है, तो कृपा करके जब सूचना आ जाय तो माननीय सदस्य को दे दीजियेगा। (श्री शराफतहुसैन जी से) आपको सूचना मिल जायगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जब सवेतन छुट्टी के लिये जी०ओ० या सर्क्यूलर गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस का आदेश अब भी देंगे और एक परिपत्र भेजेंगे कि प्रदेश की ऐसी नगरपालिकायें जिनको वह जी०ओ० अभी नहीं मिला है और जहाँ जहाँ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उनको भी इसकी जानकारी हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—जी०ओ० का मतलब है कि गवर्नमेंट आर्डर किया गया है। अब सारी ही जगह से सूचना एकत्र हो रही है, जहाँ-जहाँ कि वह कार्यान्वित नहीं हो रहा है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं इस संबंध में अर्ज कर दूं कि अगर माननीय सदस्य थोड़ी दिलचस्पी दिखलायें और हमारी सहायता करें तथा कुछ म्युनिसिपैलिटीज के नाम बतलावें तथा लिख कर दें तो उसमें हम और जल्दी कर सकते हैं ।

*२८—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—[१३ वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२९—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—[१३वें गुरुवार के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०–३१—श्री चन्द्रबली सिंह (अनुपस्थित)—[१३ वें सोमवार के लिये प्रश्न ३५–३६ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*३२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[हटा दिया गया।]

युवक मंगल दल चकगिरघट

*३३—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि युवक मंगल दल चकगिरघट परगना द्वारा जिला बलिया के सदस्यों की ओर से आगामी १८ अगस्त, १९६२ से आमरण अनशन प्रारम्भ करने का नोटिस सरकार को प्राप्त हुआ है ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविंदसिंह)—जी नहीं ।

*३४—श्री चन्द्रपाल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार आमरण अनशन का कारण बताने की कृपा करेगी और बतायेगी कि सरकार उनकी मांगों के बारे में क्या करने जा रही है ?

श्री हरगोविंदसिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी में हरिजन क्वार्टर

*३५—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी नगर में म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से हरिजनों के लिये क्वार्टर बनाये जायं ऐसी कोई स्कीम है या नहीं ? यदि हां, तो वह क्वार्टर हरिजनों के लिये क्यों नहीं बनाये गये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, पांच क्वार्टर बनवाने की योजना है । इसके लिये जमीन की तजबीज की कार्यवाही की जा रही है । इसके लिये शासन द्वारा कोई अभी ऋण या अनुदान नहीं दिया गया है ।

*३६—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजनों के क्वार्टरों के लिये जो रुपया सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड, मैनपुरी को दिया था वह रुपया क्वार्टर न बना कर म्युनिसिपल बोर्ड, मैनपुरी ने वापस सरकार को कर दिया है ऐसा क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं । वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में शासन द्वारा नगरपालिका, मैनपुरी को मेहतरों के लिये १० क्वार्टर बनवाने के लिये १०,००० रुपया ऋण तथा ५,००० रुपया अनुदान दिया गया था जिससे नगरपालिका ने १९५७-५८ तक समस्त क्वार्टर बनवा लिये थे ।

श्री बृजेश्वरसहाय—हमारी मैनपुरी म्युनिसिपैलिटी द्वारा ५ क्वार्टर्स बनवाने के लिये वहां जमीन तजबीज की जा रही है जब कि वहां सैकड़ों बीघे जमीन पट्टे पर दी जा रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये क्वार्टर्स अब तक क्यों नहीं बने और अगर अब बनेंगे तो वे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह मैं कैसे बतला सकता हूं । मैनपुरी नगरपालिका से ऋण के लिये कोई दरख्वास्त नहीं आयी है । यह मालूम हुआ है कि क्वार्टर्स के लिये वह जमीन एक्वायर करना चाहती है ।

श्री बृजेश्वर सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा जो ये १० क्वार्टर्स बनवाये गये हैं वे सब क्या मैनपुरी के सबसे गन्दे नाले के किनारे और मैनपुरी शहर के बस पुलिस के बीच में बनाये गये हैं, यदि हां, तो क्या उनमें आज तक कोई हरिजन रहने के लिये गया है या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री बृजेश्वरसहाय—माननीय मंत्री जी मेरी यह सूचना मान कर, इसकी जानकारी करने के बाद जिस बोर्ड ने यह क्वार्टर्स ऐसे स्थान पर बनवाये हैं, उसके खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंग ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर माननीय सदस्य लिख कर बाकायदा देंगे जिम्मेदारी के साथ, तो मैं जरूर करूंगा ।

कालपी में सड़क के अनुदान का दुरुपयोग

*३७—**श्री शिवसम्पति शर्मा** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जो प्रश्न ९८ के जवाब में लिखा है कि इस पहलू पर विचार नहीं हुआ चूंकि म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि कोई अध्यक्ष बिना बोर्ड की स्वीकृति के नियमों के खिलाफ यदि रुपया व्यय करता है तो सरचार्ज के रूप में वसूल कर सकती है ? तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुपया जो दूसरे मद में खर्च कर दिया गया है उसको सरचार्ज के रूप में वसूल करने में क्या कठिनाई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस धनराशि को सरचार्ज के रूप में वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अनुदान की धनराशि सरकार यदि चाहे तो नगरपालिका के कोष से वापस करा सकती है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि नगरपालिका कालपी के प्रशासक ने अनुदान की धनराशि का उपयोग करने की अवधि को ३१-३-६२ तक बढ़ाने की प्रार्थना की है और आशा है कि यह धन उसी सड़क के निर्माण पर व्यय हो जायगा ।

*३८—**श्री शिवसम्पति शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस रुपये को तुरन्त वसूल करके माननीय गवर्नर महोदय के वादे को पूरा करते हुये इस सड़क का निर्माण करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर को देखते हुये फिलहाल वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३९—**श्री शिवसम्पति शर्मा** (अनुपस्थित)—उपरोक्त सड़क का कुल बजट करीब ५० (पचास) हजार रुपया था । १८ हजार रुपये की पहली किस्त का रुपया सरकार ने भेजा था, बाकी रुपया कब तक भेजने का विचार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस कार्य के लिये नगलपालिका ने केवल १८,००० रुपये की आर्थिक सहायता मांगी थी जो दी जा चुकी है ।

गाजियाबाद मास्टर प्लान सम्बन्धी लैण्ड पालिसी

*४०—**श्री तेजसिंह** (जिला मेरठ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि गाजियाबाद में मास्टर प्लान के संबंध में जो भूमि अर्जित की जा रही है उसके मुआवजे के लिये कोई योजना (लैन्ड पालसी) सरकार ने बनाई है ? अगर हां, तो वह क्या है और उस पर कब से अमल आरम्भ हो जायेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं । गाजियाबाद में भूमि अर्जन के बारे में जो लैण्ड पालिसी शासन द्वारा निश्चित की गई है उसके बारे में एक †नोट (note) सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

श्री तेजसिंह—जो नोट सदन की मेज पर रखा गया है जिसे लैण्ड पालिसी कहते हैं, उसमें दिया गया है कि यह सारा कुछ इसलिये किया गया है कि गाजियाबाद में जो जमीन अर्जित हो रही है उसका फायदा मिड्ल मैन न उठावे और उसका फायदा छोटे-छोटे काश्तकारों को मिले । तो क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जो उचित मुआवजा देने के लिये आप हमेशा कहते हैं उसकी दर बताते नहीं हैं, इसका नतीजा यह हो रहा है कि आपकी इस घोषणा के

† छापी नहीं गई है ।

बाद कि बड़े भूमिपति को ४० प्रतिशत जमीन वापस मिल जायगी, जिसके पास २० एकड़ या उससे ज्यादा होगी ? एक भूमिपति ने एक गांव की ४–५ लाख रुपये की जमीन एक हफ्ते में खरीद ली है तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि यह सुविधा उनको दी जाय जो इस नोटिफिकेशन से पहले भूमिपति थे और जो अब सस्ती जमीन खरीद रहें हैं और उस भाव पर जो आज से १५ साल पहले था....

श्री अध्यक्ष—आप तो इतना लम्बा सवाल कर रहें हैं, पता ही नहीं चलेगा कि सवाल आप का क्या है ? संक्षेप में केवल प्रश्न पूछें।

श्री तेजसिंह—मैं जानना चाहता हूं कि जो रियायत २० एकड़ या ज्यादा वालों को दी है कि उन को ४० प्रतिशत जमीन वापस की जायगी लेकिन क्या वह सुविधा केवल उनको ही देंगे जो नोटिफिकेशन से पहले मालिक थे या उन को भी देंगे जो अब सस्ती जमीन खरीद रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मेरा विचार है कि माननीय सदस्य ने शायद नोटिफिकेशन को ठीक से समझा नहीं है। नोटिफिकेशन में यह है कि चाहे जमीन छोटी हो या बड़ी उसकी जमीन उस को मिलेगी, इस में मुआवजे का सवाल नहीं उठता। जो बड़े लोगों की बात कही गई है सिर्फ उसमें उनको यह सुविधा दी गई है कि वह अन्दर का डेवलपमेंट भी स्वंयं कर सकेंगे, छोटे-छोटे शायद ठीक से न कर सकें इसलिये वह काम उनको नहीं दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से और लोग खरीद रहें हैं तो वह तो तभी खरीदते होंगें जब पर्याप्त मुआवजा देते होंगें, दूसरे आदमी को जब वह फ़ीली खुशी से देते हैं तो वह जरुर पर्याप्त मुआवजा लेकर ही देते होंगें, इस से तो कोई हर्ज नहीं होता।

श्री तेजसिंह—आप देखें कि पैरा ४ में लिखा है कि—

"4. The land-owners have broadly been classified into three categories—

(1) those, who hold an area of less than two acres ;

(2) those , who have an area of more than two acres, but less than 20 acres ; and

(3) those, who have an area of 20 acres or more at one place.

5. The land of the persons falling in category no. (1) shall be acquired by paying them cash compensation according to the provisions of the Land Acquisition Act, 1894, and developed externally and internally entirely by the Improvement Trust, Ghaziabad. The ex-land-owners will, however, be given preference in the allotment of developed plots, if they request for such allotment for construction of houses for themselves."

इस में यह नहीं है कि छोटे प्लाट ओनर्स को भी ४० प्रतिशत वापस होगी और नम्बर ७ में साफ कहा गया है कि यह रियायत केवल बड़े-बड़े २० एकड़ से ऊपर वालों को ही दी गई है। तो क्या मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर उन्होंने सदन में इस प्रश्न को न पेश किया होता और इस आर्डर को देखा होता तो उन को मालूम हो जाता कि जो छोटे हैं उनके लिये इतनी जमीन बचेगी जितनी में वह मकान बनाना उचित समझें और उनके केस में मुआवजे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर वह नहीं बनाना चाहेंगे तभी मुआवजे का सवाल उठेगा वर्ना वह तो जमीन अपनी लेकर सीधे मकान बनायेंगे।

श्री मेघनार्थसिंह शीशोदिया (जिला मेरठ)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने कोई कानून ऐसी भूमि के लिये भी बनाया है जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अन्तर्गत गांवों से ली जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक ट्रस्ट या नगरपालिका के बाहर की जमीन लेने की बात है उसके लिये तो केवल गाजियाबाद ही नहीं सारे यू०पी० के लिये कुछ करना होगा, यह तो केवल गाजियाबाद ट्रस्ट की ही बात है।

श्री हिम्मतसिंह—यह कितने एकड़ जमीन ली जा रही है और इससे कितने काश्तकार प्रभावित होंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो डिटेल की बात है, प्रश्न में तो मुआवजे के बारे में क्या योजना है केवल इतनी ही बात है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि देहली का मास्टर प्लान प्रकाशित हो गया है और खुर्जे तक का सारा इलाका देहली में जाने वाला है, यह देखते हुये मंत्री जी सारी कार्यवाही स्टे करने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री तेजसिंह—मैंने पूछा था वह रियायत उनको देंगे जो अब खरीद रहें हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—किनको रियायत देंगे ?

श्री तेजसिंह—जो जमीन नोटीफिकेशन के बाद अब खरीद रहें हैं उनको भी यह रियायत देंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने तो कहा जब यह लैंड पालिसी बन गई तो मेरा खयाल है कि सारे प्रदेश में हमेशा के लिये इसे लागू किया जायगा जब तक इससे बेहतर चीज न निकल सके।

श्री रामेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि जो छोटे कृषकों को इस आधार पर जमीन देना नहीं स्वीकार किया कि वह डेवलप नहीं कर सकेंगे तो ऐसी सूचना मंत्री जी को प्राप्त है कि वह डेवलप नहीं कर सकेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने स्पष्ट कर दिया।

डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर के अन्तर्गत प्लाटों के लिए जमा अग्रिम धन

*४१—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर (जो अब नगरमहापालिका, कानपुर के अन्तर्गत है) में कुछ व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने गृह-निर्माण हेतु प्लाट प्राप्त करने के लिये कुछ अग्रिम धनराशि सन् १९५८ में जमा की थी ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां,† सूची संलग्न है।

*४२—श्री हमीद खां—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका, कानपुर ने हाल ही में गृह-निर्माण के लिये ऐसे व्यक्तियों को प्लाट दिये हैं जिन्होंने पहले से कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे तथा उन व्यक्तियों के आवेदन-पत्रों पर ध्यान नहीं

†छापी नहीं गई है।

दिया गया जिन्होंने इस कार्य हेतु बहुत पहले से अग्रिम धनराशि जमा की थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी नगर महापालिका, कानपुर के इस रवैये से जनता में व्याप्त असंतोष को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—महापालिका से प्राप्त सूचना के आधार पर पहले दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं में है। सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हमीद खां—मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्लाट दिये गये हैं जिनको उनकी ऐप्लीकेशन्स पिछली तारीखों में और पिछली तारीखों में चेक जमा करके यह जमा खर्च हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जमा खर्च किस रोज हुआ इसकी सूचना नहीं है ।

श्री हमीद खां—मंत्री जी बतायेंगे कि विपत खटिक के अहाते में जो हाउसिंग के लिये प्लाट दिये गये हैं उनको डीहाउस्ड लोगों को न दे करके दूसरों को प्लाट दिये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—ऐसी तो कोई सूचना नहीं है, प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ।

श्री संतसिंह यूसुफ—मंत्री जी बतायेंगे कि कारपोरेशन को प्लाट के लिये बहुत लोगों ने एप्लाई किया था, जिनमें से कुछ ने तो ४, ५ साल पहले ऐप्लाई किया है, उनको प्लाट नहीं मिले और जिन लोगों ने फौरन ऐप्लीकेशन दी हैं उनको मिल गये, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—अब प्लाट लेने वालों के प्रार्थना-पत्र लगभग ३ हजार थे और प्लाटों की संख्या इसमें बतलाई गई है १११० थी । इस तरह से समस्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करना नामुमकिन था । जहां तक अलाटमेंट करने की नीति को अपनाने का संबंध है वहां कार्यकारिणी ने एक उप समिति बना दी थी जो प्रार्थना-पत्रों की छानबीन कर के अपनी प्रार्थना के साथ कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत कर दी । इसी के आधार पर ये प्लाट्स एलाट किये गये ।

श्री बलवानसिंह—जो प्लाट्स की दरख्वास्तें आई हैं मेरा ऐसा खयाल है कि चार साल से उनका रुपया पड़ा हुआ है तो सरकार की इन प्लाटों को देने में तथा किसानों से जमीन लेने में जो रेश्यो पड़ता है उस संबंध में क्या नीति है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ये प्लाट्स डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से दिये जा रहें हैं न कि सरकार की तरफ से । महापालिका उस जमीन को लेती है सरकार के बनाये कानून के मातहत । यह हो सकता है कि मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई हो लेकिन इसकी रेमेडी यहां पर नहीं है, वहीं है ।

रेंट कन्ट्रोल अपीलें

*४३—**श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद) **तथा श्री सहदेव सिंह**—क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जुलाई से २० जुलाई, १९६२ तक रेन्ट कंट्रोल की अपीलों में किन-किन मामलों का कब-कब फैसला हुआ ?

*४४—कृपया खाद्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त निर्णीत मामले से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र सरकार को कब-कब प्राप्त हुये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूची सदन की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४–८५ पर)

नोट :—तारांकित प्रश्न ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ग्रामीण गृह-निर्माण योजना

*४५—श्री होरीलाल यादव—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों को गृह निर्माण हेतु कर्ज देने की योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, तृतीय पंचवर्षीय योजना में village Housing Project Scheme के अन्तर्गत ग्रामीणों को गृह निर्माण हेतु ऋण दिये जाने की योजना है। योजना तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई ऋण वितरण सम्बन्धी नियमावली की एक-एक †प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

अध्यक्ष, नगरपालिका, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पास अध्यक्ष, नगरपालिका, गोरखपुर के विरुद्ध पालिका के सदस्यों द्वारा शिकायती-पत्र अप्रैल, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रति-लिपि सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, वह मूल रूप में जिलाधीश को रिपोर्ट के लिये भेज दिया गया है।

*४७—श्री उग्रसेन—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिलाधीश उस पर जांच कर रहे हैं।

*४८—५०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया), श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[१३वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रामशरण शाह (जिला खीरी)—[२० सितम्बर, १९६२ को प्रश्न ७८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

अवक्रान्त नगरपालिकायें

२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी नगरपालिकाओं पर सरकार का अधिकार यानी (Superseded) हैं और आगामी नगरपालिकाओं के आम चुनाव के अवसर पर उनमें से किन-किन को चुनाव करने का अधिकार प्रदान कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ग्यारह नगरपालिकाएं (Superseded) हैं। इनमें से नगरपालिका मुरादाबाद, नीमसार-मिश्रिख (जिला सीतापुर) नजीबाबाद (जिला बिजनौर) तथा हापुड़ (जिला मेरठ) में नगरपालिकाओं के आम चुनाव के अवसर पर चुनाव कराने का अधिकार प्रदान कर रही हैं।

---

†छापी नहीं गई।

गोरखपुर वन खंड क्षेत्र के ठेकेदारों पर बकाया

३—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—दिनांक ६ अगस्त, १९६२ ई० के प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४४–४५ लगायत सन् १९५९–६० तक गोरखपुर वन खंड के अन्तर्गत जंगल के ठेकेदारों पर जो लगभग ४ लाख रुपये का बकाया धन है उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या-क्या उपाय किया ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—बकाया धन की वसूली के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये:—

(१) उक्त बकाया रकम की वसूली के लिये पहले विभागीय कार्यवाही की गई परन्तु जब वसूली न हो सकी तो सम्बन्धित जिलाधीश से लिखा-पढ़ी की गई और की जा रही है।

(२) जो बकाया जिलाधीश द्वारा न वसूल हो सका, उसके माफ करने हेतु विभागीय अधिकारियों में लिखा-पढ़ी हो रही है।

(३) जो ठेकेदार बराबर काम करते चले आ रहे हैं, उनसे उसका बकाया वसूल किया जा रहा है।

दवाओं पर टैक्स

४—श्री सूरजलाल (जिला गोंडा)—क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई नगरपालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया द्वारा दवाओं पर कोई टोल टैक्स आकट्राई टैक्स तथा अन्य टैक्स न लगाये जायं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—[हटा दिया गया।]

६–७—श्री रामलखन वकील तथा श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—[हटा दिये गये।]

सिमारहा ग्राम प्रधान का पशुचर भूमि विषयक पत्र

८—श्री लखपतराम शर्मा—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम सिमरहा, जिला झांसी में सरकार की राज्य आज्ञा संख्या ९८५/१४ क, ६५३–६१, दिनांक २४ अप्रैल, १९६२ द्वारा सहायक सचिव ने १०० एकड़ भूमि घास पशुओं के चरने के लिये ३ रुपये प्रति एकड़ पर ग्राम वासियों को देने का आदेश दिया था ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी नहीं। सरकारी पत्र संख्या ९८५/१४–क–६५३/६१, दिनांक २४ अप्रैल, १९६२ राज्य आज्ञा नहीं है। इसके द्वारा किसी वन भूमि पर घास पशुओं के चरने के लिये देने का आदेश नहीं दिया गया था। इसमें प्रधान ग्राम सिमराहा को केवल यह सूचित किया गया था कि १०० एकड़ भूमि ३ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहले से ही दे दी गई है जो कि इस गांव के माफीदारोंको मिली थी। प्रधान, ग्राम सिमराहा का इस विषय पर प्रार्थना-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन है।

९—श्री लखपतराय शर्मा—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त १०० एकड़ भूमि दिये जाने की आज्ञा डी० एफ० ओ०, झांसी द्वारा अब तक स्वीकार नहीं की गई ?

श्री अलगूराम शास्त्री—उक्त सरकारी पत्र द्वारा डी० एफ० ओ० को कोई आज्ञा नहीं दी गई थी, अतः उसे स्वीकार न करने का प्रश्न नहीं उठता।

१०—श्री लखपतराम शर्मा—क्या यह भी सत्य है कि ग्राम के प्रधान द्वारा सरकार का ध्यान लिखित रूप में दिनांक २९ जून, १९६२ को आकर्षित किया था ? उपरोक्त विषय पर राज्य आज्ञा न मानने का क्या कारण है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां। राज्य आज्ञा न मानने का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद में बिना लाइसेंस के भट्ठे

११—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में गतवर्ष (६-१-६२) कितने ईंट के भट्ठे बिना लाइसेंस चलाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—फैजाबाद जिले में १९६१-६२ में केवल एक भट्ठा बिना लाइसेंस के चलाया गया। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई।

१२—श्री महादेव—[२० सितम्बर, १९६२ को प्रश्न ६६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

१३-१५—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—[१४ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ८७-८९ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

१६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—[१४ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ९० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

देवरिया प्रशासन की कथित मास्टर प्लान

१७—श्री कृष्णा (जिला देवरिया) तथा श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि उनके पास देवरिया प्रशासन की ओर से कोई मास्टर प्लान आया है ? यदि हां, तो क्या वे उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

१८—श्री कृष्णा तथा श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री उक्त मास्टर प्लान की कुल लागत बताने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

१९—श्री कृष्णा तथा श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—उक्त मास्टर प्लान देवरिया जिले में कब लागू किया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

नैमना ग्राम में रिहन्द के विस्थापितों का पुनर्वास

२०—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध से विस्थापित जनता के लिये समय पर पुनर्वास की व्यवस्था उसके द्वारा न होने के कारण कुछ गरीब तथा हरिजन जनता का जंगल विभाग के अधिकार वाली सिंगरौली रेंज (दुद्धी डिवीजन) के ग्राम नेमना में तथा अन्यत्र मैदानी भाग देखकर कुछ स्थायी तथा कुछ अस्थायी गृह निर्माण कर कूप, निर्माण-कर और कृषि हेतु भूमि बना कर आबाद हो गयी है, परन्तु जंगल विभाग उनको हटाने को तुला है ? क्या सरकार उनको वहीं रहने के लिये मान्यता प्रदान करेगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—रिहन्द बांध से विस्थापित होने वाली जनता के पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा पहले ही कर दी गई थी जिसके अन्तर्गत बसने तथा कृषि योग्य भूमि अब भी उपलब्ध है। इसके होते हुए भी कुछ विस्थापित जनता सिंगरौली रेंज, दुद्धी वन खंड में स्थित बन भूमि पर जाकर अनधिकृत रूप से आबाद हो गयी और ग्राम नेमना में कुछ

स्थायी एवं अस्थायी कच्चे मकान और एक कच्चा कुआं भी बना लिया। इन विस्थापितों का इस प्रकार से बस जाना अवैधानिक है। इसलिये उनको उक्त क्षेत्र में बसे रहने की मान्यता प्रदान करना सम्भव नहीं है।

किछा ग्राम क्षेत्र में निर्माण व्यवस्था

२१—**श्री हरीशकुमार गंगवार** (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल जिले की किछा तहसील के किछा ग्राम में इस प्रकार का हाल में कानून लागू किया गया है कि मकान बनाने, मकान का पुर्ननिर्माण करने, मकान की बनावट में परिवर्तन करने की अनुमति ग्राम सभापति या पंचायत द्वारा न दी जाकर जिला व तहसील के अफसरों द्वारा दी जायेगी? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रख कर उस प्रकार के नियम लागू करने के कारणों पर प्रकाश डालने की सरकार कृपा करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—राज्य सरकार ने जिला नैनीताल की ग्राम सभा किछा के भीतर आने वाले क्षेत्र में सरकारी विज्ञप्ति दिनांक १०-१२-५८ द्वारा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम १९५८ के प्राविधानों को लागू किया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निर्माण, पुनःनिर्माण अथवा किसी भवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आदि करने से पूर्व जिलाधीश, नैनीताल, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नियत अधिकारी (Prescribed Authority) नियुक्त किये गये हैं, की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। उक्त विज्ञप्ति की तथा उसे संशोधित करने वाली विज्ञप्ति की एक एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

इस क्षेत्र में, निर्माण कार्यों के विनियमन तथा अव्यवस्थित व अनियोजित निर्माण को रोकने के उद्देश्य से ही, इस अधिनियम के प्राविधानों को लागू किया गया।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८७-८८ पर)

२२—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त किछा ग्राम में उन निवासियों की दशा बड़ी शोचनीय है जो वर्षा व अन्य कारणों से अपने मकानों में कुछ परिवर्तन या नव-निर्माण या मरम्मत कराना चाहते हैं क्योंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी, ग्राम सभापति द्वारा नियमानुसार अनुमति दिये जाने पर भी बलपूर्वक कार्य रुकवा देते हैं यहां तक कि छप्परों को भी उखाड़ फेंकते हैं? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे धांधले बाजी रोकी जा सके?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस अधिनियम के अनुसार नियत अधिकारी (Prescribed Authority) की स्वीकृति के बिना किया गया निर्माण, पुनः निर्माण तथा किसी भवन में किया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन आदि तुरन्त रोका अथवा गिराया जा सकता है। अतः किछा ग्राम सभा में नियत अधिकारी (Prescribed Authority) की स्वीकृति के बिना किया गया निर्माण कार्य ठीक ही रोका अथवा गिराया गया होगा। इस विषय में सरकार की ओर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। किन्तु छप्पर डलवाने अथवा बदलवाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसी प्रकार झोपड़ियों में मरम्मत परिवर्तन आदि कराने की स्वीकृति बड़ी आसानी से दी जाती है।

२३—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र पीड़ित ग्राम निवासियों व सभापति द्वारा भेजा हुआ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस विषय में क्या करने जा रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। ऐसी कुछ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं जो आयुक्त, कुमायूं डिवीजन तथा जिलाधीश, नैनीताल के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई थीं।

*२४-२५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[१३वें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

गाजीपुर नगरपालिका का ड्रेनेज सिस्टम

२६—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड में ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने के कारण बरसात में जनता को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है ? तो सरकार ड्रेनेज स्कीम चालू करने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड, गाजीपुर को कितनी ग्रांट दे रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गाजीपुर नगर में उचित ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने के कारण नगर के कुछ भागों में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है।

गाजीपुर नगर की जल-निकासी समस्या को दूर करने के लिये स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने १२.४७ लाख रुपये अनुमानित लागत की एक योजना तैयार की है जो नगरपालिका से धन प्राप्त होने पर कार्यान्वित की जा सकेगी। शासन स्थानीय निकायों को उनकी जल-निकासी योजनाओं के लिये कोई अनुदान स्वीकृत नहीं करता परन्तु उनके प्रार्थना करने पर ऋण देता है। गाजीपुर नगरपालिका ने ऋण हेतु शासन को कोई आवेदन-पत्र नहीं भेजा है।

२७—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के म्युनिसिपल बोर्ड की गिरती हुई हालत को सुधारने के लिये क्या इमदाद देने पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

मृगदाव सारनाथ में विश्वनाथ दास निकुञ्ज

२८—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की सूचना मिली है कि अभी जुलाई, १९६२ के अन्तिम सप्ताह में जबकि राज्यपाल, उत्तर प्रदेश वाराणसी में पधारे थे उसी समय मृगदाव सारनाथ के नाम को बदल कर विश्वनाथ निकुंज कर दिया गया ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां। परन्तु मृगदाव का नाम नहीं बदला गया है।

२९—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि वहां के बुद्ध भिक्षुकों ने उक्त नाम पर घोर विरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि मृगदाव की भूमि पर कुछ नये वृक्षारोपण का नाम श्री राज्यपाल के नाम पर विश्वनाथ निकुंज रक्खा गया था। इस निकुंज के उद्घाटन के दिन इस नाम के कुछ बड़े साईनबोर्ड लगा दिये गये थे जिसके कारण नाम बदले जाने का भ्रम हो गया था। यह बड़े साईनबोर्ड हटा दिये गये हैं और उक्त निकुंज का नाम विश्वनाथ दास निकुंज कर दिया गया है। जहां तक सरकार को मालूम है अब महाबोधी सोसाइटी इत्यादि को कोई शिकायत नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी जिसकी प्रति सदन की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८९ पर)

रिहन्द बांध के उद्वासितों को दी गई लकड़ी की दर

*३०—श्री रामप्यारे—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध के उद्वासितों के गृह निर्माण हेतु दिये जाने वाली लकड़ी के महसूल की दर क्या है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—रिह्न्द बांध से उद्वासितों को गृह निर्माण के लिये दी जाने वाली लकड़ी पर वन विभाग कोई महसूल नहीं लेता। इस लकड़ी को ढोने का प्रबन्ध उद्वासित लोग स्वयं करते हैं। वन विभाग उद्वासियों को चालू निर्धारित दरों पर लकड़ी देता है। इन दरों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९० पर)

†उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन बने नियम

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १८९ की उपधारा (ग) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा २३७ के अधीन बने नियमों को, जो पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३६८८-ए/३३—१०-आर-६२, दिनांक ७ सितम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित किये गये हैं, उक्त धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं।

†उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८४६-ए/३३—८-आर-६१, दिनांक १० सितम्बर, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—मैं पंचायत राज रूल्स में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५००४-पी/३३—२६८-६१, दिनांक ३१ अगस्त, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

†महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में प्रख्यापित संशोधन

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—मैं महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली में, नगरपालिका विभाग

---

†छापे नहीं गये।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

की विज्ञप्ति संख्या ३७२–म-नि–४–संशो (२) –११–ग–१९–कार्य–५९, दिनांक ६ अगस्त, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२।

सचिव, विधान सभा––मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२, को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९ १–१०३ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा––माननीय अध्यक्ष, आप की अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २३ अगस्त, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा, श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ५ सितम्बर, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १४ सितम्बर, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का ८वां अधिनियम बन गया।

सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)––अध्यक्ष महोदय, एक तो शनिश्चर के दिन बातचीत हुई थी अगले सप्ताह के कार्यक्रम के विषय में। तो अभी मन्त्री महोदय आये नहीं हैं और मुख्य मन्त्री जी भी नहीं हैं, परन्तु मैं आप के द्वारा निवेदन करता हूं कि २८ सितम्बर को पितृविसर्जन है और उसके बाद नवरात्रि प्रारम्भ होगी। बहुत से माननीय सदस्यों को भी पितृ विसर्जन करना है। बहुत से ऐसे होंगे जो न मानते हों परन्तु बहुत से मानते भी हैं और बहुत से लोगों को नवरात्रि में भी विन्ध्याचल आदि जाना होता है। तो मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि यदि मुख्य मंत्री जी चाहें तो २८ तारीख से सदन बन्द कर दिया जाय और १५ या १६ से जो सदन बुलाया जा रहा है उस दिन से फिर प्रारम्भ हो। दुख है कि वे इस समय यहां हैं नहीं परन्तु मैं आशा करता हूं कि आप उन तक मेरी बात पहुंचा दें और उनका उत्तर भी ले लें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)––मुख्य मन्त्री से अपील की है, वह हैं नहीं, उनके आ जाने पर जवाब दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष––मंत्री, पार्लियामेंटरी अफ़ेयर्स की तरफ़ से कौन घोषणा करेगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन––१ बजे के बाद घोषणा करेंगे, अगर आप आज्ञा दें ताकि विरोधी दल के नेता की बात पर भी विचार हो जायगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)––माननीय राजस्व मन्त्री जी मुख्य मन्त्री के नीचे रहते हैं वे घोषणा कर सकते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन––मैं उनके नीचे नहीं रहता हूं बल्कि बलिया के ऊपर रहता हूं।

(हंसी)।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—माननीय रामसुन्दर पांडेय द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि "भारत सरकार के नियोजन विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की भीषण गरीबी की जांच करने के लिये एक कमीशन नियुक्त करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से राय मांगी, पर दो माह से अधिक हो रहे हैं अब तक किसी प्रकार की राय इस सरकार द्वारा न दिये जाने के कारण नियोजन आयोग के अधिकारियों को बेचैनी हो रही है क्योंकि वे जांच के बाद गरीबी को दूर करने का हल निकालना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की इस उपेक्षा, उदासीनता वा आलस्य...."

इसको मैंने इस कारण से अस्वीकार किया है कि लोक महत्व का होते हुये भी अविलम्बनीय विषय नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो अल्पसूचित प्रश्न से पूछ सकते हैं, कार्य-स्थगन का प्रश्न नहीं हो सकता।

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास बहुत से नोटिस आये हैं। इनमें से मैंने माननीय सुदामा प्रसाद का नोटिस स्वीकार किया है और जितनी सूचनायें आई हैं, उनके संबंध में प्रत्येक सूचना पर मैंने अपनी राय लिख दी है। माननीय सदस्य उसको देख लेंगे और इस सम्बन्ध में वे अगर बातचीत करना चाहेंगे तो मेरे कक्ष में आकर मुझे समझा दें तो मैं उस पर विचार कर सकूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये। मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय चन्द्रजीत, राम किशोर त्रिपाठी और नरसिंह नारायण की तीन सूचनायें नैपाल से संबंधित घटनाओं पर आई हैं। उस पर मेरा आदेश है कि ये भारत सरकार से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि लोक सभा में हैं, इस विषय में केन्द्र उपयुक्त स्थान है जहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है क्योंकि यहां के जवाब और केन्द्र के उत्तर में कोई भेद हुआ तो कठिनाई उपस्थित हो सकती है।

इस कारण से इन सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है। अब मैंने उनसे निवेदन किया है कि माननीय सदस्य जिन्होंने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें दी हैं वे मेरे कक्ष में आकर इसके महत्व को मुझे समझाने की कोशिश करें। जो दिक्कत मुझे प्रतीत होती है वह मैंने बतला दी। उसको छोड़कर भी कोई प्रश्न इस कारण से भी नहीं हो सकता है कि मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक स्वीकार कर लिया है। इसलिये जितनी अन्य सूचनायें आई हैं उनको मैं नहीं ले सकता हूं। अब नियम ५२ के अनुसार जो सूचना मैंने स्वीकार की है वह इस प्रकार है कि—

"नियम ५२ के अनुसार मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कानपुर-झांसी रेलवे लाइन पर दिनांक १९ सितम्बर, १९६२ ई० को शाम के कानपुर से झांसी जाने वाली पैसेन्जर गाड़ी के गार्ड श्री सुरेन्द्र नाथ हांडा की उक्त गाड़ी में बिना टिकट चलने वाले एक विद्यार्थी दल ने उरई स्टेशन पर छुरा भोंक कर हत्या कर दी।

उक्त घटना से उस क्षेत्र के समस्त रेल अधिकारी और कर्मचारी भयभीत हैं और उस क्षेत्र के निवासियों में बड़ा आतंक छा गया है तथा उक्त क्षेत्र के रेल कर्मचारियों ने बगैर पुलिस की विशेष सहायता के इस लाइन पर गाड़ी चलाने से इन्कार कर दिया था।

माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में इस माननीय सदन में अपना स्पष्टीकरण करने की कृपा करें कि उक्त घटना से फैले हुये भय और आतंक को दूर करने तथा सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्था की गई है।"

(गृह मंत्री जी से) अपना स्पष्टीकरण कब तक देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—मान्यवर, दो दिन का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब हुआ कि २६ तारीख को आप दे दें।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—मान्यवर, मंत्री जी ने शिकोहाबाद के बारे में, जो वहां पर हड़ताल हुई, आज वक्तव्य देने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—हमने उनको भेज दिया है। उनसे बातचीत नहीं हुई।

श्री बलवानसिंह—उस दिन वे बीमार थे, आये नहीं थे।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, वक्तव्य देने की बात थी, उसमें कह दिया गया था कि मंगल के दिन दिया जायगा। तो कल दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५२ जिसके सम्बन्ध में आपके कक्ष में मिल कर.....

श्री अध्यक्ष—आप क्या कहते हैं?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। मैं कहता हूं कि शांति व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—मैंने आप से कहा है कि मेरे कमरे में आ कर बताइये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं आऊंगा अगर आप की आज्ञा है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—मैं इसी विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—किस विषय पर?

श्री लखपतराम शर्मा—यह जो ट्रेन के अन्दर छरा भोंकने से मृत्यु हुई है। सुदामा-प्रसाद जी का टफा ५२ में दिया गया है। श्रीमन्, कई रोज हुए मैंने इस पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था.....

श्री अध्यक्ष—वह इस समय नहीं सुना जायगा। आप आसन ग्रहण करें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, मैं आप का ध्यान जो चिट्ठी मैंने दी थी.....

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब मैंने दे दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र—एक चिट्ठी वैधानिक आपत्ति....

श्री अध्यक्ष—उसको मैं देख रहा हूं।

मंत्रिपरिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में नेशनल हेरल्ड अथवा प्रेस सम्वाददाता समिति, लखनऊ तथा मुख्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—अब जो विशेषाधिकार की सूचनाएं थीं, मैंने अपने विचार लिख दिये हैं। अंग्रेजी में लिखा है। मैं अंग्रेजी में पढ़ता जाऊंगा और हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

132639

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मुझे इस पर आपत्ति है। इस विधान सभा की भाषा हिन्दी है। अगर आप अध्यक्ष रूप में इसका तजुर्मा करने लगे तो फिर और लोग भी उसका अनुकरण करने लगेंगे और विधान सभा के सामने एक नयी समस्या खड़ी हो जायगी। आप हिन्दी में पढ़ें चाहे बाद में उसकी अंग्रेजी कर दें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं निवेदन करूंगा कि आप हिन्दी में ही कहें। अंग्रेजी में न पढ़ कर हिन्दी में कह दीजिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—मैं एक निवेदन कर दूं। अगर आपने हिन्दी में तर्जुमा नहीं किया है तो तर्जुमा करके तब पढ़ दीजियेगा। हिन्दी में पढ़ें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—तो आज शाम को पांच बजे हिन्दी में दूंगा।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक और विश्वविद्यालय अनुदान समितियों तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट व उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष—आप को स्मरण होगा कि हमें कुछ निर्वाचन करने थे उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये चार सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के लिये तीन सदस्य, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये पांच सदस्य तथा उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के लिये एक सदस्य के निर्वाचन हेतु नाम की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २२ सितम्बर, १९६२ सायंकाल पाँच बजे तक था। अब चूंकि उल्लिखित समय तक अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिये गये हैं, अतः निर्वाचन २५ सितम्बर, १९६२ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

२० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—अब दिनांक २० अगस्त, १९६२ को विधान सभा के सदस्य सर्वश्री राम सुन्दर पाँडेय, दौलत लाल तथा मंगल देव विशारद के तारांकित प्रश्न संख्या १ से सम्बंधित श्री रामसुन्दर पाँडेय द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री शोधन वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—अध्यक्ष महोदय, दिनाँक २० अगस्त, १९६२ को सर्वश्री राम सुन्दर पाँडेय, दौलत लाल तथा मंगलदेव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में श्री राम सुन्दर पाँडेय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना लागू हो जाने के बाद इन निकायों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों का वेतन-क्रम क्या हो जायगा? उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि इसमें दो वेतन-क्रम हैं ४५–१०० और ७५–१२० उसका उत्तर ठीक नहीं था जिसका

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ से केवल निम्नलिखित दो वेतनक्रम होंगे—

(१) रु० ७५–१२० ट्रेन्ड कम्पाउन्डरों के लिये।
(२) रु० ४०–६० अनट्रेन्ड कम्पाउन्डरों के लिये।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०४ पर)

†उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२

श्री अध्यक्ष—अब माननीय राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (The Uttar Pradesh Land Laws Amendment Bill, 1962) पर विचार का प्रस्ताव रखेंगे।

***समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ पर जसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय। इस विधेयक के द्वारा चन्द संशोधनों की आवश्यकता समझी गई है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, जब माननीय राजस्व मंत्री को आप पुकारें और माननीय राजस्व मंत्री बैठे हों, उपस्थित हों, तो भी वह बिना आपकी आज्ञा प्राप्त किये हुये अपना अधिकार दूसरे को दे सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—नहीं, वह मेरी आज्ञा है।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—सदन से मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो संशोधन दिये गये हैं वह लफ्जी संशोधन हैं। जगह-जगह जैसी दिक्कतें महसूस हुई हैं उन्हीं पर विचार किया गया है और विधान परिषद् ने विचार करके उसे पारित कर दिया है। इस सदन से भी यह निवेदन है कि वह विचार करके उसे पारित कर दे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि "यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२, को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो"।

श्रीमन्, यह बात सही है कि यह बहुत ही छोटा सा संशोधन विधेयक है और जिस प्रकार परिषद् ने स्वीकार किया उसी प्रकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी चाहते हैं कि यह सदन भी उसे स्वीकार कर ले। श्रीमन्, इस विधेयक को पढ़ने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के दिल में कुछ ऐसी बात आयी हुई है कि जो पिछले विधेयक थे भूमि हस्तान्तरण के, उसमें साढ़े बारह एकड़ से अधिक लेने से मना कर दिया गया था, अब माननीय मंत्री जी कुछ इस पर प्रकाश डाले होते तो हम लोगों को शंका उत्पन्न न होती, लेकिन उनकी ओर से कुछ कहा नहीं गया, इसलिये अन्धेरे में हम लोगों को अपनी राय कुछ देनी पड़ रही है। श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारण में कहा गया है—"इसके अतिरिक्त द्रुत औद्योगीकरण तथा सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित करन के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि औद्योगिक तथा सहकारिता के वास्तविक प्रयोजनों के निमित्ति साढ़े बारह एकड़ की सीमा से अधिक भूमि के संक्रमणों के लिये उक्त अधिनियम की धारा १५४ में व्यवस्था की जाय।" यह उद्देश्य इसमें दिये हैं, जिसके अनुसार आपको करना

---

†२१ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बिल में स्पष्ट समावेश होना चाहिये था कि किस प्रकार के उद्योगों के लिये, यह १२ १/२ एकड़ का जो प्रतिबन्ध इस संशोधन बिल में था, उसको आप हटाना चाहते हैं।

श्रीमन्, पहला जो संशोधन विधेयक पास हुआ था, उसमें यह साफ था कि कोई भी किसान या कोई भी आदमी अगर उसके परिवार में साढ़े १२ एकड़ खेत है तो इससे अधिक खेत वह क्रय नहीं कर सकता है। अब इस संशोधन के जरिये से यह अधिकार दिया जा रहा है सोसाइटी को कि अगर सोसायटी चाहे तो साढ़े १२ एकड़ खेत को ले सकती है और औद्योगिक आस्थान ले सकती है। श्रीमन्, आप कृपा कर इस विधेयक को देखने की कृपा करें। इस विधेयक की मूल अधिनियम की धारा १५४ में यह कहा गया था कि १२।। एकड़ से अधिक कोई क्रय नहीं कर सकता। अब सकार उसमें संशोधन करना चाहती है। श्रीमन्, संशोधन करना यह चाहती है, जरा आप देखने की कृपा करें, कि १५४ धारा के उपखंड (२) के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनों के लिये जितनी जमीन निर्दिष्ट की गई है। उससे अधिक ली जायगी और उपखंड (३) में यह कहा गया है कि उपधारा (१) में नियत सीमा से अधिक भूमि ऐसी सोसाइटी ले सकती है जो रजिस्टर्ड हैं और जो सहकारी समिति भूमि नही रखती हैं। इसके आगे (४) में यह दिया गया है कि ऐसे लोग जो औद्योगिक प्रयोजनों के लिये भूमि लेना चाहते हैं या अपने उद्योग बढ़ाने के लिये भूमि चाहते हैं ऐसे लोगों को भी जमीन लेने की साढ़े १२ एकड़ से अधिक सरकार इजाजत दे सकती है।

श्रीमन्, इसमें देखा जाय कि एक ज्ञापन है, जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ के उन उपबंधों के संबंध में ज्ञापन पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं। इसको अगर पढ़ा जाय तो क्रम संख्या ४ के खंड ८ के पढ़ने से स्पष्ट मालूम हो जाता ई कि सरकार की रीति नीति क्या है "राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह १९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ की धारा १५४ की उपधारा (१) में नियत सीमा से अधिक भूमि के संक्रामण को प्रतिषिद्ध करे, यदि ऐसा संक्रामण किसी पंजीबद्ध सहकारी समिति के हित में अथवा सर्वसाधारण के हित में हो"। सरकार ने सर्वसाधारण के हित इस में नहीं बतलाये हैं। शायद उनको अलग से बतलाया जाय। सर्वसाधारण के महत्व का फैसला करने का अधिकार सरकार को मिला हुआ है। अब कैसा फैसला कर दे यह उसके मन की बात है। इसमें श्रीमन्, आगे देखा जाय कि "यह खंड राज्य सरकार को यह भी अधिकार देता है कि वह उस प्रमाण पत्र का आकार पत्र नियत करे जिसे उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश किसी भी उद्योगपति अथवा इच्छुक उद्योगपति को इस कारण देगा कि वह पूर्वोक्त नियत सीमा से अधिक भूमि अर्जित कर सके।" श्रीमन् माननीय रामचन्द्र विकल इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने सरकार के ऊपर जबरदस्त हमला किया था और साफ कहा था कि मोदीनगर में एक बड़े भारी मिल मालिक हैं, उनके लिये यह सरकार जमीन एक्वायर करके दे रही है। १,१ और २,२ एकड़ जमीन जोतने वाले किसानों की जमीन एक्वायर करके मोदीनगर को दी गई और वह खेती कर रहे हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यहां एक्वायर नहीं होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—एक्वायर नहीं होगी, दान में दी जायगी। पैसा ले कर दी जायगी। वह तो आज भी है, लेकिन साढ़े १२ एकड़ से अधिक न लेने का जो प्रतिबन्ध आपने लगा रखा था उसमें आप छूट दे रहे हैं।

(इस समय १२ बजे अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुये।)

मैं जानता हूं कि यह चीज कैसे लोगों के लिये है। कैसी सोसाइटियों को यह छूट दी जायगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको याद होगा कि आप की मौजूदगी में सरकार की ओर से अधिकतम जोत सीमा निर्धारण विधेयक पास हुआ था और माननीय राजस्व मंत्री जी ने उस समय बड़े जोश से कहा था कि इस विधेयक के पास हो जाने से उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जमीन हमको मिल जायगी । लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया । सारे उत्तर प्रदेश में कुल साढ़े सात हजार एकड़ जमीन मिली ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस विधेयक में कुछ धारायें ऐसी हैं कि जिन पर वैधानिक आपत्ति हो सकती है और मेरा कहना यह है कि इसलिये यह बिल यहां पेश नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता—अब इस पर विचार शुरू हो गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—इसमें भारत के संविधान की हत्या हो रही है । किसी स्टेज पर भी मैं आदरणीय सदन का ध्यान उस ओर दिला सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—यह किस नियम के अनुसार कह रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—इसके २—क में दिया हुआ है । (१) यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—आपका यह व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अनुसार है ? जब यह पुरःस्थापित किया गया था, उस समय यह प्रश्न आना चाहिये था ।

श्री काशीनाथ मिश्र—मैं तो पहिले पहल इस बिल का अवलोकन कर रहा हूं । श्रीमन्, हम इसे पास कर लें और हाईकोर्ट से यह नल ऐंड वायड हो जाय तो उसमें सदन की मर्यादा क्या रह जायेगी ? अगर इसी स्टेज पर हम इसे देख लें तो ठीक होगा ।

श्री अधिष्ठाता—अब तो इस पर बहस शुरू हो गयी है, वह होगी । जिस समय वह धारा आये, उस पर विचार होना प्रारम्भ हो, उस समय अपनी आपत्ति उठाइयेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आपकी आज्ञा हो तो मैं साफ कर दूं । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कांस्टीट्यूशन में उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य सूबों का डिलिमिटेशन हो चुका है और हमारी प्रांविशियल आटोनामी है, तो इसमें प्रश्न यह है कि हम अपनी प्रांविशियल आटोनामी के अन्दर काम कर रहे हैं या बाहर ?

श्री अधिष्ठाता—इस प्रकार की आपत्ति इसके पुरःस्थापित होते समय हो सकती थी । जब इस पर बहस शुरू हो गयी तो इस प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती । अब जब वह क्लाज आये, उस समय आप आपत्ति उठाइयेगा ।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—अगर ऐसी बात है तो वह क्लाज निकाल दिया जायगा । तब तक आप हमको समझा दीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं यह निवेदन कर रहा था कि साढ़े सात हजार एकड़ जमीन उस विधेयक से हमको प्राप्त हुई । इस से स्पष्ट है कि सरकार सही मानों में बड़े लोगों की जमीन छीनना नहीं चाहती । इस संशोधन के जरिये सरकार चाहती है कि अगर कोई कोआपरेटिव सोसाथटी इस तरह की बनायी जाय तो उसको ज्यादा जमीन लेने का अधिकार रहेगा । किन लोगों की यह कोआपरेटिव सोसाइटी बनेगी यह स्वास्थ्य मंत्री जी को बतलाना चाहिये था । क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही परिवार के बड़े-बड़े लोग इकट्ठा होकर अपनी जमीन पर एक सोसाइटी बना लें । इस विधेयक में ऐसे लोगों के लिये आपने क्या रोक रखी है ? जो बड़े आदमी हैं, जो जमीन को सरकार से बचाना चाहते हैं, और लेना भी चाहते हैं, उनके लिये यह सरकार

क्या प्रतिबन्ध करेगी कि ऐसे लोग साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकगे। आप देखें कि इसमें खुली छूट है। मेरा निश्चित आक्षेप इस सरकार पर है कि वह ऐसे ही लोगों को छूट देने के लिये बड़े बड़े कोआपरेटिव फार्मों के नाम पर ऐसा कर रही है। इसीलिये इस प्रकार का संशोधन सरकार की ओर से आया हुआ है। परन्तु ऐसा करने में किसी बुद्धि का परिचय नहीं दिया गया है जिससे साफ जाहिर है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कुछ नहीं करेगी बल्कि उनको खुली छूट है। परन्तु छोटे छोटे लोगों को जिनके पास १–२ एकड़ भूमि है, उनकी सोसाइटियां हैं, उनकी कोई भी चर्चा नहीं है और न उनको कोई छूट ही है।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि और प्रदेशों की नकल हमारे मंत्री जी करना पसन्द करते हैं। वे बड़े क्रांतिकारी हैं और पुराने समाजवादी भी अपने को कहते हैं। परन्तु वे जरा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की नकल करें, उनका अनुसरण करें, तो अधिक उपयुक्त होगा। आप देखें कि उन्होंने क्या किया है। आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि वहां एक बिल आया जिसमें ५० हजार एकड़ भूमि महाराष्ट्र की मिल मालिकों ने जिन्होंने हजारों एकड़ के फार्म बना रखे थे, उस भूमि को बिल द्वारा छीन लिया गया। यही नहीं केन्द्रीय सरकार और नियोजन आयोग ने यह कहा कि यह काम नहीं हो सकता कि बड़े बड़े फार्मों को, जो मिलों के हैं उसको सरकार ले ले। लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना और कहा कि गरीब लोगों के हक में ऐसा करना उचित है। जहां करोड़ों लाखों आदमी बिना भूमि के हैं जहां गरीबी बेकारी और भुखमरी फैली है, तो उस के निवारण के लिये ऐसा करना नितान्त आवश्यक और वांछनीय ही होगा। ऐसा कहकर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार की बात को ठुकरा दिया और वह ५० हजार एकड़ जमीन छीन ली। इसके पश्चात् वह भूमि भूमिहीनों में, गरीब किसानों में वितरित कर दी गई और उनकी कोआपरेटिव सोसाइटियां बना दी गईं।

श्रीमन्, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या करने जा रहे हैं। क्या आप भी महाराष्ट्र सरकार का अनुसरण करेंगे, क्या आप भी उनके पदचिन्हों पर चलेंगे? मैं भली प्रकार से जानता हूं कि किसान जितनी मेहनत करते हैं, उसका पैसा भी उन्हें नहीं मिलता है। यहां पर श्री दाऊदयाल खन्ना, गन्ना मंत्री बैठे हुये हैं, वे बतायेंगे कि १९५४ का क्या बकाया है। हमारे प्रदेश में श्री गोविंद वल्लभ पंत के संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने यह कहा था कि चीनी का भाव बढ़ेगा, उससे किसानों को लाभ होगा, वह सारा पैसा गन्ना किसानों को ही दिया जायगा। परन्तु आप देखें कि वह पैसा किसानों को न दिला कर उन्हीं मिल मालिकों को फिर से नवीकरण के लिये दिया जा रहा है। यह कितना घोर अन्याय है?

माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान में श्री चन्द्रभानु गुप्त के दिये गये गोरखपुर के भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दिया था। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया गन्ना मिल मालिकों ने ले रखा है, जिसमें कि गरीब किसानों का धन भी शामिल है, परन्तु इसके बाद भी वे दक्षिण में मिलें बना रहे हैं। इस तरह से एक तरफ तो चीनी मिल मालिकों के लूटने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ उनको छूट भी दी जाती है। यहां कहां तक उचित है, इसका समाधान होना चाहिये। यह कितना गलत है कि गरीब जनता से कम भाव में जमीन को खरीदने की कोशिश की जा रही है। श्रीमन्, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पीछे न जाय, देश आगे बढ़ना चाहिये और मिल मालिकों को लूटने की छूट नहीं मिलनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जल्दबाजी है? लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, उसको न तब्दील करने की जरूरत है और न इच्छा ही है। उसमें छूट देने के पुराने तरीके ही चले आ रहे हैं कि खाते और गांव पर किस प्रकार छूट दी जाती है। १८८७ में जो फैमिन कोड बना उसको बदलने की भी इच्छा नहीं है। कुछ दिक्कतें बढ़ गयीं, उनको दूर करने के लिये ऐक्ट ला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि किन किन लोगों की दिक्कतें सरकार के सामने आयीं? कौन कौन उद्योगपति प्रदेश में ऐसे हैं, जिन्होंने सरकार के पास या उद्योग संचालक के पास प्रार्थना-पत्र दिया कि हमें जमीन दी जाय जिससे उद्योगों को फैला सकें और गांव के वह कौन लोग हैं जो जमीन चाहते हैं। आप देखेंगे

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

कि इस अधिकार को सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया। जमीन देने के सम्बन्ध में सरकार ने ज्ञापन किया है कि हम कोई फार्म तो नहीं बनायेंगे लेकिन जमीन देने का फैसला डायरेक्टर उद्योग करेगा आप नहीं करेंगे। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उत्तर प्रदेश का उद्योग संचालक मंडल इस सदन की राय की उपेक्षा करता है और प्रदेश के गरीबों की उपेक्षा करता है। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में डायरेक्टर और अन्य अधिकारी खेलते हैं। मैं इसके हजारों सबूत दे सकता हूं। ऐसे लोगों के हाथों में फैसला करने का अधिकार देना कहां तक उचित है ?

साथ ही आप देखेंगे कि इस विधेयक में कहीं भी प्रतिबंध नहीं है कि साढ़े बारह एकड़ से ऊपर कितने एकड़ तक जमीन ली जा सकती है। २५,५० एकड़ कोई लिमिट नहीं है। इसमें चर्चा ही नहीं है। बस फैसला हो जायगा और किसान से जमीन ले ली जायगी। तो इस तरह का सरकार के ऊपर आक्षेप है। अगर सरकार की ओर से कोई बात साफ आयी होती तो उसको सोचने–समझने में सहूलियत होती, लेकिन भाषण में भी चर्चा नहीं की गयी। तो इस प्रकार का विधेयक एकदम सदन के सम्मुख उपस्थित कर दिया गया। मैं निवेदन करूंगा कि कि यदि सरकार चाहती है कि सही माने में गरीब लोगों को, किसानों को फायदा पहुंचे और इस प्रकार से यह कार्य संचालित हो कि उद्योगपति जमीन को लेकर ईमानदारी से काम कर सकें तो आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय जहां पर उचित रूप से इस पर विचार किया जा सके। श्रीमन्, जहर बहुत छोटा होता है, मगर उससे मृत्यु हो जाती है। उसी तरह का यह विधेयक है। इससे गरीब लोग बसने नहीं पायेंगे। मैं नहीं समझता कि इसको जल्द-बाजी क्यों है.....

श्री नरसिंहनाराण पांडेय––मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। मेरा यह स्पष्ट मत है कि इस विधेयक में जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं और उसमें रिवर के एक्शन के बारे में जो लिखा गया है उस पर यहां बहस नहीं हो सकती। कहीं ऐसा न हो कि इस बहस करने के बाद उससे इस विधेयक की मंशा पर कुठाराघात हो जाय।

श्री अधिष्ठाता––इसके बारे में मैं कह चुका हूं, विधेयक पुरः स्थापित हो चुका है, उस पर बहस हो जाय, जब वह संशोधन आये तब आप आपना प्रश्न रख सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय––श्रीमन्, पार्लियामेंट के जो लिमिटेशन्स हैं, उसके रहते हुये जो उद्देश्य और कारण इसमें दिये गये हैं उस पर चर्चा कैसे हो सकती है। मैं संविधान के आर्टिकिल ३ को पढ़ दूं––उसमें लिखा है:––

"Parliament may by law—(*a*) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State ;"

मेरा कहने का मतलब यह है कि विधान सभा को यह हक ही नहीं है कि वह उस पर विचार कर सके। पार्लियामेंट ही उस पर विचार कर रसकती है।

श्री अधिष्ठाता––इस समय कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठ सकता है, जब वह खंड आये तब आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय––इसी तरह से आप देखें श्रीमन्, कि जो जमीन बाढ़ से कट जाती है और दूसरी जगह चली जाती है, उसके लिये यह सरकार नहीं सोचती और प्रयत्न करती है कि उसको अपने हक में ले ले। उदाहरण के लिये मैं बलिया का उदाहरण देना चाहता हूं। बाढ़ से कट कर बहुत सी जमीन बिहार के इलाके में चली गयी। आप को जानकारी होगी कि सन् १८४० का शायद यह मामला है और आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार उस भूमि को बिहार वालों से नहीं ले पायी है। बिहार वाले बलिया जिले की

कितनी ही जमीन पर कब्जा किये बैठे हैं, वहां की पुलिस और सरकार ने इनकी हस्ती चकनाचूर कर दी है। १० बार हमने कहा, उस समय गौरीशंकर राय जी ने कई बार कहा था, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती है उस जमीन को वापस लेने की और उसको वहां के निवासियों को वापस दिलाने की। यह दो साल के लिये संशोधन आया है, सवाल दो साल का नहीं है। जो एक जिले की जमीन कट कर दूसरे जिले में चली जाती है उसपर सरकार को सोचना चाहिये, जिनकी जमीन है उनको उसे दिलवाना चाहिये। इस संशोधन विधेयक से विदित होता है कि हम उन किसानों की कोई सहायता नहीं कर पाते। यह प्रश्न बड़ा गंभीर है और किसानों के पुश्त दर पुश्त की जमीन का सवाल है। उनको हक देने के लिये संशोधन विधेयक सदा के लिये आना चाहिये।

जहां तक गांव समाजों की सम्पति की बात है, कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। कुछ ने गांव समाजों की रजामंदी से ही कब्जा किया है, कुछ भूमिधर हो गये हैं, मालगुजारी देते हैं। उसके बाद उन्होंने उन जमीनों पर निर्माण भी कर लिये हैं, कुंए, झोपड़ी और मकान बना लिये हैं। अब सरकार उनको लेना चाहती है और प्रति कर भी देगी। क्या बताया जाय? जबरा मारे रोने न दे। उसके पास पुलिस है, गोली है, लाठी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मैंने जो सवाल उठाया था, उस पर आप अपनी रूलिंग दें कि यह तो पार्लियामेंट का हक है।

श्री अधिष्ठाता—जब वह खंड आये तब देखा जायगा। इस समय कोई प्वाइंट आफ़ आर्डर नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उसको भी सरकार प्रति कर देकर लेना चाहती है। यह सब को ही मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या प्रतिकर देती है। देश के सारे सूबों से कम प्रतिकर उनका है। अब यह मुआवजा कब दिया जायगा? जब कागजात में चढ़ जायगा, सरकार का कब्जा हो जायगा। मधुबन सड़क १९५२ में बनी थी। आज दस साल हो गये, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। जब विदेशी सरकार थी निर्माण के काम उस समय बहुत कम होते थे, थोड़ी सी जमीन ही किसानों की ली जाती थी, लेकिन आज किसानों की जमीन छीन कर सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है। गरीब किसानों से जमीन छीन कर सरकार मुआवजा देती है मालगुजारी का २५ गुना, लेकिन मध्यप्रदेश के नियमों को सरकार नहीं देखती है। रिहन्द बांध के सिलसिले में कितना मुआवजा इसी सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को दिया, लेकिन उतना मुआवजा सरकार अपने यहां के किसानों को नहीं दे सकती। सरकार बिना मुआवजा दिये बिना मालगुजारी माफ किये पुलिस के जरिये छोटे छोटे किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लेती है। वही इस विधेयक में किया जा रहा है। गेंदासिंह जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि यह प्रतिकर देने का उत्तर प्रदेश में तरीका बदला जाय। मध्य प्रदेश की नकल कीजिये, बाम्बे, मद्रास या राजस्थान की नकल कीजिये जहां प्रतिकर देने की अच्छी व्यवस्था है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हमने माल विभाग को लिखा है और उस पर विचार किया जायगा। फिर क्या जल्दी पड़ी थी श्रीमन्, माल विभाग से, बोर्ड आफ रेवेन्यू से कुछ राय आ जाती तो इस विधेयक में वह भी संशोधन हो जाता, जिससे इस प्रदेश के लाखों करोड़ों जो किसान हैं, छोटे किसान जिनकी जमीन पुश्त दर पुश्त से उनके पास थी और जिनसे उनकी जिन्दगी चलती थी, उनको सरकार छीनना चाहती है और छीन कर बल पूर्वक कब्जा करने जा रही है, अगर यह भूमि संशोधन विधेयक उस वक्त आता तो किसानों को राहत मिलती और सरकार को आशीर्वाद मिलता, लेकिन सरकार को बहुत जल्दी पड़ी है और जल्दी में पड़ कर उद्योगपतियों के लिये, बड़े बड़े लोगों ने जो सोसाइटीज बनायी हैं, उनको मदद देने के लिये इस संशोधन विधेयक को लाये हुए हैं।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, यह सही है कि यह एक छोटा सा विधेयक है, लेकिन संशोधनों को जब देखता हूं और मूल अधिनियम को पढ़ने के बाद तो मैंने यह नतीजा निकाला है कि सरकार को चाहिये कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे और भेज कर के जो अपने प्रदेश के किसानों की स्थिति है, अपने प्रदेश में माल के सम्बन्ध में जितने कायदे कानून बने हुए हैं किसानों को सहायता देने के लिये, उनकी जमीन का मुआवजा देने के लिये, उन पर भी गौर किया जाय और गौर करके एक ऐसा विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय जिससे सैकड़ों किसानों को और छोटे-छोटे किसानों को राहत मिले। अगर इस तरह का कानून या संशोधन विधेयक आवे तो उससे ज्यादा लाभ हो सकता है और हमारे ऐसे आदमी सरकार को आशीर्वाद भी दे सकते हैं। लेकिन यह सरकार इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये तैयार नहीं और छोटे कानून के नाम पर, अपने बहुमत के बल पर इसे पास कराना चाहती है। श्रीमन्, हमारे ऐसा आदमी इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता। मैं पुरजोर आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ४–५ दिन के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें ताकि खुले वातावरण में भिन्नता छोड़ कर बैठ कर आपस में विचार विमर्श करें कि किसानों के हक क्या हैं और उस संशोधन विधेयक की धाराओं के अतिरिक्त और भी कुछ धारायें लाकर इस विधेयक में जोड़ लें जिससे किसानों को ज्यादा फायदा पहुंचे। इसी उद्देश्य से मैंने इस संशोधन विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है और मैं समझता हूं कि मैंने जो अपील की है इस हाउस के सामने वह इसी आशय से की है। उधर के बैठने वाले सदस्य इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। माननीय राम कुमार शास्त्री जी माननीय कृष्णानन्द राय जी व आजमगढ़ के माननीय इन्द्रासन सिंह से मैं अपील करूंगा––गोरखपुर के माननीय सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं––वे अपनी सरकार को समझावें क्योंकि हमारी बात को समझने के लिये तो यह सरकार तैयार ही नहीं है। जब हम कभी इस तरह की कोई बात कहते हैं तो सरकार चौंकती है, इसलिये आप लोग ही अपनी सरकार को समझा कर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे गरीब किसानों को रोजमर्रा की जिन्दगी में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वे किसान जिनके पास एक बिस्वा जमीन है, या एक एकड़ जमीन है जिस पर वे पुश्त दरपुश्त से खेती करते आते हैं, उसे आप ४० रुपये मुआवजा देकर ले लेना चाहते हैं। यदि सरकार उनकी जमीन छीन लेना ही चाहती है तो ऐसे गरीब किसानों की मदद करने के लिये वह उसे इतना रुपया तो दे दे जिससे वे उसी पैसे से दूसरी जगह जमीन खरीद लें। आप देखेंगे कि गाजियाबाद के सवाल पर सरकार मुकर गयी। सरकार यह भी कहने को तैयार नहीं है कि जिन किसानों की जमीन छीनी गयी है या छीनी जा रही है, उनको उसी किस्म की और उसी रकबे की जमीन दूसरी जगह दे देगी। इस वक्त जमीन की कमी नहीं है, लेकिन उसे भी गवर्नमेंट करने के लिये तैयार नहीं है। जो उचित मुआवजा होता है वह भी सरकार देने को तैयार नहीं है और वह लाठी, जेलखाना, पुलिस और गोली के बल पर किसानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है और बड़े उद्योगों के मालिकों के हाथ में जमीन लेकर अपने को बरकरार रखना चाहती है। माननीय राजस्व मंत्री जी अब यहां आये हुये हैं, वह बुजुर्ग आदमी हैं और सूबे के किसानों का उन्हें सदा ध्यान रहता है तो मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट मुआवजे के कानून को बदलें और इस तरह से यह तमाम जरूरी चीजें इस संशोधन विधेयक में लाई जा सकती हैं। यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० जो यह ५–६ ऐक्ट यू० पी० में भूमि के संबंध में लागू हैं उन सब के लिये यह संशोधन है। इन ४–५ दिनों में एक सिरे से इन तमाम ऐक्टों में उचित संशोधन हो सकते हैं और इनकी परिधि को बढ़ाया जा सकता है। इससे इस सरकार को भी राहत मिलेगी और आये दिन जो किसानों की तरफ से प्रतिकर बढ़ाने की बात होती है ....

श्री हुकुमसिंह विसेन—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपके द्वारा ताकि कुछ सफाई हो जाय और जवाब देने में सहूलियत रहे । कृपया वह यह बता दें कि संशोधन के लिये उन के दिमाग में कौन-कौन सी खास चीजें हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आप मुझे माफ करें, मैं सब बता चुका हूं, आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ लें, मैं दोहराऊंगा तो आप कहेंगे कि रिपीटीशन हो रहा है । राजस्व मंत्री जी हमारी बात सुनेंगे नहीं, अपनी बात कहते चले जायंगे । वह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछ लें कि मैंने क्या-क्या कहा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो हम जानना चाहते थे, वह आपने नहीं कहा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आप बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, हमसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन मैं यह आप से चाहूंगा कि आप जो कारण मैंने बताये हैं उन को समझ कर इस को अवश्य ही प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें और मैं सदन से भी आशा करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेगा ।

***श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव माननीय पांडेय जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे आशा है कि मंत्री जी उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे । मंत्री जी ने जो अभी जानना चाहा कि परिधि बढ़ाने से क्या तात्पर्य है, मैं उनकी इच्छा के अनुसार कुछ सुझाव दे रहा हूं, सम्भव है कि वह उनसे सहमत हों । जब जमींदारी थी और उस वक्त जो मुआहिदा किसान और जमींदार के बीच में होता था वह सरकिल रेट से तय नहीं होता था, बल्कि वह सरकिल रेट से कई गुना अक्सर होता था । आज भी पड़ताल से पता चलेगा कि हेरेडिटरी रेट से लगान कई गुना ज्यादा है, इसलिये इसका प्रवर समिति में इसलिये भी जाना आवश्यक है कि आज किसान लगान से पिस रहा है और वह सरकिल रेट व हेरेडिटरी रेट से कई गुना अधिक लगान दे रहा है । जब कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट के अन्दर तमाम तरह के किसान थे, सीर, खुदकाश्त, साकितुलमिल्कियत, और नाना प्रकार के खातेदार थे और जो सरकिल रेट और हेरेडिटरी रेट है या जो आकुपेंसी टीनेन्ट्स का रेट है उससे कई गुना आज किसानों पर लगान अधिक है । इस पर विचार होना चाहिये और आज किसान महसूस करता है कि उसके पास कचहरियों में खर्च करने के लिये पैसा नहीं है । जो मुआवजे का कानून बना है वह वही पुराना है, जबकि मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, किसान के पास साईकिलें हो गई हैं, वह मोटर पर चलने लगे हैं, जौ की जगह गेहूं खाने लगे हैं । मोटे कपड़े की जगह इकलाई पहनने लगे हैं, तो उस स्टैण्डर्ड को मेनटेन करने के लिये मुआवजे का रेट अधिक होना चाहिये ।

दूसरे आज ऐसे बहुत से मुकदमे चलते हैं भाई-भाई में जब इस्तकरार होता है तब सरकार फरीक होती है जिसमें नाना प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं । अगर कोई जा कर सरकारी वकील को कुछ दे देता है तो वह कह देता है हमको कोई एतराज नहीं है, अन्यथा एतराज हो जाता है । ऐसी सूरत में उनके पास गाँव समाज का रजिस्टर होता है, उसमें सारी सम्पत्ति दर्ज होती है, अगर गाँव समाज की सम्पत्ति है तो ऐसे केसेज में सरकार फरीक होती है । २०६ की बेदखली में अभी सरकार चाह रही है स्टेट गवर्नमेंट को फरीक मुकदमा बनाया जाना जरूरी है, लेकिन हम देखते हैं कमजोर काश्तकार पर दूसरे धींगई से कब्जा कर लेते हैं । इसलिये ऐसे केसेज में सरकार दो महीने का नोटिस दे तब जा करके मुकदमा चलाये । इन सब बातों के कारण हम सोचते हैं कि सरकार को फरीक मुकदमा नहीं बनाया जाय । केवल उन केसेज में बनाया जाय जो गाँव समाज की सम्पत्ति है । २०६ में जो अब तक नहीं था उनसे भी अधिकार लेने की सोच रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हिम्मतसिंह]

जो भूमिधर १९४९ से लेकर अब तक बनाये थे, उनको हक दिया था बेचने का। आज उसको वापस किस कारण से लिया जा रहा है वह उद्देश्य में दिया है, लेकिन जो काश्तकार हैं, गरीब हैं, बुढ़िया हैं, आज मार्केट में कम्पीटीशन चलता है जो अधिक पैसा देता है उसको बेचते हैं। अब वह नहीं कर पायेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसायटीज आदि के लिये कहा गया है उन्हीं को हम बेच सकते हैं। ऐसी सूरत में जो गरीब बुढ़िया या काश्तकार है, जो भूमिधर है अपनी जमीन का पूरा मुआवजा नहीं पा सकता है। इन सारी बातों को सोचते हुए हम देखते हैं इस बिल से एक बड़ा परिवर्तन लाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजें जिससे वहां सारी बातों पर विचार हो सके। यह भी मालूम है कि जो गाँव समाज की सम्पत्ति है उसका पूरी तौर से संरक्षण प्रधान नहीं कर पाता है, मुकदमे नहीं चलाता है, जो जिस के पास है वही उसे जोत रहा है। कभी कभी लेखपाल से मिल कर सारी सम्पत्ति को दूसरों के हाथ उठा देता है और प्रधान उसका पूरा उपयोग कर रहा है। ऐसी सूरत में जरूरी है कि जो गाँव समाज की सम्पत्ति के रक्षण का अधिकार दिया गया है उसका ठीक तरह से निर्वहन हो। आज कानूनगो के अन्तर्गत देख रेख कर दी जाय कि वह एक साल में पड़ताल करें कि किसके पास गाँव समाज की जमीन है, उस पर किसका कब्जा है। लेखपाल से प्रधान मिल कर दसियों साल से गाँव की सम्पत्ति दूसरों के हाथों में दिये है। जो प्रभावशाली जमींदार हैं वे अपनी जमीन को नहीं जोत रहे हैं और बंजर को अपने नाम लिखा रखा है जब कि वह अब तक गाँव समाज की सम्पत्ति हो जानी चाहिये थी, लेकिन गाँव के प्रधान का इतना प्रभाव नहीं है जो जमींदारों पर हावी हो सके। इन सब कारणों से लाजिमी है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय, क्योंकि जो बहुत सी कठिनाइयाँ पड़ रही है उनका हल वहाँ निकल सके। चाहे आप, १, २, ३ दिन के लिये ही भेजें, लेकिन वहाँ इसमें कुछ न कुछ तरमीम अवश्य हो जायगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लिहाजा इसको प्रवर समिति में अवश्य मंत्री जी भेज दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक पेश है मैं समझता हूं, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है और जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसमें भी अधिक सुधार की आवश्यकता है। इसलिये मेरा कहना है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। अगर माननीय मंत्री जी मुनासिब समझें तो इसे वापस लें और रिड्राफ्ट करके सदन के सामने पेश करें। अगर हम इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "उक्त अधिनियम का प्रसार केवल उन्हीं क्षेत्रों में है जो २६ जनवरी, १९५१ को उत्तर प्रदेश राज्य के भाग थे और उन क्षेत्रों में नहीं है जो इस राज्य के क्षेत्र में नदी की क्रिया द्वारा उक्त दिनांक के बाद बढ़ गये।" ये जो लाइनें उद्देश्य और कारण में हैं, हमारा ध्यान इस विधेयक की धारा २–क (१) की तरफ आकर्षित करती हैं जिसमें लिखा है "यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है।" श्रीमन्, जहाँ तक यह अधिनियम है इसमें यह मूल खंड रखा गया है। इसका कुछ मतलब है। हमारे प्रदेश के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो वास्तव में क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन नदियाँ चूंकि समय समय पर अपना रास्ता बदलती रहती हैं इसलिये एक स्थिति पैदा हो गयी है कि उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत क्षेत्र बिहार राज्य में चले गये हैं या अन्य प्रदेशों में चले गये हैं। अगर इस उद्देश्य से कोई विधेयक लाया गया है तो मैं समझता हूं कि विधान के अनुच्छेद ३–(बी) व (सी) की तरफ म ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है—

"(*b*) increase the area of any State.

(c) diminish the area of any State."

उस एरिया को बढ़ाना है तो यह अधिकार किस को है? यह अधिकार केवल केन्द्रीय सरकार को है जो लेजिस्लेशन के जरिये इस क्रिया को कर सकती है, लेकिन इस विधेयक में यह क्रिया

रख कर हमारे प्रदेश की सरकार या यह सदन संविधान को वायलेट करता है। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर कहीं यह विधेयक पास हो गया तो बहुत से मुकदमें चलेंगे और नतीजा यह होगा कि किसानों को बड़ी परेशानी का मुकाबला करना पड़ेगा। लिहाजा माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें। इसकी शब्दावली को दुरुस्त करें और अगर ला डिपार्टमेंट राय दे तो इस सेक्शन को निकाल दिया जाय जिससे वह स्थिति पैदा न हो। पूर्वी जिलों के किसान तो गरीब हैं, गुर्बत से मर रहे हैं उनके लिये मुकदमेबाजी करना, कत्ल करना, अन्य जरायम करना—यह सब इस विधेयक के इस खंड के जरिये से बढ़ेंगे, लिहाजा माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या इसको वापस करके रिड्राफ्ट किया जाय और तब तक इसे पारित न किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, अभी माननीय नरसिंह नारायण जी ने जो भाव व्यक्त किये हैं उनसे मैं सहमत हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक बात, अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य उनके कहने में नहीं आयेंगे नहीं तो बलिया का बड़ा नुकसान होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—माननीय राजस्व मंत्री जी की भावना का मैं आदर करता हूं और यह चाहता हूं कि उनके द्वारा ऐसे ही बिल पारित किये जायं, जिनसे उत्तर प्रदेश के उन जिलों को, खास कर बलिया जिले को राहत मिले जहां कि नदियों की प्रक्रिया से हजारों एकड़ जमीन बिहार में चली गयी है और ऐसा भी हुआ है कि कुछ जमीनें वहां की कट कर हमारे यहाँ भी आ गयी हैं, लेकिन बहुत कम। अगर हमारी राज्य सरकार जो जमीन बिहार से कट कर आयी है, उसको पकड़ने के लिये कोई ठोस नियम बना देती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती हैं। आज उत्तर प्रदेश के बहुत से किसानों की जमीन बिहार में है, जिस पर वह काबिज हैं। उनके कागजात बिहार को ट्रांस्फर हो गये हैं और बिहार सरकार को वे लगान देते हैं, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप बिहार सरकार भी कोई ऐसा कानून बना सकती है जिससे कि यहां के किसान अपनी उस जमीन से बेदखल हो जायं। इस बिल की बहुत सी धाराओं का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उन धाराओं के जरिये गांव सभाओं को बहुत से हक दिये गये हैं, लेकिन जैसा कि माननीय नरसिंह नारायण जी ने कहा कि इसकी ड्राफ्टिंग में कुछ कमी है, इसलिये मैं चाहता हूं कि साफ तरीके से इसकी रिड्राफ्टिंग हो जाय जैसा कि आपने कहीं-कहीं पर लोकल अथारिटी रख दिया है। सरकार का आशय लोकल अथारिटी से ग्राम प्रधान या गांव समाज से होगा। या इसमें मीनाशय या जंगल का जिक्र किया गया है। अतः इसमें साफ ग्राम प्रधान या गांव समाज लिख दिया जाय और मीनाशय आदि के लिये लिख दिया जाय कि जो जंगल या मीनाशय गांव के पास होंगे उन सब पर ग्राम प्रधान या गांव समाज को या गांव की कमेटी को उसका प्रबन्ध करने का हक होगा।

इसके अलावा धारा ३(क) जिसके बारे में अभी रेफरेंस दिया गया और जिस पर पार्लियामेंट की वैधानिक आपत्ति उठायी गयी (कि हमारा अधिकार नहीं है) मैं समझता हूं कि अगर उस धारा को हटा कर यह कर दिया जाय कि नदी की प्रक्रिया से अगर कोई क्षेत्र बढ़ जाता है तो जिस गांव में वह बढ़ेगा उस गांव समाज को उसका अस्थायी रूप से प्रबन्ध करने का अधिकार होगा। अभी बलिया और बिहार के बीच नदियों के बीच की धारा सीमा मान ली गयी है, लेकिन किसी भी दो राज्यों की सीमा कोई फलक्चुएटिंग प्वाइंट नहीं होना चाहिये। आज गंगा और घाघरा की धारा हर साल कोई चार फरलांग में अपने स्थान को बदलती है जिसके कारण इस साल जो गांव बिहार में है अगले साल वह उत्तर प्रदेश में हो जाता है या उत्तर प्रदेश की जमीन बिहार में चली जाती है। अतः यह पोजीशन खत्म होनी चाहिये। पिछले कई सालों से इस ओर राजस्व मंत्री और सरकार का ध्यान दिलाया जा रहा है कि इन दो राज्यों की सीमा कोई निश्चित मुकाम तय कर दें, लेकिन जबतक वह निश्चित मुकाम

[श्री काशीनाथ मिश्र]

तय नहीं होता तब तक नदी की बीच धारा मानी गयी है जिसके फलस्वरूप यह गड़बड़ियां होती हैं। अतः धारा ३ को हटा कर यदि यह कर दिया जाय कि अगर नदी की प्रक्रिया से कहीं हमारा क्षेत्र बढ़ जाता है तो जिस गांव में वह क्षेत्र बढ़ता है उस गांव को अस्थायी रूप से उसका इन्तजाम करने का हक होगा।

इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का जो सुझाव प्रवर समिति में भेजने का है, वह स्वीकार किया जाय नहीं तो बलिया में बड़ी गड़बड़ी होगी और बलिया और बिहार के किसानों में आपस में झगड़ा होगा, लाठियां चलेंगी और प्रतिशोधात्मक भावना उत्पन्न होगी बिहार के किसानों में। अतः मैं चाहता हूं कि इसको सोच समझ कर धारा ३ को फिर से रिड्राफ्ट करें या पूरे बिल को प्रवर समिति में भेज दें कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है। एक हफ्ते के अन्दर इसकी रिड्राफ्टिंग हो जाय। बहरहाल इसको वापस ले कर रिड्राफ्ट कर के फिर से पेश करें तो अच्छा होगा।

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---मान्यवर, आज हम इस प्रकार के विधेयक पर विचार कर रहे हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राजस्व मंत्री थोड़ी देर बाद आयेंगे और कहेंगे कि इसकी परिधि बढ़ाने के लिये आप क्या चाहते हैं? जब ऐसी बात है तो श्रीमन्, उनको यहां रहने की आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता---वह तो हर एक को राइट है। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामसिंह---मान्यवर, आज हम ऐसे विधेयक पर विचार कर रहे हैं कि जो आज संशोधन सदन में उपस्थित है, उनके अलावा और संशोधनों की आवश्यकता थी। उदाहरण के रूप में मैं जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट का रिफरेंस देता हूं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भूमि के एक्वायर करने की बात सोचते हैं वहां दूसरी तरफ एक तबके की तरफ ध्यान देने की जरूरत है जिसकी संख्या बहुत अधिक है। वह भूमिहीन तबका है और उसके लिये आवास की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है और एक मुख्य समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मालूम होगा कि गरीब आदमियों के रहने के लिये भूमि नहीं है। उनको भूमि दिलाने के लिये कोई प्रावीजन आना चाहिये था। मैं अपने जिले की समस्या से परिचित हूं। मैं उदाहरण दे सकता हूं कि एक एक आदमी को भूमि लेने के लिये मुकदमेबाजी में १५/१६ हजार रुपया खर्च करने की नौबत आ गई। आज जहां हम तरक्की की बात सोचते हैं वहां रहने के लिये गरीब आदमी को मकान बनाने तक की सुविधा नहीं है। आप कहेंगे कि हमने ग्राम सभाओं को अधिकार दे दिया है कि जो कामन परपज के लिये जमीन छोड़ी गई है उसमें से गरीब आदमियों के लिये जमीन दी जा सकती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं और मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि किसी मजदूर को जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि दिलाने का प्रयत्न किया गया हो।

आज हम देखते हैं कि जमींदारी प्रथा समाप्त की गई, लेकिन मैं उदाहरण दे सकता हूं कि गरीब आदमी को कूड़ा-करकट तक डालने को जमीन नहीं दी गई है। कुछ लोगों से जबरदस्ती कूड़ा उठवाया जाता है। मैं विधेयक का विरोध नहीं करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने संशोधन रखे गये हैं उनके अलावा और भी संशोधनों की आवश्यकता थी। श्रीमन्, मैंने आवास की समस्या की ओर सदन का ध्यान दिलाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चकबन्दी अधिनियम पास हुआ। उसमें एक प्रावीजन रखा गया है कि चकबन्दी कमेटी चाहे तो किसी गांव में आवास के लिये जमीन छोड़ सकती है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी कमेटी के मेम्बर कौन होते हैं। वही लोग होते हैं जिनके पास भूमि होती है और जो शक्तिशाली होते हैं। उसमें गरीब आदमियों का कोई नुमाइन्दा नहीं होता है। इसलिये कमेटी क्यों जमीन छोड़े? उसे क्या आवश्यकता है? चकबन्दी कमेटी में जो मेम्बर्स होते हैं, उनके पास काफी जमीन होती है। चकबन्दी कानून का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे जिले में दो तहसीलों में चकबन्दी समाप्त हो चुकी है और तीसरी में प्रारम्भ हो गई है, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत ही कम, बल्कि नामीनल ऐसी जगहें हैं जिनके छोड़ने की आवश्यकता हुई और वह भी इसलिये कि वहां पर एक आध गरीब आदमी कमेटी में आ गया। वरना कहीं नहीं छोड़ी गई। चकबन्दी के बाद यह होता है कि गरीब आदमी को अपने घर से बाहर पैर निकालने तक के लिये जगह नहीं दी जाती है और हर तरह से संघर्ष किया जाता है। घास काटने जाने के लिये रास्ता बन्द कर दिया जाता है और यहां तक नौबत आ जाती है कि अगर किसी गरीब आदमी के घर से रास्ता गुजरता है तो उसको रास्ता रखने की इजाजत नहीं दी जाती।

श्री अधिष्ठाता---माननीय रामसिंह, जरा आहिस्ता बोलिये।

श्री रामसिंह---अगर कोई गरीब आदमी है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसके पास किसी काश्तकार का चक लग गया है तो उसको चारा ले जाने के लिये भी रास्ता बन्द कर दिया गया है। यहां तक कि श्मशान तक लाश ले जाने के लिये भी रास्ता बन्द कर दिया गया है। मुकदमेबाजियां हो रही हैं। यह प्राविजन इस ऐक्ट के अन्दर आना चाहिये, क्योंकि जब रास्ता बन्द कर दिया गया है तो वह कहां से घास काटें और अपने पशुओं का पालन करें? मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि गरीब आदमी के पास अपना जीवन काटने के लिये जब कोई साधन नहीं है, तो वह कुछ पशु पाल कर और उसका दूध बेच कर अपने कुटुम्ब का पालन पोषण करता है, लेकिन आज जब उसको जंगल से घास काटने के लिये भी मना किया जाता है, तो वह कैसे पशुओं को पाल कर अपने बच्चों का पालन कर सकता है?

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अधिकतम जोत अधिनियम आपने पास किया। उससे हानि हुई हो या फायदा हुआ हो, इस संबंध में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत कम जमीन आपको उससे प्राप्त हुई है और पहले से ऐडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दुगना खर्चा हो गया है। जो एक समस्या मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वह गरीब आदमी के लिये आवास की समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह जहां और संशोधन लाये हैं, इस प्रकार का भी संशोधन ले आयें कि गरीब आदमी को आवास के लिये भूमि अक्वायर करने की सुविधा मिल सके। चाहे पैसा देकर ही भूमि अक्वायर कर सकें, लेकिन कम से कम एक झोपड़ी डाल कर बसने के लिये उसको सुविधा हो जाय। इस प्रकार की भी सुविधायें हो जायं कि चकबन्दी का ऐक्ट लागू होने के बाद या सीलिंग ऐक्ट लागू होने के बाद इतनी इजाजत तो उनको मिलनी चाहिये कि जंगल में जाकर वह घास काट सकें और पशु रख कर अपने बच्चों को पाल सकें। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें इस प्रकार का प्राविजन और बढ़ाने की कृपा करे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय अधिष्ठाता जी, जो प्रवर समिति में भेजने का इधर से प्रस्ताव किया गया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

अधिष्ठाता महोदय, आज अपने प्रदेश में नाना प्रकार के लैंड लाज हैं। पांच छः का जिक्र तो इसी संशोधन विधेयक में है। कई ऐसे हैं जिनका उल्लेख इसमें नहीं है। एक बात, जो मौलिक रूप से सोचने की है, वह यह है कि एक ऐसा कानून होना चाहिये जिसके अन्तर्गत, जो आज रूरल एरिया के लिये अलग, अर्बन एरिया के लिये अलग, पहाड़ के लिये अलग, किसी क्षेत्र के लिये अलग अलग कानून हैं, उन सब को एक में समाहित करके एक कानून सारे उत्तर

[श्री रक्षपालसिंह]

प्रदेश में लागू किया जाय। उसके साथ साथ जैसा कि दूसरा जोतकर कानून लाने के लिये कहा गया है, उसमें कहा गया है कि किसानों का एक केडर हो जाय, एक प्रकार की काश्तकारी हो जाय। उस पर हम विचार करेंगे, तो आज जो नौ-नौ प्रकार के काश्तकार अब भी मौजूद हैं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत यह भी आवश्यकता है कि उनका समन्वय करके काश्तकार का एक वर्ग बना दें। इस प्रकार के छुटपुट संशोधन लाने से भूमि की समस्यायें सुलझने वाली नहीं है। ऐसे संशोधन ला कर जिसमें लोगों को पता भी न चले और सरकार अपने अधिकार में शक्ति ले ले, ऐसे संशोधन आपत्तिजनक और कष्टदाई होते हैं। ११७ में कहा गया है "सभी पेड़ (खाते में या खाते की सीमा पर या बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर) गांव समाज में निहित हो जावेंगे, इस में किसी प्रकार की जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये। आजकल यह स्थिति है कि बंजरों में जो पेड़ किसानों के खड़े हुये हैं वह उनके हैं। वर्तमान जमींदारी एबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत बंजर में खड़े हुये पेड़ जो काश्तकार के हैं, जिन्हें उनके पुरखों ने लगाया है या उन्होंने लगाया है, उनके वह मालिक हैं, उनको वह बेंच सकते हैं, उनका फल खाते हैं। जिस प्रकार से चाहते हैं उसका उपयोग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय रक्षपाल सिंह, अभी आप और बोलेंगे?

श्री रक्षपालसिंह---जी हां।

श्री अधिष्ठाता---तो अब आप दो बजे बोलेंगे। अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रक्षपालसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व मैं यह बता रहा था कि धारा ११७ के अन्तर्गत जो संशोधन लाने की बात कही गई है उसके अन्तर्गत किसानों के जितने भी पेड़ हैं जो बंजर जमीन में खड़े हुये हैं, उनके लगाये हुये हैं, वे मालिक हैं और उनके फल खाते हैं और उनको ले जाते हैं, इस संशोधन के द्वारा उन सब को छीनने की बात है। वैसे तो गांव के अन्दर जो पेड़ हैं वह रह जाते हैं, लेकिन बंजर भूमि के अन्दर सब समाप्त हो जाते हैं।

इसी प्रकार से २०९ में संशोधन के बारे में सरकार को पार्टी बनाने की बात कही गई है, परन्तु फिर भी गांव समाज को पार्टी बनाने की बात नहीं है। जो रूलिंग हुई है, उसके अन्तर्गत दोनों को पार्टी बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से १७६ में जो संशोधन किया जा रहा है उसके अन्तर्गत गांव समाज को तो पार्टी बनाने की बात कही गई है, लेकिन स्टेट को पार्टी नहीं बनाया गया है जब कि स्टेट को पार्टी बनाना चाहिये। इस पर जजमेंट हो चुके हैं, परन्तु इस प्रकार की कोई व्यवस्था उसके अन्दर नहीं की गई है। तो इस प्रकार के जो संशोधन हैं उनके जरिये से जो वास्तव में लोगों को कठिनाई उत्पन्न होती है उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है। आजकल कानूनों में जो प्रायः कठिनाई आती है उनको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है। एक बात और मैं विशेषरूप से उल्लेख कर देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में चकबन्दी के संबंध में जो कानून बनाये गये हैं....

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसका संशोधन विधेयक आने वाला है।

श्री रक्षपालसिंह---उसमें हमारे मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखें कि ५२ के अन्तर्गत एन्ट्रीज का प्रकाशन हो जाने के बाद सारी एन्ट्रीज फाइनल हो जाती हैं। उनमें अधिक गलतियां रह जाती हैं और बाद में कभी धोखे से या जानबूझ कर भी वे गलतियां रिकार्ड में रह जाती हैं। उनके लिये उसके अन्दर ऐसा संशोधन होना चाहिये कि "जब तक वह दूसरी बात सिद्ध न हो जाय" तभी उनको फाइनल माना जाय। ऐसा संशोधन चकबन्दी कानून के अन्दर होना आवश्यक है, नहीं तो किसानों के साथ अन्याय होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस संशोधन विधेयक में एडीशनल कलेक्टर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। अभी तक यहां राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को नियुक्त करती थी जिसके माने कमिश्नर होते थे और वही अप्वाइंटिंग अथारिटी होता था। कलेक्टर उस काम को करता था और यही अथारिटी होता था, लेकिन जब उसकी जगह पर कलेक्टर अप्वाइंटिंग अथारिटी कर दिया गया है तो इसके माने यह हुये कि तहसीलदार वह काम करेगा और वही अथारिटी होगा या असिस्टेंट कलेक्टर वह काम करेगा। वह किस प्रकार से पावर का इस्तेमाल करेंगे यह कहना कठिन है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे कि वहां पर, जो लोग कानून से संबंध रखते हैं और कानून के बारे में नित्य प्रति कार्य करते हैं, वे लोग वहां पर अपना सलाह मशविरा दे सकें। इसके बाद व्यापकरूप से उसके ऊपर विचार हो सकेगा और जो जरूरी संशोधन हैं वह भी इसके अन्दर किये जा सकेंगे। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह जो बिल आया है यह प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे व्यापकरूप से इस पर वहीं पर विचार हो सके।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत है, उस संबंध में मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। उनके बगल में स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं और वे ही शायद इसका संचालन कर रहे हैं ऐसा उनके हाव भाव से लगता है। वे उनके दाहिने हैं। इसलिये आशा करता हूं कि वे इस सुझाव को अवश्य मानेंगे, इसलिये कि इस प्रकार के उदाहरण उन्होंने इस सदन में प्रस्तुत किये हैं। उनसे मैं आशा करता हूं कि वे अपने वाम भाग में बैठे माननीय राजस्व मंत्री के इशारे को नजरअंदाज कर के इस सुझाव को मान लेंगे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज जो सरकार कायम है, उसे मैं क्या संज्ञा दूं यह समझ में नहीं आता। यह एक विचित्र सरकार है और इस सरकार के कार्यकाल में विचित्र २ कार्य देखने को मिलते हैं, विचित्र प्रकार के संशोधन विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तुत किये जाते हैं। जब हम इस सरकार की टैक्स नीति को देखते हैं तो उसे हमें बाध्य होकर औरंगजेबी सरकार की संज्ञा देनी पड़ती है और जब इसके रोज बदलने वाले विचारों को देखते हैं, नित्य नये संशोधनों को देखते हैं तो इस सरकार को तुगलकी सरकार की संज्ञा देने पर विवश हो जाते हैं। इस सरकार के विचार, दिल, दिमाग, कुछ भी स्थिर नहीं है। एक-एक अधिनियम में साल में दो दो संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं और इसके पहले तीन अधिनियमों में संशोधन स्वीकृत हुए हैं जिनके द्वारा क्षेत्र समिति अधिनियम तथा जमींदारी विनाश अधिनियम की धाराओं को संशोधित किया गया है। इसके द्वारा भी दो तीन अधिनियमों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। मैं विवश हूं यह कहने के लिये कि यह एक तुगलकी तरीका है और इसी तरीके पर यह सरकार काम कर रही है। अफसोस है कि सरकार की तरफ से संशोधन के मसविदे पेश किये जाते हैं और उनकी ड्राफ्टिंग तक ठीक नहीं होती, त्रुटिपूर्ण होती है और इसका प्रमाण है वे संशोधन विधेयक जो इस सत्र में भी सदन में पेश हुए हैं। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को वापस लें या इसे वापस न लेना चाहते हों तो इसे एक प्रवर समिति में भेजें, जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ताकि इसमें व्यापक संशोधन उपस्थित किये जा सकें।

मान्यवर, आज जो कायदे कानून उत्तर प्रदेश में लागू हैं, विशेषकर जमींदारी विनाश अधिनियम जो प्रदेश में लागू हैं, उसमें बहुत खामियां हैं और उनकी तरफ समय-समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। किन्तु अफसोस है कि उन खामियों को दूर करने के लिये जिन संशोधनों की आवश्यकता थी उनको न लाकर एक गलत उद्देश्य के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मान्यवर, इस संशोधन विधेयक को मैंने शुरु से अन्त तक देखा है। इसमें केवल कुछ शाब्दिक हेर फेर के अतिरिक्त कुछ और तथ्य नहीं मिले। एक ही तथ्य सामने आया है।

[श्री मैनेजरसिंह]

और मैं समझता हूं कि वही एक उद्देश्य है इस संशोधन विधेयक को लाने का। वह उद्देश्य यह है कि इस विधेयक के द्वारा सरकार चाहती है कि जो सीमा जमीन की हदबन्दी की निर्धारित की गई है और जिसका स्वागत प्रगतिशील लोगों ने किया है, उस सीमा के नियम को यह सरकार पुनः तोड़ना चाहती है। आप देखें कि इसीलिये इसमें व्यवस्था की गई है कि साढ़े बारह एकड़ से अधिक जमीन को औद्योगिक कार्यों और सहकारी समितियों के लिये छूट दी जा सकती है। कितने तक छूट दें, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह १०० या २०० या १,००० एकड़ की छूट दे दें। यह जोत बढ़ाने की प्रक्रिया स्वरूप संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसलिये हम चाहते हैं कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इसमें व्यापक संशोधन हो सकें।

श्रीमन्, जो सहकारी समितियां आज गठित हो रही हैं और विशेषकर के कृषि की सहकारी समितियां गठित हो रही हैं, आप मुझे क्षमा करेंगे, यदि मैं कहूं कि उनमें से ९९ फीसदी फर्जी समितियां गठित हो रही हैं। यही दशा आज हमारे उत्तर प्रदेश में है। उनका पंजीकरण ९९ फीसदी सहकारी भावना से हजारों मील दूर है। एक ही परिवार का बड़ा काश्तकार अपने भाई, भतीजे और स्त्री के नाम से शेयर (हिस्सा) दिखलाकर के पंजीकृत कराता है ताकि वह सीमा के झगड़े से बच जाय। उसके जाल में हमको नहीं फंसना चाहिए। आज सहकारिता के नाम पर बहुत सी सुविधायें सरकार देना चाहती है और दे रही है उसका भी अनुचित उपयोग बड़े काश्तकार इससे उठा सकेंगे। यह साफ मालूम पड़ता है कि इस सरकार की यह मंशा है कि बड़े काश्तकार अपनी जमीन को यदि बढ़ाने के इच्छुक हों तो उनको एक खुला रास्ता दिया जाय। उनके लिये एक आउटलेट खोले दे रहे हैं कि वह अपनी जमीन को सहकारी कृषि फार्म के रूप में बढ़ावें। इसलिये आप देखें कि यह संशोधन विधेयक इस सरकार की नीतियों पर भी कुठाराघात करता है।

श्रीमन्, आज जिस संस्था के लोग सरकार चला रहे हैं, उस संस्था के उद्देश्यों और नीयत पर भी ये कालिमा पैदा कर रहे हैं। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द अवश्य करें।

एक बात और कही गई है कि औद्योगिक संस्थानों के लिये १२।। एकड़ का बन्धन नहीं रहेगा। आप देखें कि आये दिन इस माननीय सदन में सवाल उठता है कि बहुत सी भूमि औद्योगिक संस्थानों के मालिकों को विभिन्न सार्वजनिक हित के नाम पर दे दी गई। आज वे उस भूमि से अपना स्वार्थ साधन कर रहें हैं और अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं आप के द्वारा श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी को और सरकार को भी कि आज ही कानपुर की भूमि का सवाल इस सदन में उपस्थित था। सरकार ने जमीन दे दी वहां के एक मिल मालिक को, जमीन देने के समय यह कहा गया कि आप क्वार्टर बनायेंगे और सार्वजनिक हित के लिये उसमें स्कूल, अस्पताल बनाने का, और सफाई आदि का भी प्रबन्ध करेंगे। यह सारी व्यवस्था आप के ऊपर है। किन्तु उन्होंने कुछ भी सार्वजनिक हित का कार्य नहीं किया। जो शर्त लगाकर वह जमीन दी गयी थी और सार्वजनिक हित का कार्य कितना हुआ वह आज के प्रश्न से स्पष्ट हो गया। इसलिये इस काले संशोधन बिल को वापस करें और अगर रखना चाहते हैं तो प्रवर समिति में जाने दें ताकि इसकी कमियां ठीक की जा सकें और इसकी रिड्राफ्टिंग हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कतई इस बात के विरुद्ध हैं कि औद्योगिक संस्थानों के नाम पर प्रदेश के पूंजीपतियों को खुली छूट दे दें और उन पर साढ़े बारह एकड़ की सीलिंग लागू न हो। अगर हजार एकड़ की भी डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज छूट दे दें तो वह हजार एकड़ भी ले सकते हैं—यह व्यवस्था सीलिंग ऐक्ट के विरुद्ध इस्तेमाल की जायगी। इसमें एक स्थान पर यह भी व्यवस्था है कि नदी की क्रिया से जो भी जमीन निकलती है उस पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू होता

है । मैं समझता हूं कि खासकर पूर्वी और सरहदी इलाके में यू० पी० और बिहार सीमान्त पर धूर धारा का कानून लागू होता है । उस कानून के मुताल्लिक राजस्व मंत्री को मालूम है कि नदी की क्रिया से जमीन इस ओर निकलती है तो हमारी होती है और उस पर प्रदेश का कायदा कानून लागू होता है । मैं नहीं समझता कि इस संशोधन से कौन सा नया अधिकार उस क्षेत्र के किसानों को मिल रहा है या स्वामित्व, अधिकार और दायित्व इस प्रदेश का बढ़ रहा है । इस प्रदेश और बिहार का सीमावर्ती विवाद बरसों से अधर में लटका हुआ है और मुझे शिकायत है कि हमारे बुजुर्ग राजस्व मंत्री इस विभाग को बहुत पहले से संभाल रहे हैं फिर भी निपटारा नहीं हुआ और सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान और मजदूर शरणार्थियों की जिन्दगी बिता रहे हैं । बलिया क्षेत्र में, उनके जीवन-यापन का कोई जरिया नहीं है। अगर विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था करते कि जो लोग नदियों की धाराओं से उद्वासित होते हैं उनके पुनर्वास के लिये व्यवस्था की जाती और उनको जमीन देने की व्यवस्था की जाती चाहे लखीमपुर खीरी में या नैनीताल की तराई में या बहराइच में ही । बहराइच में बसना तो हमारे यहां के लोग अच्छा नहीं समझेंगे, हमारे समाज में एक रिश्ते के संबंध में ऐसी मान्यतायें हैं कि वहां बसने पर दूसरे जन्म नरक में जाना पड़ेगा, तो वहां बसने में शायद नरक का डर हो, लेकिन जो नारकीय जीवन अपनी धन-धर्तो को गंवा कर हमारे यहां के लोग बिता रहे हैं उससे तो अच्छा होगा कि बहराइच में ही राजस्व मंत्री जी कोई व्यवस्था करें । घाघरा एवं गंगा कि दाही से पीड़ित लोग जो पेड़ के छाये में नीचे पड़े हुये हैं या आपकी सड़कों पर जो पड़े हुये हैं, उनके बसने की कोई व्यवस्था हो जाती ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम पूरा खाने कपड़े का इन्तजाम करेंगे । (हंसी)

श्री मैनेजरसिंह—मुझे तो उम्मीद है कि हमारे बुजुर्ग माननीय राजस्व मंत्री जरूर यह सब सुविधायें उनको देंगे ।

श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद एक पंच निर्णय के सुपुर्द है । मुझे इसकी खुशी है कि विलम्ब हुआ, लेकिन एक किनारे पर तो मामला आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे योग्य अधिकारी इसके पंच मुकर्रर किये गये हैं वे इस मामले को जल्दी तय करेंगे । इसलिये इस समय मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस ले लें, क्योंकि इस समय जो मौजूदा कानून है वह पर्याप्त है और वह इस मानी में कि जो जमीन गंगा के किनारे से आती है वह हमारे क्षेत्र में मिलती है और हमारे सारे कायदे कानून यहां लागू हो जाते हैं । इसलिये यह निरर्थक है, जहां तक इस प्रदेश का ताल्लुक है ।

मैं तो चाहता हूं कि इस बिल में यह चीज भी स्पष्ट होती कि सन् १८४० में जो नक्शा था, दरिया जहां था और उसकी जो सीमा थी, वह हमारी सीमा रहेगी और जो व्यवस्था लागू है वही इस १८४० की सीमा तक होगी । अगर इस तरह का कानून आता तो जरूर हम उसका स्वागत करते, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते । लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि जब भी माननीय राजस्व मंत्री जी बिहार के लोगों से बात करते हैं, तो उनसे बात करने में उन्हें कुछ संकोच होता है । वे उनके सामने झुक जाते हैं । पता नहीं किस कारण संकोच होता है । वे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे झुकना बन्द करें । मैं उनसे अदब के साथ निवेदन करूंगा कि वे किसी के सामने झुकना बन्द करें । हां, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने झुकें तो मुझे एतराज नहीं है, पर और किसी के सामने उन्हें झुकना नहीं चाहिये ।

अतः इस संशोधन को जो प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव है, मेरी विनम्र प्रार्थना है माननीय राजस्व मंत्री जी उसे स्वीकार करने की कृपा करें । जिस गलत उद्देश्य के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है उससे बड़ा अहित होगा, आपकी बदनामी होगी, और आपकी कांग्रेस सरकार की बदनामी होगी । मैं आशा करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, जो शायद इस बिल को पायलट करेंगे, वह मेरी बात को स्वीकार करेंगे और मैं पुनः उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वह इशारे का इन्तजार नहीं करेंगे ।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—अब माननीय सूचना मंत्री जी कार्यक्रम और अधिवेशन के सम्बन्ध में सूचना देंगे ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, जैसा कि मैंने शनिवार को भी सदन में निवेदन किया था, २७ तारीख तक यह सदन चले और २७ को स्थगित कर दिया जाय । २८, २९ और ३० की छुट्टी रहे । पहली अक्तूबर को हम बैठें । २ की छुट्टी है । ३, ४ और ५ को कार्य होगा । फिर मीटिंग हम करेंगे १५ तारीख को ।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—सप्ताह के कार्य-क्रम के लिये कहा गया था कि २ बजे के बाद बताया जायगा । क्या जो २ बिल कार्य-क्रम में छपे हैं यही रहेंगे ?

श्री बनारसीदास—इन दोनों के अलावा भूमि-जोत-कर विधेयक भी आवेगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—जरा फिर से बता दें ।

श्री बनारसीदास—इस वक्त सदन २७ तारीख तक चलेगा । २७ को स्थगित होकर २८, २९ और ३० की छुट्टी रहेगी । पहली को फिर सदन बैठेगा । २ को महात्मा गांधी के जन्म दिवस की छुट्टी होगी । ३, ४ और ५ को कार्य होगा । ५ को स्थगित होकर १५ तारीख (सोमवार) को फिर यहां मिलेंगे । ये दोनों बिल पास होने के बाद भूमि-जोत-कर विधेयक पर भी विचार किया जायगा इस सप्ताह में ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—प्रश्नोत्तर के बाद नेता विरोधी दल ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी कि २८ से लेकर १६ तक लगातार छुट्टी हो जाय ।

श्री लखपतराम शर्मा—यह पहली की भी छुट्टी कर दी जाय ।

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, आपको मालूम होगा कि पहली मर्तबा सदन की इच्छा थी और १ सप्ताह के लिये सदन स्थगित करना पड़ा । पहले ही हमारा कार्यक्रम २६ तक है और खास तौर से नरसिंह नारायण जी और समाजवादी दल के लोगों के भय से, अगर पहली की भी छुट्टी करते हैं तो ५ दिन हो जावेंगे और अतिरिक्त व्यय इस सदन का होगा । इस लिये हमने पहली की छुट्टी करना मुनासिब नहीं समझा और जो कुछ मैंने बताया वही मुनासिब है ।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—अगर २८ से लगातार छुट्टी कर दी जाय १६ तक, तो कोई खर्चा नहीं पड़ता है ।

श्री बनारसीदास—४ वर्किंग डेज का फर्क पड़ता है, नवम्बर में वैसे ही हमें काफी देर तक बैठना पड़ेगा ।

श्री कृष्णपालसिंह—जो १ सप्ताह के लिये बाढ़ के सम्बन्ध में सदन उठा वह तो उन्हीं के पक्ष के ५ सदस्यों ने दरख्वास्त दी थी और हम लोगों ने भी उसका समर्थन किया । १५ मिनट में ५ बिल पास करके वह १ सप्ताह तो पूरा कर लिया गया । अब अगर ४ दिन बीच में एडजस्ट करें तो कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—यह गवर्नमेंट की पोजीशन की बात है । आप बाहर बात कर लें ।

उत्तर प्रदेश भूमिविधि संशोधन विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो भूमि विधि संशोधन विधेयक पेश किया है, उसके सम्बन्ध में माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने जो प्रवर समिति में इसे भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय, जैसे सरकार महसूस करती है कि भूमि-संबंधी कानूनों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, हम भी महसूस करते हैं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए इन कानूनों में अवश्य ही कुछ परिवर्तनों की जरूरत है। जमींदारी खात्मे के बाद कई कानून ऐसे बने, जिन का सम्बन्ध सीधे भूमि-व्यवस्था से है, जैसे सीलिंग का कानून और चकबन्दी का अधिनियम। इनके बनने के बाद भूमि-व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया और उनकी रोशनी में भूमि संबंधी कानूनों में काफी परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा संशोधन विधेयक में यह बहुत ही कम परिवर्तन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ दिया गया है। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी मेरी बात सुनें तो मैं बोलूं वर्ना बोलना ही बेकार होगा क्योंकि वे बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपस में बातें जरा कम हों। भीखालाल जी बोल रहे हैं, सुनिये जरा।

श्री भीखालाल—एक बात सदन में बहुत बार उठाई गई और बारबार उस पर बल भी दिया गया, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी। इस संशोधन विधेयक में भी उस बात का समावेश नहीं किया गया है। इस बात की मांग की गई थी कि दाखिल-खारिज के मुकदमें बजाय तहसीलदारों के ग्राम सभाओं को या ग्राम पंचायती अदालतों को दे दिये जावें। यह अधिकार तहसीलदारों को उस समय दिया गया था, जबकि जमींदारों की संख्या और ऐसे मुकदमों की संख्या बहुत थोड़ी थी। लेकिन आज खातेदारों की संख्या कई गुनी बढ़ गई है, इस लिये मुकदमों की संख्या भी बढ़ गई है, और किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मैं मानता हूं कि यदि अदालती पंचायतों के सामने कोई दाखिल-खारिज का मुकदमा निजाई हो जाता है, तो पंचायती अदालतों को उस पर फैसले का अधिकार न दिया जाय। वह जरूर तहसीलदार के पास भेजा जाय। लेकिन गैर-निजाई में दाखिल-खारिज का अधिकार पंचायती अदालतों को देने से किसानों को बहुत सहूलियत होगी और तहसीलदारों का काम भी कम हो जायगा, जिससे मुकदमों के फैसले जल्द होंगे, करप्शन भी कम होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमींदारी खात्मे कानून में भी कुछ संशोधन किये गये हैं। पहले सरकार ने एलान किया था और जिसे अब कानूनी शक्ल दे रहे हैं, कि ग्राम समाज को खत्म कर दिया था यह एक अच्छा कदम है। अभी तक ग्रामों के स्तर पर दो संस्थायें थीं, एक गांव समाज और दूसरी ग्राम पंचायतें। दोनों के कोष और कार्य अलैहिदा-अलैहिदा थे। इससे काम में रुकावट होती थी। इसको एक करके सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है। इसके बारे में सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि जब सरकार इसके बारे में नियमों में परिवर्तन करे तो इस बात का जरूर खयाल रखा जाय कि सेक्रेटरी उसका केवल पंचायत सेक्रेटरी ही रखा जाय क्योंकि अभी तक तो दो सेक्रेटरी होते थे। एक तो भूमि प्रबन्धक समिति का सेक्रेटरी लेखपाल होता था और दूसरा होता था पंचायत सेक्रेटरी। चूंकि अब दोनों संस्थायें एक हो गयी हैं इसलिये एक ही आदमी के सुपुर्द मंत्री होना चाहिये। अगर दोनों को रखा गया तो लेखपाल फिर काम में रुकावट डालेगा। उसी के कारण बहुत सी भूमि प्रबन्धक समितियां अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पायीं। समितियों के अध्यक्ष साधिकार होते हुए भी लेखपाल के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। इसलिये ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को ही सेक्रेटरी रखा जाय।

श्रीमन्, एक संशोधन जमीनों के हस्तान्तरण के बारे में है। प्राविधान यह किया गया है कि विक्रय या दान के फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति साढ़े बारह एकड़ से अधिक जमीन प्राप्त नहीं कर सकता है, उस भूमि को भी मिला कर जो उसके पास पहले से हो। लेकिन इसमें एक छट दे दी गयी है कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिये कोई भी व्यक्ति साढ़े बारह एकड़ से अधिक भी प्राप्त कर सकेगा। इस धारा का बहुत दुरुपयोग किया जायेगा। हमारी यह बहुत दिनों से शिकायत रही है और वक्तनफवक्तन इस पर हम अपना मत व्यक्त करते रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी विकास हो रहा है। जिन लोगों के पास अलाभकर जोतें हैं, उनके ऊपर सरकार के बहुत से टैक्सों के लग जाने के कारण, लगान में बढ़ोत्तरी हो जाने के कारण, सिंचाई

[श्री भीखालाल]

बर में बढ़ोत्तरी और दूसरे तरह-तरह के टैक्स लग जाने के कारण वह ऊब कर अपने खेतों को बेच देता है और पैसे वाला जो खेती नहीं करता है, वह उनको खरीद लेता है। इसलिये अगर इसमें यह धारा रही तो उद्योगों का नाम लेकर बहुत-सी जमीन को पैसे वाले लोग खरीद लेंगे। अगर आप लखनऊ-कानपुर रोड पर जायं तो आपको बहुत से ऐसे प्लाट्स मिलेंगे जहां तार लगे हैं या चहार दीवारी खिंची हुई है और किसी उद्योग का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन कहीं गेहूं खड़े हैं, कहीं मक्का खड़ी है और कहीं बाग लगे हैं। इस प्रकार से पैसे वाले लोग उन जमीनों को गरीब किसानों से खरीद कर उद्योगों के नाम से उनका दुरुपयोग करते हैं। माननीय माल मंत्री जी कहेंगे कि जमींदारी अबालीशन कानून में ऐसी धारा है जिसके द्वारा उनको बेदखल किया जा सकता है। मैं मानता हूं धारा १६३ इस प्रकार की है कि अगर कोई व्यक्ति धारा १५४ के विपरीत कोई कार्य करता है अथवा उसका दुरुपयोग करता है तो उसको बेदखल किया जायगा। लेकिन ग्राम सभायें अपने इस अधिकार को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पातीं। कुछ इसमें व्यावहारिक कठिनाई हैं और कुछ दूसरी दिक्कतें हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी भी रखे और सरकार के नोटिस में अगर ऐसी बात आये कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिये कोई जमीन ली गयी थी, और जिसमें साढ़े १२ एकड़ की सीमा निलम्बित की गयी है, अगर उसका दुरुपयोग होता है तो सरकार खुद अपनी तरफ से उसको बेदखल करने की कार्यवाही करे। सरकारी कर्मचारी, लेखपाल कानूनगो जो पड़ताल करने मौके पर जाते हैं, वे अगर देखें कि दुरुपयोग हो रहा है तो अपनी तरफ से नोटिस दे सकें तहसीलदार के पास कि इस काश्तकार को बेदखल किया जाय, ऐसा कोई प्राविजन इस विधेयक में होना चाहिये। फिर उस धारा का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद एक कमी रह जाती है जिसका प्राविधान नहीं किया गया है और जिसका होना जरूरी है।

मान्यवर, नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरियाज, टाउन एरियाज व नगरमहापालिकाओं के विकास और आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए इनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। लखनऊ नगरमहापालिका का क्षेत्र काफी बढ़ गया है और दूसरी भी नगरपालिकायें हैं जिनका क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। उनके क्षेत्र में वे ग्रामीण क्षेत्र आते जा रहे हैं जिनमें खेती होती है। नगरपालिका या नगरमहापालिका क्षेत्र में अगर औद्योगिक प्रयोजनों के लिये जमीन ली जाती है और उसमें साढ़े १२ एकड़ के प्रतिबन्ध को हटा दिया जाता है लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है जैसे—कोई उद्योग नहीं खोला जाता है और उसमें बाग लगाया जाता है या, खेती की जाती है तो उसको कौन बेदखल कर सकता है? क्योंकि ग्राम सभायें तो वहां पर हैं नहीं, म्युनिसिपैलिटी को अधिकार है नहीं, नोटीफाइड एरिया को कोई अधिकार नहीं है, सरकार को कोई अधिकार नहीं है, तो कौन उसे बेदखल कर सकेगा? कोई नहीं बेदखल कर सकता है, तो यह दुरुपयोग होता है। आज हमारे लखनऊ की सीमा के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र लखनऊ महापालिका में आ गये हैं। वहां की जमीनें पैसे वालों ने खरीद कर तमाम बाग लगा लिये हैं, खेती कर रहे हैं जबकि वे जमीनें ली जाती हैं उद्योग के नाम पर। उसमें बेदखल करने की कोई कानूनी बन्दिश नहीं है और उसके लिये इस विधेयक में कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसका भी प्रोवीजन इसमें होना चाहिये।

जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं जिन पर समय के अनुकूल बहुत विस्तृत रूप से सोचने की जरूरत है जिससे किसानों को सुविधा मिल सके। इसीलिये मैं कहता हूं कि माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की जो बात कही है, वह उचित है ताकि वहां पर इस पर विस्तार से विचार किया जा सके।

इसके साथ-साथ सहकारी कृषि समितियों के लिये कुछ छूट दी गई है। इसका मैं विरोधी नहीं हूं कि सहकारी कृषि समितियों को इस प्रकार की छूट दी जाय, लेकिन एक बात में जरूर माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही नया कदम है। सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में सहकारी कृषि समितियों को सहकारी ढंग से खेती करने के तौर तरीके को प्रोत्साहन दिया जाय। हम भी चाहते हैं कि इसका होना आवश्यक है। लेकिन एक नया

कदम होने की वजह से हम यह जरूर चाहते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाने में सरकार सतर्कता जरूर रखे कि हमारे देश में योजना के विरोधी भी काफ़ी हैं। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पड़ी, सरकार ने अपनी तरफ से कोई ढील दी और नियमों व कानूनों का उल्लंघन किया तो सहकारिता के विरोधियों को मौक़ा मिलेगा और आप का सहकारिता आन्दोलन बदनाम हो जायगा और आपकी सहकारिता फल हो जायगी। अपने जिले में मैंने देखा है और हर जिले में सरकार की तरफ से सहकारी समितियां कृषि क्षेत्रों में खोली जाती हैं और हर ब्लाक म अग्रगामी योजना चलायी जाती है। उस अग्रगामी योजना में कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज भी बनायी जाती हैं। हमारे जिले में अग्रगामी योजना के अन्तर्गत कई बोनस सोसाइटीज बनायी गयी हैं और मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वे बोगस सोसाइटीज मंत्री जी के परिवार के लोगों द्वारा, कांग्रेस के लोगों द्वारा बनायी गयी हैं। एक ही परिवार के लोगों को मिलाकर और अपने नौकर को मिला कर फर्जी समितियां बनाई गई हैं और इस तरह का दुरुपयोग होता है। इस योजना को हम जरूर चाहते हैं कि सफल हो और यदि आप मदद करें तो सहकारिता सम्बन्धी आन्दोलन अच्छी तरह से फल फूल सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक है कि उसके लिये जो पैसा दिया जाता है उसका दुरुपयोग न हो। यदि यह योजना बदनाम हो गयी तो विरोधियों को मौका मिल जायगा। इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस पर खुले तौर से विचार किया जा सकता है। इसमें ये ये खराबियां हैं, इसीलिये यह बात मैंने कह दी।

मान्यवर, इस बिल के द्वारा सीलिंग के ऐक्ट में भी संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा भी गया है लेकिन मैं समझता हूं कि इस सरकार के सामने कुछ भी कहना बेकार है। जिस समय सीलिंग का बिल सदन में पेश था उसी समय हमने कहा था कि यह कानून जो आज बनाया जा रहा है इस से इस दशा में कोई लाभ न होगा और इसको बनाने में जो सदन का समय जाया हो रहा है और सरकार का पैसा व्यय हो रहा है, उसके प्रवर्तन के लिये जो अमला रखा जायगा, जो सर्वेक्षण होगा कि कितनी जमीनें निकलेंगी और जो कागजात तैयार कराये जायंगे उस सब का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और पूरे सर्वेक्षण, नक्शे और कागजात की तैयारी के बाद रिपोर्ट यही आयेगी कि कोई जमीन नहीं मिली। उसी समय हमने सरकार को यह चेतावनी दी थी और आज भी यही स्थिति है। इस तथ्य के लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वयं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि वह ऐक्ट जमीन मिलने के प्रश्न पर निरर्थक हो गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने कभी नहीं कहा, मैंने कब ऐसा कहा ?

श्री भीखालाल—मैं आप को नहीं कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कह रहा हूं। आप तो अब भी कहते हैं कि मैंने नहीं कहा, आप तो अब भी सपना देख रहे हैं कि आसमान से जमीनें मिलेंगी। उस वक्त कहा गया था कि साढ़े ६ लाख एकड़ जमीन मिलेगी। मैं चाहता हूं कि वह इस बहस के उत्तर में अवश्य बतायें कि उन्हें अब तक के सर्वेक्षण से कितनी जमीन मिली है और अगर उनकी वह सम्भावनायें पूरी नहीं होतीं तो जो कानून बनाया गया है वह बेकार हो गया और अगर वाकई में उन को कानून की भावना को अब भी पूरा करने का इरादा है और भूमिहीनों को राहत देने का कोई वाकई में इरादा है और अपने इरादे को उन्हें कार्य रूप में परिणत करना है तो उस कानून में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्हें सोचना होगा कि किन आमूल चूल परिवर्तनों की उसमें जरूरत है। इसी कारण से हम चाहते हैं कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय और इसके हर पहलू पर वहां विचार किया जाय और फिर आवश्यक परिवर्तन उसमें किये जांय।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे प्रदेश में एक बहुत पुराना कानून बना हुआ है जिस में सरकार को परिवर्तन और संशोधन लाना चाहिये। सरकार कभी लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट में संशोधन लाने की बात नहीं सोचती। जिस समय यह ऐक्ट बना था उस समय की कीमतों और परिस्थितियों में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है।

[श्री भीखालाल]

कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं लेकिन वही पुराना कानून आज भी चला आ रहा है। बार-बार इसमें संशोधन करने की मांग को दोहराया गया लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। रोज यहां प्रश्न उठाये जाते हैं कि दूसरे सूबों में मुआवजे का रेट अधिक है, रिहंड और मातातीला में दी गयी जमीन के सवाल उठे और कहा गया कि मध्यप्रदेश में यहां से तिगुने, चौगुने और पचगुने तक रेट हैं, तमाम सूबों से यहां के रेट कम हैं लेकिन कोई ध्यान इस तरफ नहीं दिया जाता। उसमें अब परिवर्तन की जरूरत है. परिस्थिति और कीमतों को देखते हुये मुआवजे के रेट का बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। इस के अतिरिक्त आज योजना का युग है और विकास और उद्योग को बढ़ाने के लिये हमें कारखानों के लिये जमीन की आवश्यकता होगी और सरकार जमीनें एक्वायर करेगी। अभी हरिद्वार में बिजली का सामान बनाने के कारखाने के लिये १६०० परिवार अपनी जमीनों से भूमिहीन बना दिये गये और वह आज बेकार घूम रहे हैं, आज उनकी रोजी का कोई ठिकाना नहीं है, उन का कोई सहारा नहीं रहा, बच्चे उन के भूखे मर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लैंड एक्वीजिशन कानून में परिवर्तन किया जाय और इस तरह का प्राविधान रखा जाय कि अगर सरकार जनता के क्षेत्र में या विकास के काम के लिये या किसी अन्य काम के लिये किसानों की जमीन लती ह, उन को जमीन से हटाती है तो सरकार का कर्तव्य होना चाहिये कि उन किसानों को जो खेती करना चाहते हैं उनको जमीन दे कर बसाने का प्रबन्ध करे जहां तक सम्भव हो इस तरह का कानून में प्रावीजन होना चाहिये और सरकार पर आबलीगेशन होना चाहिये। अगर सम्भव न हो सके तो उन को उद्योग धंधों में नौकरी दिलाये जो उनकी जमीनों पर लगाये जायं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उन किसानों को असहाय छोड़ देना उचित नहीं है, यह विकास में बाधक होगा क्योंकि ऐसे लोगों की जो इस तरह से अपनी जमीनों से हटाये गये हैं, विकास में कोई रुचि नहीं रह जायगी। इसलिये जरूरी है कि इस कानून में इस किस्म के परिवर्तन किये जायं।

यह कानून इतना जटिल है। ३, ४ साल तक मुआवजे के कागजात तैयार होने की कार्यवाही चलती रहती है। सरकार ने जमीन ले ली, काश्तकार हट गया, फसल नहीं बो सकती, उसको जमीन का पैसा नहीं मिला, और जब तक मुआवजे के कागजात तैयार नहीं होते तब तक वह लगान भी दे यह बहुत पुराना तरीका ह, जिसमें परिवर्तन की आवश्वकता है ताकि मुआवजे के कागजात तैयार होने में विलम्ब न हो और किसानों को परेशानी न हो। यह बात यहां रोज कही जाती है कानून में परिवर्तन होना चाहिये। इसलिये सरकार गम्भीरता से सोचे और कानून में आमूल परिवर्तन करने की दिशा में विचार करे। इन सब बातों को सरसरी तौर से १, २ दिन के वाद विवाद कर के नहीं सोचा जा सकता। इसके लिये शान्त वातावरण चाहिये जहां अच्छी तरह से विचार हो सके। इसी लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय और जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं उनके हर पहलू पर विचार किया जाय, उसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सदन को दे तब यहां विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ में राम सुन्दर पांडेय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं रामसुन्दर पांडेय जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों में दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी होते हैं इसी प्रकार यह विधेयक भी एक मिश्रित विधेयक है। अभी तक ऐसा होता था कि जिस ऐक्ट में संशोधन हुआ करता था, उसके अलग-अलग संशोधन विधेयक आते थे। लेकिन अब यह सरकार के विकृत मस्तिष्क का एक नमूना पेश है। इस विधेयक द्वारा ५ ऐक्टों में संशोधन किया जा रहा है। १—लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, २—यू० पी० जमींदारी अबालीशन ऐक्ट, ३—रामपुर ठेकेदारी पट्टादारी ऐक्ट, ४—अर्बन एरियाज जमींदारी अबालीशन ऐक्ट, ५—अधिक जोत सीमा आरोपण अधिनियम। इन पांचों ऐक्टों में उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ के नाम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन किया जा रहा है। मन्त्रिमंडल में न्याय के ज्ञाता हैं और इस विधेयक को पायलट करने वाले स्वास्थ्य मंत्री जी भी कानून के ज्ञाता तथा कुशल ऐडवोकेट रह चुके हैं और मैं समझता हूं इसीलिये आप के द्वारा यह पायलट कराया गया है ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। मंत्री महोदय कानूनदां हैं लेकिन यह ५, ५ कानूनों का एक साथ संशोधन करना कहां तक न्याय संगत है?

सब से पहले इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है कि नदी के कटाव से दूसरे प्रदेश की जमीन आ जाय, उसके आप अधिकारी हो जायंग मेरे खयाल से यह इस सदन के जूरिस्डिक्शन में नहीं है। लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत जिलों की सीमा निर्धारित की जाती थी, लेकिन उसके जरिये आप प्राविन्स की सीमा को निर्धारित करने जा रहे हैं। दूसरे प्राविन्स की जमीन अगर आ जाती है कटाव से तो आप कैसे अधिकारी हो सकते हैं? यह ऐक्ट अल्ट्रावायरस हो जायगा।

दूसरे जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट के सेक्शन ११७ का जहां तक सम्बन्ध है उसमें एक शब्द जहां पर ग्राम समाज लिखा हुआ है वहां पर ग्राम सभा कर दिया गया है तो ओरिजिनल ऐक्ट में ही केवल "समाज" के स्थान पर "सभा" कर देने से काम चल जाता। इसी प्रकार रामपुर ठेकेदारी पट्टेदारी विनाश अधिनियम में जहां "डिटरमिनेशन" है उसकी जगह "लीज" कर दिया गया है। इसी प्रकार जहां कहीं संशोधन किये गये हैं वे हेरफेर कर एक आध शब्दों का संशोधन है जो उसी मूल अधिनियम में किया जा सकता था बड़ी आसानी के साथ, लेकिन मंत्री महोदय ने एक नये ढंग से मिश्रित ऐक्ट बनाने की कोशिश की है। ऐसे दोषपूर्ण ऐक्ट को रखने के पहले ही सोच लेना चाहिये था। जैसा रामसुन्दर जी ने कहा है किसी भी विधेयक को पेश करने के पूर्व उसकी भाषा, ड्राफ्टिंग या लीगल इम्प्लिकेशंस को देख लेना चाहिये तब उसे रखना चाहिये। फिर भी समय है और मंत्री महोदय इसके दोषों को दूर करने के लिये कृपा कर इसे वापस ले लें अथवा प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

सेक्शन २०९ में स्टेट गवर्नमेन्ट को पार्टी बनाने की बात कही गयी है। पार्टी होनी चाहिये, लेकिन सर्कमस्टेंसेज क्या होने चाहियें? मुद्दालय अपने आप को टेनेन्ट कहता है तो आवश्यकता होती है, लेकिन २०९ में डिफेन्डेंट तसलीम कर लता ह कि उसका कोई राइट नहीं है, तो मंत्री महोदय बतलायें कि हम नोटिस दें, उसके बाद दावा दायर करें और रिजल्ट क्या होगा? वह कम्प्रोमाइज कर ले और मान ले कि हम ट्रेसपासर हैं, आप खेत ले जाइये। अब इसमें क्या न्यायसंगत था जो यहां पर जोड़ रहे हैं। यह ठीक है कि रूलिंग है, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन्स पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया। उसमें कहा है कि डिफ़ेन्डेन्ट अगर अपने आप को एसर्ट करे तो स्टेट गवर्नमेन्ट के लिये पार्टी बनाना जरूरी हो जाता है कि दो पार्टीज में से कौन उसका काश्तकार हो सकता है इसलिये स्टेट गवनमन्ट का होना जरूरी था क्योंकि वह अपना इंटरेस्ट साथ-साथ वाच करती रहे कि ऐसा न हो कि कोई वैसी बात हो, लेकिन जहां पर डिफ़ेन्डेन्ट अपना राइट नहीं क्लम करता ह तब क्या आवश्यकता थी। ऐसा कानून बनाने से सदन की बदनामी होगी।

अब आते हैं आप जो छूट दे रहे हैं कोआपरेटिव्ज को कि जितनी जमीन चाहें उतनी ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह से जमींदारी एबालिशन के बाद हमारी सरकार एक बहुत बड़ी जमींदार बन बठी ह उसी तरह स आप एक दूसरी जमींदारी कोआपरेटिव्ज में कायम करना चाहते हैं। आये दिन हम देखते हैं और ऐसे ऐसे कसज दख ह कोआपरटिव्ज सभा के जिसमें सेंट्रल के मिनिस्टर पंडित केशवदेव मालवीय की अध्यक्षता में बस्ती में चलती है उसमें १२ लाख का गबन किया जाता है। तो क्या उन्हीं सभाओं को यह अधिकार देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी हमारी सब जमींनों को हड़पते चले जायं, कोई लिमिट नहीं है? दूसरों पर तो आप प्रतिबन्ध लगाते हैं कि चाहे जितना किसी का परिवार हो जाय साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता लेकिन इन कोआपरेटिव्ज को, जिनमें भ्रष्टाचार चलता है, आप बिल्कुल छूट देना चाहते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितनी जमीन चाहें वे रख सकेंगी। मैं चाहता हूं कि इन अनलिमिटेड पावर्स को और मंत्री जी ध्यान दें और इनको लिमिटेड करने की कोशिश करें।

[श्री हरिनाथ तिवारी]

इन सभी बातों के रहते हुये मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय वरना यही दिक्कत होगी कि संशोधन के ऊपर संशोधन आयेंगे या अदालत से अल्ट्रा-वायरस हो जायगा। इसलिये या तो इसे वापस ले लें और फिर रिड्राफ्ट करके पेश करें या इसे प्रवर समिति क सुपुर्द कर द।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन बिल को अच्छे तरीके से पढ़ा और आप ने भी इसको गम्भीरतापूर्वक पढ़ा होगा। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अगर गरीब जनता को मालूम हो जायं तो वह शासक दल से बगावत भी कर सकती है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनकी खराबियों को समझने के लिये इसका प्रवर समिति में जाना बड़ा आवश्यक हो गया है। इस विधेयक में एक उद्देश्य रखा गया है कि औद्योगिक कामों के लिये ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जा सकती है और उसे खरीदने के लिये उद्योगपतियों को हक दिया जायगा। यों तो आप की ओर से कहा गया है कि खरीदने के बाद साढ़े बारह एकड़ तक जमीन रख सकते हैं। आज आप अगर अपने प्रदेश के आंकड़े मंगायें तो मालूम होगा कि सब सेपहले आप जब सत्तारूढ़ हुय तो ८ अगस्त, १९४६ को जब आप न जमींदारी विनाश का प्रस्ताव पास किया था और ३० जून, १९५२ को जब आप ने जमींदारी विनाश का एलान किया तो इस दरमियान में कितने बड़े-बड़े लोगों ने न जाने कितनी जमीन को इधर उधर कर दिया। वह जमीन तो आपने भी नहीं ली। पोखरा, झील, तालाब, नदी, नाले आदि की सार्वजनिक उद्देश्य के लिये जो जमीन थी, वह सब साफ हो गई। हजारों दरख्वास्तें आप के यहां आईं, लेकिन आप ने कभी उनको देखने की कोशिश नहीं की। उस समय आप सत्तारूढ़ थे, यदि आप चाहते तो झील, तालाब, पोखरा, नदी नाले आदि की सार्वजनिक जमीन बच जाती। लेकिन आप चाहते थे कि बड़ा लुटेरा तबका जमींदारी खत्म होने से पहले ही गांवों की जमीन हथिया ले। श्रीमन्, मुझे अपने जिले का तजुर्बा है, गांवों में चरागाह तक के लिये जमीन नहीं रह गई, पाखाने जाने तक के लिये जमीन नहीं रह गई है। झील, तालाब, पोखरे आदि खुदवाये गये और लोगों से नजराने में भारी रकम लेकर जमीन दी गई। मेरे जिले में यहां तक हुआ कि ५०० रुपया प्रति एकड़ नजराना दिया गया यानी १२५० रुपय म एक एकड़ जमीन मिली। लोगों ने झील, तालाब, पोखरा, नदी, नाले आदि की जमीन इतनी भारी कीमत देकर ली और लेने के बाद जोतते चले आ रहे हैं और उनको भारी लगान देना पड़ता है। वहां जब चकबंदी हुई तो बहुत सी जमीन उनसे छीनकर गांव समाज को दिला दी गई। इस तरह से किसानों का बहुत सा रुपया लूटा गया है। किसानों की गाढ़ी कमाई से तैयार हुई जमीन को आपने उनके पास न रहने देने की व्यवस्था की। उस समय यदि आप चेत जाते तो बहुत सी जमीन सार्वजनिक कामों के लिये आपको मिल जाती। लेकिन अपने रिश्तेदारों को, बिरादरी वालों को और खऊड़ आदमियों को जिनके प्रतिनिधि राजस्व मंत्री खुद हैं, उनके गांव के आंकड़े मंगाये जायं तो मालूम होगा कि खुद तो दो रुपये बीघे का लगान देते होंगे और उनके गांव के काछी, मुराऊ वगैरा लोग १० रुपये देते हैं।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि वे अपने यहां के आंकड़े मंगा लें और देखें कि जो जमीन खुद जोतते हैं व क्या लगान देते हैं और आप कितना देते ह। ८ अगस्त, १९४६ के बाद न जाने जमीन कितने खातों में तब्दीलकर दी होगी। मुझे अपने जिले का तजुर्बा है और मुझे मालूम है कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने फर्जी नाम क खात लिखा रख हैं और लार्ज होल्डिंगस से बचने के लिये यह कार्यवाही की है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत है जो आप कह रहे हैं। आप साबित कीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—आप अपने यहां के आंकड़े दीजिये और मैं अपने यहां के देता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर मैं गलत होऊंगा तो वापस लूंगा और आप का

साथ दूंगा। आपके गजेटियर को भी मैंने पढ़ा है। जो खुद जोतते हैं वे ज्यादा लगान देते हैं। कहिये तो गजेटियर मंगा कर पढ़ दूं।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—यह बात जो आप ने कही है कि हमने इंडराज कर लिये हैं सार्ज होल्डिंग्स से बचने के लिये, बिलकुल गलत है।

श्री दीपनारायणसिंह—अगर आप दावे के साथ कहते हैं तो इस बात को जिले वाले बता सकते हैं। अगर आप ने गरीब किसानों की तरह से जीवन बिताना शुरू किया है तो आप को मुबारकबाद है लेकिन मेरा तजुरबा है। कहिये तो नाम बता दूं। आप जांच करवा लीजिये कांग्रेसी एम० एल० ए० के बारे में। आप पता लगवा लीजिये अगर मैं गलत कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय दीपनारायण सिंह, आप अपनी बात कहिये किसी का नाम न लीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं एक-एक जिले का गजेटियर पढ़ने के बाद, एक-एक गांव को देखने के बाद कह रहा हूं। आप सर्किल रेट लगवा लीजिये। सर्किल रेट से दूना तक लगान कर दीजिये। कोई जोत कर न लगाइये तो आपको मालूम हो जायगा, छोटे आदमी का लगान अगर ज्यादा है तो वह कम हो जायेगा और बड़े आदमी का जिसका लगान कम है उसका बढ़ जायगा। सारे सूबे में एक-सा लगान आप क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? क्या आप इस तथ्य से भी इनकार कर सकते हैं कि एक बीघे में जितना गल्ला एक गरीब पैदा करता है, जिसके पास जमीन कम है, उसका आधा और चौथाई गल्ला भी ज्यादा जमीन वाला नहीं पैदा करता है? तो आपको ज्यादा जमीन रखने का अधिकार क्या है? समाजवाद का पहला लक्ष्य यह है कि जो खेत में औरत के साथ काम करता है, उसको जमीन मिलनी चाहिये क्योंकि उससे ज्यादा फायदा होगा। देश की जमीन रबड़ की तरह तो बढ़ेगी नहीं और आबादी बढ़ रही है। इसलिये सबसे बड़ा देशभक्त वह है कि जो कम जमीन में ज्यादा गल्ला पैदा करने की कोशिश करता है। आज मेहनत करने वाले के हाथ में कम जमीन है जो कम जमीन में ज्यादा गल्ला पैदा करता है और बड़े-बड़े उद्योगपति जो कम गल्ला पैदा करते हैं उनको सुविधा देते जा रहे हैं। आपके सत्तारूढ़ होने पर भी गल्ले की कमी है। आस्ट्रेलिया और कैनाडा का सड़ा गेहूं खिलाया जाता है। आप उद्योगपतियों को साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा भी जमीन खरीदने की सुविधा दे रहे हैं। जो मेहनत करने वाला, नजराना देकर, कर्जा लेकर जमीन को पा सका है, उस गरीब की जमीन आप रामरत्न गुप्ता के हवाले करेंगे, जैपुरिया के हवाले करेंगे, सिंहानिया के हवाले करेंगे। आप गरीबों की कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं बना रहे हैं। उनमें कितने खउवा हैं। एक प्रश्न का उत्तर दिया गया कि जनता के शेयर्स हम वापस नहीं कर सकते, क्योंकि सोसाइटियां तो जनता की हैं चाहे जितना वहां गबन हुआ है। आपके डी० सी० ओ० जो हैं, वह किसलिये हैं? अगर आपकी सोसाइटियां रुपया खा रही हैं, रुपया गबन कर रही हैं तो यह अफसर क्या कर रहे हैं? सोसाइटी के नाम पर बड़े-बड़े आदमियों को जमीन दिलाने की बात कर रहे हैं किसी को योजना की ग्रांट, किसी को तेलाभीरी की ग्रांट। सोसाइटी की ग्रांट तेलाभीरी की ग्रांट है। देहातों में काम करने के लिये एक दलालों का गिरोह सोसाइटी के रूप में पैदा हो गया है। कौन सोसाइटी है जो सही तरीके से काम कर रही है? अगर आप शुद्ध सोशलिस्ट एकानामी चाहते हैं, तो क्या वह यही है, दस आदमी मिल कर खेती करने वाले साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकते? सफेदपोश तो कम से कम ७५ बीघे का आदमी होता है। माननीय राजस्व मंत्री जी, आपके परिवार के लोग भी बड़ी मुश्किल से एम० ए०, बी० ए० की एजूकेशन पाते होंगे। इस तरह बहुत से गरीब परिवार के लोग हैं जो किसी तरह यह एजूकेशन पाते हैं, लेकिन अगर वह सफेद कपड़े पहनने लगे तो उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी की नजर लग गई। उन्होंने सोचा कि उसकी जमीन भी हड़प लो और हड़प कर सिंहानिया, बिरला और रामरतन गुप्ता को दे दें। माननीय राजस्व मंत्री जी, आप में तो कुछ दिली चेतना आयी होती।

[श्री दीपनारायणसिंह]

आप तो हमारे भाई हैं, हमारे ही खून है। आप क्यों यह सब बनियों के हाथ में सौंपते जा रहे हैं, आप हुकुम सिंह बनिये, हुकुम मान सिंह न बनिये। आप हमारे बनिये, हम आपको आगे उठाने के लिये तैयार हैं। आप क्यों ऐसा विधेयक लाते हैं? अगर आप हमारे खून न होते तो मैं कभी ऐसी अपील आपसे न करता। यह जो धारा १५४ में संशोधन आप ला रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि आपका भाई अगर जमीन लेना चाहे और उसके पास ८ एकड़ पहले से है तो वह साढ़े चार एकड़ से ज्याना नहीं ले सकेगा और बिरला, सिंहानिया लेना चाहें तो जितनी चाहें उतनी खरीद सकेंगे। सर छोटूराम पंजाब में मिनिस्टर थे। वह भी किसान थे, आप ठाकुर किसान हैं, मैं कुर्मी किसान हूं। आप देखें सर छोटूराम ने पंजाब में क्या किया? उन्होंने पंजाब में बनियों को किसानों की जमीन खरीदने से रोक दिया। एक भी बनिये को घुसने नहीं दिया और आप यहां देहातों में बनियों को घुसेड़ने की प्रवृत्ति ला रहे हैं। यह कितना खतरनाक कदम उठाने जा रहे हैं। सर छोटूराम के कदम पर भी आप चलते तो हम आपको मुबारकबाद देते। सर छोटूराम ने वह काम कर डाला कि देहातों में एक भी बनिये को घुसने नहीं दिया। लेकिन आप हमारा खून होते हुये उनको यह एक मौका दे रहे हैं? आज बहराइच का किसान क्या सोचेगा कि हमने ऐसे प्रतिनिधि को भेजा, ऐसे मिनिस्टर को भेजा जिसने हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया। आप राणा प्रताप बनिये, मानसिंह न बनिये। माननीय राजस्व मंत्री, आप किसानों में से हैं, हमारे ही खून हैं। जरा सोचिये तो कि आपका भाई, आपका हलवाहा, मामूली किसान खरीदना चाहे तो साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता और सेठ साहब खरीदें तो मनमानी खरीद सकें, यह कितनी बड़ी गलत बात है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि कायदा सबके लिये एक होना चाहिये। हमारे जमींदार साहबान बैठे हुये हैं। सही है ये लुटेरे लोग थे। लेकिन इनसे बड़े लुटेरे तो आज ये बनिये हैं जिनके साथ चलकर आप हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन आप इतनी भारी तादाद वाले किसान और मजदूरों को छोड़कर कहां जा रहे हैं? आज यह सदन आपकी तरफ देख रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उनमें से हैं जो बीच वाले तबके से ऊंचे उठे हुये हैं। किसी मिल मालिक के खानदान में आप नहीं पैदा हुये हैं। मेरे बहुत से रिश्तेदार आपके निवास स्थान में है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सन् १९३० से आज तक आजादी की लड़ाई में बराबर आप लड़े है। किसान आपके साथ इसलिये हुआ कि आप जमींदारी खत्म करके मौरूसी हक उसको देने वाले थे। आपने जमींदारी खत्म की। लेकिन जमींदारी खत्म करके भूमिधर बनाने का मतलब यह हुआ कि सेठ साहब ने दस मुकदमों में डिग्री करवाकर कर्ज में उसकी भूमिधरी की जमीन भी हड़प कर ली तो उसके बाद वह अब क्या करे? नौकरी उसको मिल नहीं सकती। किसान ठाकुर, कुर्मी, अहीर, गड़रिया आदि ही अधिक हैं इनको नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी के लिये तो बी० ए०, एम० ए० चाहिये। और इतनी शिक्षा देने की हैसियत १२।। एकड़ के काश्तकार की नहीं है, हम चला नहीं सकते। जो कुछ थोड़ी बहुत खेती बची हुई है उसको आप दूसरों को दिये जा रहे हैं, तो आज किसानों के तबके का कहां ठिकाना रहेगा? इसलिये मैंने इस बिल का विरोध करना शुरू किया।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा बिल के प्राविजन्स के अन्दर रहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—१५४ जो बिल की धारा है उस संबंध में ही मैंने यह कहा।

श्री उपाध्यक्ष—आगे कहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वृक्षारोपण समारोह भी खूब जोरों से चला, जब श्री के० एम० मुन्शी सेंटर में मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत से पेड़ लगवाये। अब माननीय अलगूराय शास्त्री जी वन मंत्री हैं, वह जानते होंगे मगर सब जगह वृक्ष कटते ही

जा रहे हैं। लेकिन वृक्षारोपण का क्या नतीजा हुआ ? अगर किसानों ने परती जमीन पर गांव समाज की जमीन पर पेड़ लगाये तो वह भी आप लेने जा रहे हैं। जरा आप देखिये। आपका संशोधन है कि खेत की मेड़ पर खड़े हुये बाग को छोड़कर बाकी सब पेड़ों को आप छीनने की बात कहते हैं। परती पर भी पेड़ काश्तकारों के लगाये हुये हैं, उनके बाप दादा के लगाये हुये हैं, आपके वन महोत्सव में उन्होंने उन पेड़ों को लगाया है। उनको भी आप काश्तकारों के लिये बरकरार रखिये चाहे वह किसी भी जमीन पर रहें। माननीय राजस्व मंत्री जी, बजाय इन कागजी घोड़े दौड़ाने के इस बात पर ध्यान दीजिये कि ये पेड़ किस कारण लगाये गये थे। हमने इस कारण इन पेड़ों को लगाया था कि राजस्थान की हवा को रोक दें। उस राजस्थान का पुराना जौहर बहादुरी का तो आपने रोका लेकिन उसकी रेगिस्तानी हवा को नहीं रोका। यह राजस्थान की लहर आप किसी तरह से रोक नहीं पाये। यह बढ़ती जा रही है। खेतों की पैदावार बढ़ नहीं रही है। जो जमीन पर काबिज रहकर उसमें खाद डालकर कम जमीन से ज्यादा पैदावार करने की जुर्रत रखते हैं उनके हाथों में जमीन रहने दें। आपकी चकबन्दी में भी यही हो रहा है। मेरे फतेहपुर में अन्धेर मचा हुआ है बढ़िया जमीन छोटे आदमियों से लेकर बड़े आदमियों को दी जा रही है। गरीब आदमी जिस जमीन में खाद डालकर खूब पैदा करता था वह आज उसके हाथ से चली जा रही है लेकिन आपको क्या परवाह है। आप तो कानून जबरदस्ती लादते जाते हैं। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि पूंजीपतियों के लिये कानून बनाकर उनके गलत इरादों को अपने हाथ से अमल में न लाने दें। कभी ऐसा काम न करिये जिससे गरीबों का गला कटता हो। महाभारत के जमाने में जो काम भीष्मपितामह को मरवाने का किया गया था वह काम आप अपने को बदनाम करके हरगिज न करिये।

आप हमारे नेता हैं और हमारे वर्ग के नेता हैं। आपके अन्दर किसानों का खून है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस धारा १५४ के द्वारा पेड़ों के संबंध में जहां-जहां किसानों के अधिकार छीने जा रहे हैं उनके लिये आप ऐसा न करने दें। कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर बड़े-बड़े सेठ आ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने के नाम पर वही आ रहे हैं। जो मोरार जी देसाई ने कहा था उसी को आप अप्रत्यक्ष रूप से ला रहे हैं। जो मोरार जी देसाई लाना चाहते थे सेंटर में एक विधेयक के जरिये से जिसका विरोध आपके उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष माननीय ए० पी० जैन ने किया था उसको आप यहां पर न लाइये। आपके उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अगुवा ने जिस प्रकार की भावना का विरोध किया था वही भावना आप दूसरे शब्दों में यहां पर ला रहे हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है। आप विद्वान हैं लेकिन भ्रम में पड़े हुये हैं। आप अपना स्वरूप नहीं पहिचानते हैं। यह आपसे गलती हो गई है मुझे ऐसा लगता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारा शेर, हमारा राजस्व मंत्री अपने सही स्वरूप को पहिचान ले, किसानों की मुसीबत को जान ले, उनका नेता बन जाय तो आज इस सदन में इस प्रकार पूंजीपतियों की हिमायत करने वाला विधेयक, किसानों के पेड़ व जमीन छीनने वाला विधेयक उनके कर कमलों द्वारा न लाया जाय। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आजादी का दीवाना, पुराना योद्धा बूढ़ा होकर आज शिथिल हो रहा है। उनको प्रोत्साहित करने के लिये इस सदन का थोड़ा सा समय मैंने आज बरबाद किया है। मैं आशा करता हूं कि मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे आजादी की लड़ाई के अगुवा आज फिर अपने स्वरूप को पहिचानेंगे और वही हुंकार, जो उन्होंने अपने शोषक जमींदारों के खिलाफ उठाई थी, पूंजीपतियों के खिलाफ उठाई थी, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ उठाई थी फिर उठायेंगे। आप बहराइच में कारखाना खोल दें तो बहुत अच्छा हो। वहाँ पर बहुत सी जमीन परती पड़ी हुई है। बड़े आदमियों की जमीन वहाँ पर पड़ी है वह भी आप लेलें। हमारी तरफ के देश भक्त जमींदार मनकापुर में भी जमीन देने के लिये तैयार हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि आप वहाँ पर किसान और मजदूरों के हित के लिये उद्योग खोलें और गरीब किसान और मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनायें। उनके लिये उद्योग खोलिये। पब्लिक सेक्टर में कोई काम शुरू करके

[श्री दीपनारायणसिंह]

आप उसके मैनेजर बन जाइये और राजस्व मंत्री भी बने रहिये, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जो सत्ता आपको किसान मजदूरों के वोटों द्वारा मिली है, जो उनके रक्तदान से स्वतंत्रता मिली है, जिस प्रकार वे जागे हैं, उस स्वतंत्रता को, उन की जागृति को आप रुपये वालों के हाथ न बेचें। मैं फिर आप के माध्यम से अपील करता हूं। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूं। वे मेरी अपील को सुनें, एक गरीब किसान की बात, एक आजादी के उस लड़ाई के साथी की बात वह सुनें। पता लगा लीजिये कि मैंने कोई परमिट खुद या किसी रिश्तेदार को दिलाया हो, किसी की जमीन ली हो। मैं छोटा भाई हूं आपका और आप से अपील करता हूं कि आप मेरी विनती को मानें। मुझे अपील करने का हक है। देहात का किसान अब जागा है। उतिष्ठतः जागृत प्राप्य वरान् निबोधितः। जैसा गीता में कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन से कहा था:—

"क्लैव्यं मास्यगमः पार्थः नैतत्वकपयघेते।"

अर्जुन, हिजड़ेपन को छोड़ दे। आप के लिये भी यह शोभनीय नहीं है और इसलिये यह आपका छोटा भाई कह रहा है, इसे मान लीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—मुझे तो बोलने का मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आप बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। जवाब तो स्वास्थ्य मंत्री का होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय, उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि मेरे खड़े होने से मेरे मित्रों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। मुझे दो बार बोलने का राइट है। मैं तो बीच में इंटरवीन कर रहा हूं हमारे मित्र ही फाइनल जवाब देंगे। मैंने अपने मित्रों की बातें सुनीं। (व्यवधान) जब मैं खड़ा हुआ तो आप तिलमिलाने लगे। सदन का यह तरीका है कि कहने की क्षमता होनी चाहिये और सुनने की क्षमता होनी चाहिये।

श्री बलवानसिंह—मेरा खयाल है कि राजस्व मंत्री जी नाराज हो रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नाराज नहीं हो रहा हूं।

श्री बलवानसिंह—मुझे ऐसा लगता है कि दीपनारायण सिंह जी ने जो बातें कही हैं उनके बारे में जोश में आकर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात कहना ठीक नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे भाई ने बहुत सी बातें कही हैं और मैं उस स्तर पर उतर कर बात करना नहीं चाहता। उनके बारे में तो तुलसीदास जी ने कहा है "तुलसी बुरा न मानिये" मैं उनकी सलाह को फालो करूंगा और उनकी बातों का जवाब देने के लिये तैयार नहीं हूं। एक स्तर के नीचे उतरना किसी मिनिस्टर के लिये मुमकिन भी नहीं है। उन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जिन महाशयों ने इस विधेयक के सिलसिले में कहा है और खास कर हमारे रामसुन्दर जी ने, जो घोसी तहसील के रहने वाले हैं, और जिन्होंने ही यह संशोधन पेश किया है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, उनका व्याख्यान सुनने के बाद मुझे यह इंप्रेशन हुआ कि उन्होंने शायद विधेयक पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा तो समझा कतई नहीं और इसी प्रकार और बहुत से वक्ताओं ने भी विधेयक नहीं पढ़ा ऐसा मुझे लगा। कहते हैं कि यह साढ़े १२ एकड़ की सीमा बिड़ला जी के लिये बढ़ाई जा रही है। बहुत से माननीय सदस्य अक्सर कहा करते हैं कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। आखिर वह कैसे हो? जमीन आप देंगे नहीं तो इंड-

स्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा ? हवा में तो फैक्ट्री नहीं बनेंगी। बनेगी तो जमीन पर बनेगी। हमारा जो मौजूदा कानून है अगर साढ़े १२ एकड़ है तो उससे ज्यादा वह एक्वायर नहीं कर सकता और परचेज नहीं कर सकता। लिहाजा उसके रास्ते में यदि कोई रुकावटें हों उनको दूर करने के लिये ही ऐसा करने जा रहे हैं। जो लोग कानून के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उनके लिये तो मैं कुछ नहीं कहता हूं। लेकिन जो लोग विलीव करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिये यह करना आवश्यक है।

हमारे मित्रों ने सारी बहस कर डाली कि हम अपोजीशन प्राविजन कर रहे हैं। हम तो केवल भूमिधरी का अधिकार बढ़ा रहे हैं कि अभी तक बेचने का नियंत्रण है वह अब नहीं रहेगा। जिसके पास साढ़े १२ एकड़ है उसके हाथ वह नहीं बेच सकता था। लिहाजा उनके रास्ते में जो रुकावटें थीं कि कम्पटीशन न होने की वजह से उनको सही दाम नहीं मिलते थे, वह अब नहीं हो पायेगा। ऐसा हो जाने से उन लोगों को डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। औद्योगीकरण के लिये और कोआपरेटिव के विकास के लिये हम इस विधेयक के जरिये से उनको अधिकार दे रहे हैं कि जिनके पास साढ़े १२ एकड़ है और इंडस्ट्रियल परपज के लिये काफी नहीं है तो उनके हाथ वह बेच सकते हैं।

एक बात और हमारे एक माननीय सदस्य ने कई मर्तबा कही कि आप क्यों भूमिधरी पर नियंत्रण लगाये हुये हैं, तो जब हम नियंत्रण हटाते हैं तो भी उलझन रहती है और जब लगाते हैं तो भी परेशानी रहती है। अब इसका क्या इलाज किया जा सकता है ? यह हमारे लिये बड़ी परेशानी की बात है।

(व्यवधान)

आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप केवल परिधि के बारे में ही क्यों बात करते रहे। इससे साफ जाहिर है कि आपकी समझ में पूरी बात आई ही नहीं है। आप इसलिये दूसरी बात नहीं कर सके और खामोश रहे।

दूसरी बात मैं और बता देना चाहता हूं कि १५४ जो सीलिंग में है, उसमें जो इंटेरेस्ट रेट का मामला है वह अभी डिटरमिन्ड नहीं हो सकता है। इसी तरह से जो जरूरतें हम को मालूम हुई वह मैं बता रहा हूं। उदाहरण के लिये अभी कहा गया और बहस हो रही थी कि बलिया और बिहार के बारे में यह कहा गया। लेकिन यदि दरिया के ऐलवियन से कोई जमीन हमारे पास आ जाय और हमारी स्टेट में आ जाय तो उसमें कानून को एक्सटेंड करने का अधिकार हो। हम कहीं चोरी नहीं करते हैं। अगर हमें अधिकार न हो तो हम क्या करेंगे। मान लीजिये बिहार की जमीन हमारे बलिया में आ गई तो हम इसमें कानून का पालन नहीं कर सकते। हम गांव समाज नहीं बना सकते और न कोई विकास का काम ही कर सकते हैं। कोई स्कूल नहीं खोल सकते हैं और न कोई सड़क ही वहां पर बना सकते हैं। बहस तो इतनी लम्बी-चौड़ी हो गई पर नतीजा कुछ न निकला। माननीय काशीनाथ जी मिश्र जो बलिया के हैं उन्होंने कान्सटीट्यूशनल बात उठा दी और वह कहने जा रहे थे कि वह जमीन हमारे पास आ जाय, लेकिन वह जमीन बलिया के खिलाफ जायेगी। मैं कहता हूं कि उनकी बात के ऊपर कि उनको यह मालूम होना चाहिये कि पहले कानून बनता है तब रूल लागू होता है कि पहले रूल लागू होता है फिर कानून बनता है ? अगर इतनी बात भी नहीं समझ सकते हैं तो इस सदन में हम लोग बैठने के काबिल नहीं हैं। आप बहस चाहे २ रोज कीजिये या ४ रोज आप तो यही कहते हैं इसको प्रवर समिति को भेजा जाय। आप ऐसा कह कर डिले करा रहे हैं। माननीय रामसुन्दर जी को तो केवल डिले करने की तरकीब आती है। वह सोचते होंगे कि ऐसा हो जायगा। लेकिन ऐसे चक्कर में हुकुमसिंह कभी नहीं फंस सकता है।

मैं तो यह कह सकता हूं कि अगर उन्होंने बिल को पढ़ा होता तो संशोधन के लिये कोई नोटिस भी होता। इससे अच्छे तो माननीय मुरलीधर कुरील हैं जिन्होंने इसको पढ़ा

[श्री दीपनारायणसिंह]

तो और कम से कम कुछ दिया तो इस पर। परन्तु आपने तो अगर पढ़ा होता तभी तो आप कोई संशोधन देते। कहीं कोई भी कोशिश नहीं की। सब से सहल हो गया कि "प्रवर समिति को भेज दिया जाय और परिधि भी बढ़ा दीजिये।" उसका मतलब यह है कि और कोई संशोधन लायेंगे पर वह आपके दिमाग में है नहीं। तो यह प्रयास इसलिये है कि यह बिल डिले किया जाय। अगर प्रवर समिति में छोटे-मोटे संशोधन भी कर दें तो इसके माने हैं कि इसे फिर परिषद् को ले जायं और फिर वहां से लाकर यहां रखें और ६ महीने बीत जायं और जो दिक्कतें बढ़ रही हैं उनका हल न हो। फिर यह लेक्चर देना कि लैन्ड होल्डिंग ऐक्ट के खिलाफ जायगा वह कोई रेलेवेंट बात नहीं कही गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—६ लाख एकड़ अधिकतम जोत सीमा में आपको मिला?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उस पर अमल हो रहा है। उसमें अपील भी दायर होती हैं, कोर्ट का निर्णय होता है उसमें देर लगती है। एक लाख से ज्यादा तो सरप्लस लैन्ड आ गयी है, और भी जमीन आयेगी। ऐक्ट मौजूद है, जायगा कहां? न बहराइच जायगा, न आजमगढ़ घोसी जायगा। वह लागू है, उस पर कार्यवाही हो रही है। कम से कम ९ महीने तो स्टैटुटरी बिल है, तब तक इंतजार कीजिये। तो यह कह देना कि सीलिंग बिल बेकार हो गया तो जब लागू हो जाय मुकम्मिल तौर पर तब कहिये। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। यह संशोधन बेकार और बेसूद है और डायलेटरी है और उसको रिजेक्ट किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

***श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैंने ध्यानपूर्वक अपने मंत्री महोदय और अन्य सदस्यों के भाषणों को सुना। मैं अक्सर मंत्री महोदय के मुख से सुनता रहता हूं कि अमुक विधेयक को पढ़ा नहीं या समझा नहीं। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री और माल मंत्री महोदय अक्सर कहा करते हैं कि पढ़ा नहीं, समझा नहीं। लेकिन मैं प्रमाण रखता हूं कि कौन समझा नहीं और कौन पढ़ता नहीं। हम देखते हैं कि एक बिल पास होता है, दो दिन बाद संशोधन आ जाता है। क्या ऐक्ट के बनने के पहले विरोधी दल को दिया जाता है पढ़ने के लिये ड्राफ्टिंग के पहले जब संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं उस वक्त भी विचार नहीं किया जाता? जब एक चीज खटकी कि विरोधी पक्ष आक्षेप करेगा तो एक संशोधन ला दिया जाता है। किसने उसको नहीं समझा और नहीं पढ़ा?

जहां तक संशोधन का विषय है तो सचमुच हृदय को बड़ा दुख होता है। इधर से अगर आध घंटा खड़े होकर बोल देते हैं तो कहते हैं कि इतना समय व्यर्थ लिया, केवल इसको घसीटना चाहते हैं आप। लेकिन अगर आंकड़े मिलाये जायं कि कितना रुपया खर्च होता है बिल में संशोधन लाने से तो पता चलेगा। इसके लिये कभी आपने अपने ड्राफ्टिंग डिपार्टमेन्ट को दुरुस्त करने का प्रयत्न किया? मैंने ३ बिलों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये, अब फिर अपने विचारों को दोहराता हूं कि जब संशोधन आता है तो हृदय बड़ा दुखी हो जाता है। पढ़ने के बाद जहां कमी होती है तुरन्त मालूम हो जाती है। इस सरकार को जब रूलिंग हो जाती है कोई तब यह खटकता है कि अब संशोधन हो जाना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह नदी कोई नयी नदी नहीं आई है। बिहार और बलिया का झगड़ा न मालूम कितने दिन से चल रहा है। आप जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में कितने संशोधन लाये? उस वक्त इस चीज का ध्यान आपको क्यों नहीं आया? इसलिये नहीं आया कि आपने उसको समझा नहीं था। उसको समझने की जिम्मेदारी किसकी थी? हम इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर तथा और पुराने कानूनों को रोज पढ़ते हैं। वे आज की बदली हुई परिस्थितियों में भी सालिड राक की तरह अपनी जगह पर हैं, कभी उनमें संशोधन होते नहीं देखा गया। किन्तु आज, चाहे इंडियन कान्सटीट्यूशन हो, या कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी आपका बनाया हुआ कानून हो, उसमें आये दिन संशोधन होते रहते हैं। मैं वकील हूं, मैं तो उसको पढ़ता रहता हूं। जिस तरह से फ्रेंच संविधान रोज-रोज बदलता है, उसी तरह से आपके कानून बदलते हैं। इस पर मुझे एक अंग्रेजी का सेन्टेन्स याद आ गया, उसका मतलब यह था कि एक दुकान पर किताबों की, जब एक सज्जन फ्रेंच कान्सटीट्यूशन खरीदने गये और उसको दूकानदार से मांगा तो दूकानदार ने कहा कि हम अस्थायी लिट्रेचर नहीं रखते, स्थायी ही रखते हैं। वही हालत आपके कानूनों की है। दिन प्रति दिन आपके लाज बदलते रहते हैं। ला बनाने वाले अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और रुपये का इस तरह से दुरुपयोग होता है। आप तो सोचते हैं कि हम संशोधन ले आयेंगे, बहुमत के बल पर पास करा लेंगे। मगर इससे काम नहीं चलेगा। आज जब हम बाजार में दूकानदार से कहते हैं कि जमींदारी एबालिशन एक्ट की नयी कापी चाहिये, वह कह देता है कि यह है, देख लीजिये। किताब खरीदी जाती है। ला पेश किया जाता है अदालत में, मालूम होता है कि उसमें तो संशोधन हो गया है। आपने जिस तरह से लैन्ड टेन्योर सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया है उसको क्या कहा जाय, समझ में नहीं आता। आपने उसको ऐसा बना दिया है कि कोई भी इंसान अपने को सेफ नहीं समझता। इन्हीं बातों को देखते हुये, एक चीफ जस्टिस, श्री महाजन ने अपने एक आर्टिकिल में लिखा था कि गवर्नमेन्ट ने रोज-रोज कानून में संशोधन करके उसे जंगिल आफ लाज बना दिया है जिससे वकील तक उनको समझ नहीं पाते हैं और बड़ी परेशानी होती है। आप का टेनेन्सी ला इतना डिफेक्टिव है कि वह समझ में नहीं आता। हर बैठक में आप कोई न कोई अमेंडमेंट ले आते हैं। यह क्यों आते हैं? इसलिये आते हैं कि आप स्वयं उन्हें देखते नहीं, जो चीज सामने रख दी जाती है, उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, और फिर कहते यह हैं कि विरोधी दल उसको पढ़ते नहीं। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपको फुरसत नहीं है और वह आपकी समझ में नहीं आता है, आपकी बुद्धि का दिवालियापन हो गया है, अगर आपके पास समय नहीं है उसको देखने के लिये तो आप उसको अपने लीगल डिपार्टमेन्ट के सुपुर्द कर दीजिये ड्राफ्टिंग डिपार्टमेन्ट के सुपुर्द कर दीजिये। आपको साफ तौर से कह देना चाहिये कि अगर बार बार संशोधन लाने पड़ेंगे तो हम तुम्हारे करेक्टर रोल में एंट्री कर देंगे क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या मुंह लेकर हम पब्लिक के सामने जायेंगे।

आज सचमुच मेरा हृदय घबरा गया। इसलिये नहीं कि यह गवर्नमेन्ट ठीक काम नहीं कर रही है, बल्कि इसलिये घबरा गया कि न जाने कल को यह क्या कर बैठे। इससे तो अच्छा यह हो कि कोई आये और स्टेटिक रहे। क्या हिटलर को कोई चाहता था? नहीं। लेकिन एक से लोग ऊब गये थे इसलिये हिटलर को चाहते थे। माननीय मंत्री जी जरा इस ओर ध्यान दें कि यह भावना क्यों पैदा हो रही है। इस चीज़ को आप क्यों नहीं संभालते हैं। उल्टे विरोधी दल से आप कहते हैं कि यह समझा नहीं, इसको पढ़ा नहीं। एक हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि रेंट कन्ट्रोल में लेक्यूनाज़ हैं, लेकिन उनको नहीं ठीक किया। त्योरस साल गवर्नर महोदय के एड्रेस में कहा गया कि इसको संशोधित किया जायगा लेकिन नहीं किया गया। टैक्सों के बारे में रोज रोज विधेयक और संशोधन विधेयक लाये जाते हैं। एक हईकोर्ट के जज ने साफ कहा कि मैं इन विधायकों को बुद्धि नहीं दे सकता। अगर मैं वहां आर्ग्यू करता तो कहता कि आप हमें क्यों यह कहते हैं, कानून तो उधर से बना कर रखा जाता है। ये रिमार्क्स किसी पर लांछन की दृष्टि से नहीं आते यह तो इसलिये आते हैं कि आगे उन बातों की शुद्धि हो जाय। लेकिन यहां पर उन लोगों के मुंह को भी बंद किया जा रहा है। अभी उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी शुगर एसोशियेशन को एड्रेस कर रहे थे, उसमें माननीय विंदवासनी प्रसाद के एक बयान पर माननीय मुख्य मंत्री नाराज हो गये। जमीन के ऊपर टैक्स लगाने का जो कानून है, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिये थे। इस प्रकार से यह सरकार जुडीशियरी पर भी हावी हो जाना चाहती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी सिलसिले में एक वाक्य कह दिया था कि अब तो प्रत्येक मछली अपने को ह्वेल ही समझती है। इस वाक्य का प्रयोग अब सभी लोग करने लग गये हैं।

[श्री मार्कण्डेय प्रसाद त्रिपाठी]

आपके कंधों पर बड़ा भारी बोझा है, बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हमारे प्रदेश का शासन आपके हाथ में है, आप क्यों नहीं टैम्पोरेरी सिस्टम बनाते, रेवेन्यू सिस्टम बनाते जिससे बार-बार इस प्रकार के संशोधन आपको न लाने पड़ें। जब आपको रुपये की जरूरत पड़ती है तो जनता से आप उसको वसूल करते हैं, लेकिन जो आपको रुपया देता है वह यह भी जानना चाहता है कि जो रुपया आपको दिया जाता है उसका सदुपयोग होता है अथवा दुरुपयोग। अभी माननीय मंत्री जी से पूछा जाय कि इस अमेंडमेंट में कितना खर्चा होगा। तो माननीय मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पायेंगे। लेकिन अगर कहीं कोई विरोधीदल वाला यह कहे कि १ घंटा मैं और बोलना चाहता हूं, अपने दल की कोई बात कहना चाहता हूं अथवा ६७ प्रतिशत लोगों की ओर से कुछ आपको कहना चाहता हूं, चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो लेकिन वे किसी की कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं होंगे। अभी तक तो कहा जाता था कि एक पत्थर से दो चिड़िया मारी जा रही हैं लेकिन यहां तो एक ही पत्थर से ५ चिड़िया मार रहे हैं। इस अमेंडमेंट बिल से ५-५ कानूनों पर असर पड़ेगा लेकिन ऐसे अहम कानून के बारे में भी आपने सोचा नहीं। एक बात और कह दी उन्होंने कानूनी पहलू पर। जब माननीय काशीनाथ जी भाषण कर रहे थे तो कहीं अपने भाषण में उन्होंने कह दिया कि पहले हम कुछ नियम बना लें फिर बाद में कानून बन जायगा। इस पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा कहीं होता है, पहले कानून बनता है तब नियम बनता है। इस सम्बन्ध में एक बात माननीय समाज कल्याण मंत्री को बतला दूं कि वह इर्रेलिवेंट है। मंदिरों की जायदाद बचाने के लिये जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने पाइलेट किया, उस सम्बन्ध में हम लोगों के कई अमेंडमेंट उन्होंने स्वीकृत किये और उनकी महानता की मैं प्रशंसा करता हूं और मुझे विश्वास है कि यदि वे इसको पाइलेट करते तो हमारे बहुत से संशोधनों को वे मान लेते। वे बड़े कुशल वकील हैं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन मैंने उस मौके पर एक प्रश्न किया था कि कोई दावा करता है किसी महंत पर कि मंदिर की जायदाद में जो यह मकान है यह मेरा है और दोनों मिल जाते हैं और डिग्री हो जाती है प्लेंटिफ के मुआफिक और वह महंत हार जाता है, तो आप क्या करते? पहली मर्तबा तो मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा लेकिन जब भाषण को समाप्त करने लगे तो मुझसे कहा कि त्रिपाठी जी, मैं उस पर विचार कर रहा हूं और रूल में इसका प्राविधान कर दिया जायगा और इसी बात को जब काशीनाथ जी ने कहा तो यह कहा गया कि जब पेरेंट ऐक्ट में नहीं है तो रूल में कहां से कर देंगे। तो एक जगह तो यह कहा जाता है कि पहले ऐक्ट तब रूल और दूसरी जगह स्वयं कहते हैं कि पहले रूल बन जाय फिर कानून में वह आ जायगा। माननीय मत्स मंत्री ने एक बार मेंटल जिमनास्टिक की बात कही थी, लेकिन यहां केवल मेंटल जिमनास्टिक से काम नहीं चलना है, उसके लिये लीगल जिमनास्टिक का होना जरूरी है। अपने मतलब के अनुसार कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है। इसी लिये मैं कहता हूं कि अमेंडमेंट के जरिये दोनों बातें कही गयी हैं।

इन अमेंडमेंट्स की ओर जरा ध्यान दें। एक कुशल वकील ने एक स्थान पर अपना कुछ विचार रखा है, मुझे आशा है कि एक कुशल वकील होने के नाते उस पर ध्यान देंगे। मैं तो इस बारे में डाउटफुल हूं लेकिन उनके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री की विद्वता को मानते हुये नदी के बारे में एक अमेंडमेंट के सम्बन्ध में बोलते हुये लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की एक बात उन्होंने कह दी, जिसके लिये मैं दुख प्रकट करता हूं। अगर उन्होंने इस लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट को पढ़ा तथा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में संशोधन करते समय वह उचित मालूम हुआ तो दूसरा क्यों नहीं उचित मालूम हुआ? लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३,३४ और ३८ में अपील का राइट लिखा हुआ है जिसमें गरीब आदमी, चाहे उसका ट्रांसफर का केस हो केवल एक रुपया कोर्टफीस पर वह केस दायर करता था और डिप्टी साहब तक उसकी अपील हो जाती थी। अपील में उसे वकील की फीस भले ही कुछ देनी पड़े लेकिन उसे कोर्टफीस नहीं देना पड़ता था। क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट में वह जाता था और वहां विचार हो जाता था, लेकिन अब आपने उसको गड्ढे में गिरा दिया है। पहले

डिप्टी कलेक्टर व कमिश्नर उसकी बात सुनता था लेकिन अब उसे नायब तहसीलदार और कानूनगो के पैर पकड़ने होंगे। एक वकील होने के नाते उन पर लांछन लगाता हूं या जो भी इसे पाइलट करने वाला हो और वह वकील हो तो उस पर लांछन लगाता हूं कि आखिर जनहित में धारा ३३,३४ और ३८ में अमेंडमेंट क्यों नहीं किया गया ? आखिर यह ऐक्ट १९०१ का ही तो है। इस पर केवल २ मिनट विचार करके आप अमेंडमेंट लाते और अमेंडमेंट करते जिससे लोगों का भला हो, पर नहीं किया। अब हम इर्रेगुलर सूट फाइल करें, दीवानी में जायं, हजारों रुपया वहां लगायें और तमाम पैसा वकील मुखतारों को दें और अब इसके मुताबिक सरकार को भी दें। हर चौखट पर सरकार की पूजा जरूरी हो गई, हर जगह सरकार अपना हक पहले मांगती है। हम अब अपना मामला किसी तरह से भी नहीं डिटरमिन करा सकते।

अब नदी के बारे में आप संशोधन लाये हैं। शायद यह भी आपको न सूझती, यह आपको इसलिये सूझ गई क्योंकि बिहार और यू०पी० का बार्डर का मामला बहुत उग्र हो गया है। इसलिये आपकी समझ में आ गया कि अब तो कुछ न कुछ करना ही चाहिये। खैर, वह तो आपने जिस लिये किया वह तो किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह संशोधन भी ठीक नहीं किया गया और इस पर ठीक से विचार नहीं किया गया।

अब मैं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के बारे में कहूंगा कि यह तो एक मोस्ट फलुइड ऐक्ट है, यह ऐसा ऐक्ट है कि जो रोज बदलता है, कोई समझ नहीं सकता कि मुआवजा क्या मिलेगा, भगवान समझे या कौन समझे, उनका कानून वेदर-काक की तरह घूमता रहता है पुरवा चली तो इधर घूम गया और पछुयाव चला तो उधर गया। अब वह किस तरह से संशोधन करने का विचार करते हैं वह मैं बताऊं। अभी दीप नारायणजी ने जो कुछ कहा वह तथ्य की बात है लेकिन उन्होंने दूसरी तरह से कहा लेकिन मैं बल देने के लिये यही बात दूसरी तरह से रिपीट करके कहता हूं। आप देखें कि गांव सभा और गांव समाज की ऐसी दुर्गति की गई है कि कितने केसेज किस तरह से लौट जाते हैं। गांव समाज को फरीक बनाते चले जा रहे थे, लेकिन अब हो जायगा कि गांव सभा को फरीक बनाओ। लेकिन गांव समाज के बारे में जो जरूरी दो-तीन चीजें थीं उनको नहीं सोचा गया। देहात में माननीय मंत्री जी नहीं जाते, वह वहां जाते तो सब की कठिनाइयों को जानते होते, वह अखबारों में पढ़कर ही समझ लेते हैं यह अनुचित है। पार्टी के लोग जानते हैं कि यह बात गलत है, लेकिन यहां आकर कुछ और कहते हैं, वह समझते हैं कि इस चीज की जरूरत है और उनके हृदय में है कि बड़ी कठिनाई इस संशोधन के न करने से होती लेकिन वह कह नहीं पाते, सब मामला इस तरह से बिगड़ जाता है। उन्होंने ग्रामसमाज का कानून बनाया, मैं अपने यहां की एक बात से दुखी हो गया। मैं तो गांव से गैरहाजिर रहता हूं। उन्होंने रखा कि गांव समाज अगर पास करे तब मरे मुर्दे के लिये लकड़ी मिले, बाजार से खरीदने के लिये लकड़ी के वास्ते पैसा नहीं जो जमींदार अपने बाग से पेड से देता था वह भी अब नहीं देता, उस का तो दोष है ही मैं उसको डिफेंड नहीं करता लेकिन गांव समाज का सभापति है उसकी सम्पत्ति है वह कहता है कि जब मैं नागरिकों की मीटिंग करूंगा तब लकड़ी का प्रबंध हो सकता है। तो भगवान इंतजार करे और तब तक मौत न दे जब तक कि लकड़ी का प्रबंध न हो जाय। इस तरह से आपने कहीं चरागाह का कोई प्रबंध नहीं किया और मरने तक के लिये लकड़ी नहीं मिलती। कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वह भी एडल्टरेटेड दूध देती हैं, आज भूसा किसानों के पास बैलों के लिये नहीं है, न उनके मवेशियों के लिये चरने की जगह है और जो गांव के किसानों की आज की अरजेंट नेसेसिटीज हैं उन तक की तरफ सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। इस पहलू पर मुझे केवल एक शिकायत है। मंत्री जी कहेंगे कि जब गांव वालों को साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा जमीन देना चाहते हैं तो हम रोड़ा अटकाते हैं। कैसे अधिकार दिया ? मैं सेक्शन ११७ का क्लाजवाइज डिस्कशन नहीं करूंगा केवल सिद्धान्त की बात कहूंगा।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

सेक्शन १३४ देखें जिसमें तीन क्लाज हैं, मैं वही क्लाज कहता हूं जिस पर वह कहते हैं :

"A Bhumidhar may transfer by sale or by gift for a specified industrial purpose.....that may be specified as required by such person for the industrial purpose."

इसमें कोई एक व्यक्ति जो इंडस्ट्रियल परपज की दरख्वास्त दे, और एक ही जुमला कहूंगा 'दफ्तर को खुश कर ले" वह साढ़े १२ एकड़ ले सकता है अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, हमको साढ़े ६ एकड़ मिलेगी। कोल्हू के लिये वह साढ़े १२ एकड़ ले लेगा।

मैं चैलेन्ज करके बताऊंगा कि सीलिंग ऐक्ट का परपज ही डिफीट हो गया, ऐसे ही इसमें होगा। कह दिया जो बाग लगायेगा उसको छोड़ देंगे। पूछ लिया गया कि बाग जो लगाया जाता है वह किस किस्म का होता है। हार्टिकल्चर विभाग ने कहा कि ४० फीट की लम्बाई पर बीजू का पेड़ हो। कोई आयेगा तो कहेगा कि लाइन में हैं और वह पेड़ बिजली के खम्भे की तरह खड़ा रहेगा और उस जमीन पर खेती होती रहेगी। चाहे जितने एकड़ पर इस तरह का बाग लगा लें और उसमें खेती भी होती रहेगी। तो इस ऐक्ट का उद्देश्य ही डिफीट हो जायगा।

इसी प्रकार इंडस्ट्रियल परपज के लिये है जिसमें व्हाइट एलीफेंट कहता हूं, इसमें भी करप्शन चलेगा क्योंकि सर्टिफिकेट डायरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज देंगे। उनको तो हम लोगों से बात करने की फुरसत नहीं होती। इंजीनियर्स को समय नहीं मिलता। अभी पंचायत अफसर को एक पत्र लिखा था उसका उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। इसलिये इनको सर्टिफिकेट देने का मतलब है रेड टेपिज्म चलेगी। अब साढ़े १२ एकड़ में १०, १० गज पर एक-एक कोल्हू गाड़े तो किसका भला होगा? और यह गरीब नहीं खरीदेगा। उन्होंने ठीक कहा कि टाटा, बिड़ला से यह मतलब है कि धनी मानी लोग ही जमीनों को लेंगे, जो आप पर प्रभाव रखते हैं, जो आपकी गुड बुक्स में हैं, वे फिर खेत अपने काबू में कर लेंगे और गरीब को इसमें कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं अपनी बुद्धि, इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट और वकीलों की भी मदद लें, अन्यथा जमीन पैसे वालों के हाथ में निकल जायगी और गरीब अपनी जमीन का डिसपोजल करते रहेंगे, क्योंकि पैसे वाला उनको उनकी जमीन के जहां उनको ४०० रु० मिलते हैं वहां ५०० रु० देगा। कौन गरीब काश्तकार देगा और ५०० बीघा ले लेगा? दरअसल धीरे धीरे वह लैण्डलेस लेबर हो जायगा। उसका क्रमशः डिटेरियोरेशन होगा और खेत निकलता जायगा और इंडस्ट्री वाला खेत लेता जायगा। एक ही ऐप्लिकेशन एक आदमी की इंडस्ट्री की मानी जायगी। दूसरी ऐप्लीकेशन नहीं मानी जायगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा साढ़े १२ एकड़ फिक्स कर देते हैं, लेकिन यह नहीं रखा गया है कि साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते। खुला रास्ता छोड़ दिया है। तुगलक की तरह स्थिति हो जायगी फिर हजारों एकड़ जमीन एक ही आदमी के पास पहुंच जायगी। गरीबों पर इससे मार पड़ेगी।

मंत्री जी ने इंडस्ट्रियल परपज के लिये बात कही। गरीब किसान किस दम पर इंडस्ट्री कायम करेगा? कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये क्लाज ३ में रख दिया है। क्लाज २क किसके लिये रखा है? कौन धनी है जो साढ़े १२ एकड़ खरीद सकता है? सवा ६ एकड़ तो आप छोड़ने के लिये तैयार नहीं। आप कहते हैं कि साढ़े १२ एकड़ वह खरीद लेगा। आपने उसकी हड्डियों को देखा है? उसके जीवन को देखा है? उसके बाल बच्चों को देखा है? उसकी नित्य प्रति की नेसेसिटीज को देखा है? आपने कहां से अन्दाजा कर लिया कि उसके पास रुपया है? क्रेडिट सिस्टम देहातों में क्यों है, इसका अन्दाजा किया? किताबों में लिखा है कि लैंड टु दी एग्रिकल्चरिस्ट्स (Land to the Agriculturists)। लेकिन आज किसान तकावी क्यों नहीं लेता है? वह तकावी लेता है, रुपया इधर उधर खर्च हो जाता और जानता है कि अन्त में एक दम से वसूली होने लगेगी। इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि उसे अदा नहीं कर सकता। मकान का प्रबन्ध तो है नहीं इंडस्ट्री का प्रबन्ध कहां से करेगा?

जिन्होंने लोन ले रखी है उन्होंने उसे शादी व्याह में खर्च कर दिया। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक नहीं आये हैं। यह इतनी भारी चाल है इंडस्ट्री वाली कि इसको समझने की आवश्यकता है। परिधि बढ़ाने की बात भी इसलिये कही गयी कि आप कुछ और संशोधन ले आइये, कुछ उनके हित की बात कीजिये। इसी दृष्टि से कहा गया कि ऐक्ट की परिधि बढ़ा दी जाय।

आज एग्रिकल्चरिस्ट्स से कहा जाता है कि वह इंडस्ट्रीज बनायेगा। उसके पास काठ का खपड़ा नहीं होता तो गांव समाज के प्रधान के पास जाता है। एक रोज दिन भर मेहनत करता है तो चार आने का खपड़ा उसे मिल पाता है अपने हल में लगाने के लिये। आप बहुत ऊंचे प्लेन पर हैं, आप नीचे आते नहीं। मंत्री महोदय आडिट रिपोर्ट पढ़ें। वह इंडस्ट्रीज की बात कहते हैं कि देहात के किसान लगायेगा। शायद उनको रियलिज्म और आइडियलिज्म में कुछ फर्क नहीं मालूम। सरकार इन दोनों में जरा समन्वय करे। जरा नीचे प्लेन पर उतर कर आये और देहात में जाकर मंत्री महोदय कुछ समझने का प्रयास करें। जितने किसानों को देहातों में तकावी बटती है ७५ फीसदी तकावी वह बीबी के लिये धोती लाने के लिये, महाजन का पुराना कर्ज अदा करने के लिये, रात दिन पिसने के बाद भी रोटी के लिये खर्च कर देते हैं। आपने सोचा कि उसके इंटेंसिव प्रोडक्शन के लिये कौन से साधन दिये? मंत्री महोदय कहते हैं कि वह किसानों को इतनी सुविधा देते हैं। इंडस्ट्री की बात करके वह एक व्यंग कसते हैं और हम मखौल करते हैं किसान की पोजीशन का। अगर आज वह समझने की शक्ति रखता तो आपके सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़ा होता कि एक रोज हमारी उस गरीब कुटिया पर व्यतीत करिये तब देखिये कि हमारा जीवन कैसा है।

एक बात आपने यह की कि डायरेक्टर को आपने हाथ दे दिया। हम तो कहते हैं कि अपने ही हाथ रखते। यह आपने एक बहुत बड़ा भंडार खोल दिया है, सच कहता हूं, लाखों रुपये डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के कोष में चले जायंगे, अपने फ्लोटिंग लोन्स में नहीं आयेंगे।

दूसरी बात यह कि दफा २०९ का आपने अमेंडमेंट किया और इसलिये किया कि एक रूलिंग हो गयी। अब तो ये रूलिंग से ही गाइड होते हैं। एक जगह चीफ जस्टिस का रिमार्क मैं पढ़ रहा था। उन्होंने यह कह दिया कि जुडिशरी बीच में खड़ी है एग्जीक्यूटिव और रियाया के, वह दोनों के हितों की रक्षा करती है और कानून को प्रापर्ली इन्टरप्रेट कर के अपनी सरकार को मार्ग दर्शन करती है। जो आपको रोशनी दिखाता है उसको आप कहते हैं कि जज संकुचित विचार का है क्योंकि गवर्नमेंट की कही हुई बात नहीं मानता, ऐक्ट में जो आप लाते हैं उससे कुछ मतलब नहीं। उसके लिये तो एक ऐसी मशीन होनी चाहिये जिससे वह झट से जान जाय कि :

"This is what actually the minister wants so I should interpret the law in that way."

अब मार्ग दर्शन हुआ है आपका उस रूलिंग से। पर उस रूलिंग में जो डिक्लेरेटरी सूट्स फाइल होते हैं उनमें आदमी चालाकी से कह सकता है कि यह घोषणा कर दी जाय कि यह हमारी भूमिधरी है और जो ट्रेसपासर है उनको इजेक्ट कर दिया जाय। और यह सेक्शन २०९ बड़ा इन्नोसेन्ट है। हमारा खेत है। आज किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया या एक साल लिखा ही लिया तो हमारे पास २०९ में रेमेंडी थी कि हम झट से दावा करते थे और वह ट्रेसपासर इजेक्ट हो जाता था। लेकिन सरकार तो, जैसा मैंने कहा, हर चौखट पर पूजा चाहती है। अब क्या हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी फरीक बनाओ, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्यों साहब, अगर ए-बी की लैन्ड में ट्रेस पास करता है तो हम ए को स्यू न कर के स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनायें। अगर हम डिक्लेरेटरी सूट लायें तब तो ठीक है, लेकिन आपने तो सब धान २२ पसेरी कर दिया। अब अगर किसी ने फ्री लैंड पर कब्जा कर लिया तो हम गांव समाज और गवर्नमेंट, दोनों को फरीक बनायें और गांव समाज पर मैं ६ महीने से नोटिस दे रहा हूं मगर तामील नहीं होती।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

अब दूसरा पहल देखें। दफा ८०, सी० पी० सी० का नोटिस एक तो स्टेट पर दिया जाय और दूसरा गांव समाज पर दिया जाय। दोनों के पैनेल लाइयर्स मुकर्रर हैं, उनका भी काम चलना चाहिये, दस-बीस पेशी होनी चाहिये केस में कोई जान चाहे न हो मगर वह लड़ेंगे जरूर। हमने तो एक सवाल दिया था मगर मेरी ही गलती से वह न जाने क्या हुआ कि कितने नोटिस दफा ८० के साल में दिये गये और उसमें कितने मुकदमे लड़े गये, कितने सेटिलमेंट हुये। दफा ८० की नोटिस यदि बजा है तो सेटिलमेंट कर लें। इससे एक तो उस गरीब का रुपया नहीं खर्च होगा दूसरे पूअर टैक्स पेयर का रुपया बचेगा और तीसरे जो दो वकील खाने को तैयार हैं, एक जो गवर्नमेंट को डिफेंड करेगा और दूसरा जो गांव समाज को डिफेंड करेगा वह बचेगा। और वह रुपया जो जाया जायगा जनरल एक्सचेकर से वह हो जायगा। एक भी सैटिलमेंट किसी केस में हुआ? यह बताया जाय, श्रीमन्। आप इस आंकड़े को देख लीजिये। आपने कभी इस पर विचार नहीं किया। आपने मंदिर वाले पर तो नहीं लगाया, लेकिन इस पर लगा दिया। श्रीमन्, उसको सोचा जाय कि कभी इन्होंने सेक्शन २०९ पर भी विचार किया है? मैं प्रार्थना करता हूं और हमारे साथियों ने सच ही कहा है कि इसको प्रवर समिति में भेजने का यह एक बहाना है। जब आपका लीगल डिपार्टमेंट आपको मदद नहीं दे सकता है तो जो लोग दिन रात इसी से रोटी खाते है, उनके पास इसको सरकुलेट कर देना चाहिये था। अगर आप सरकुलेट कर देते तो आपके पास बहुत से सजेशन्स आ जाते, और उनमें से आप चूज कर लेते।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि यह बड़ा अनर्थ किया है और इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें, वैसे तो ठीक है कि आरगूमेंट करते समय आप अपने केस को अच्छी तरह से रख सकते हैं। एक योग्य वकील का यह काम है कि वह कमजोर से कमजोर केस को भी अच्छी तरह से रखे। हम प्रार्थना करते हैं कि मंत्री जी इस पहलू पर विचार करें और जो प्रावीजन उन्होंने लगा दिया है वह ठीक नहीं है। यह आप कर दें कि इसमें डिक्लेरेटरी सूट्स का प्रावीजन हो वरना आप सैक्शन ८० को न रखिये। हम फिर आप से अपील करते हैं कि ऐसा कर दीजिये।

एक चीज और सेक्शन ३४३ को इन्होंने अमेंड किया है। इस पर मैं अधिक नहीं कहूंगा। जहां तक मैं समझता हूं कि यह बड़ा रिडंडेंट है। मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे तो ठीक रहेगा और हमें स्वीकार होगा। हम तो केवल एक विचार उनके सामने रखते हैं। ३४३ सेक्शन में जो अमेंड किया है वह इस प्रकार है कि—

"In section 343-A of the principal Act the words and figures 'relating to land and other things vested in it under section 117 or 117-A' shall be deleted."

दूसरी बात मैं सीलिंग ऐक्ट के बारे में कहना चाहता हूं। इसके बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। मुझे थोड़ी सी ठेस लगी जब माल मंत्री जी ने कह दिया कि हमारे पास ऐक्ट है, हम देखेंगे जब आयेगा। एक महीना प्रैक्टिस कर लीजिये तब गहराई से देख लीजिये। मैं तो उसे देखता ही हूं और २, ४ रुपये कमाने के लिये यहां से भाग जाया करता हूं। वैसे मंत्री जी की भावना बहुत अच्छी है, लेकिन जिस ऐक्ट में संशोधन लाना चाहिये था उस पर विचार नहीं किया।

श्रीमन्, भूदान यज्ञ चला। उस समय किसी ने गढ़ी दे दिया, किसी ने पोखरा दे दिया और किसी ने झगड़ालू जमीन दे दी और अन्त में एक फिगर आ गई कि करीब एक लाख एकड़ जमीन हमको भूदान में मिल गई। यह बात पेपर्स में निकल गई और इसका बड़ा पब्लीकेशन हुआ। लेकिन बात वहीं की वहीं रही। यही चीज सीलिंग ऐक्ट में होने जा रही है। कुछ न कुछ तो आप पायेंगे। लेकिन जो आपने अपना लक्ष्य बना रखा है वह नहीं पायेंगे। वह इसलिये कि आपने इसमें बहुत से लूप होल्स रख छोड़े हैं और आपने जो ऐक्ट बनाया है वह

बहुत ढीला-ढाला है । आज आपने भाषण दे दिया लेकिन ४–६ महीने बाद आप देखेंगे और हम भी देखेंगे और उस समय हम आप से निवेदन करेंगे कि आपका लक्ष्य क्या था और कितना आप पाये हैं, जो दूसरा लड़ने वाला है वह बुद्धू नहीं है । वह कील-कांटे से मजबूत किये रहता है ।

अन्त में जो आपने कम्पेंसेशन के बारे में अमेंडमेंट रखा है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। उसमें, श्रीमन्, लास्ट में लिख दिया है —

"The compensation shall be due as from the date on which possession of the land is taken under sub-section (8) of section 14, and, when possession of different lands of the persons entitled to the compensation is taken on different dates, from the last of such dates; and the same shall be payable from the date of determination thereof."

अब श्रीमन् देखें 'from the last date of such dates' एक आदमी के पास दो टुकड़े हैं ए और बी/ए का कब्जा लिया उसने ९ अगस्त को और बी का कब्जा लिया ९ मार्च को तो ९ मार्च से कम्पेंसेशन होगा । अगर वह लड़ने चला गया तो कोई कम्पेंसेशन उस पीरियड का नहीं मिलेगा, कम्पेंसेशन देने में न्याय की बात नहीं है । उसको आप तब से कम्पेंसेशन देंगे जब से आखिरी फैसला हुआ, अगर मैं ठीक समझ सकता हूं । अगर ए का कब्जा ९ सितम्बर, १९६२ को मिला और बी का कब्जा ९ अगस्त को मिला और बी वाले की तीन साल तक प्रोसीडिंग्स होती रहीं, रिवीजन और अपील चलती रही, तो तीन वर्ष तक न कम्पेंसेशन देंगे, न इंटरेस्ट देंगे । आखिर कोई सिद्धान्त होना चाहिये । सिद्धान्त का मतलब इविन हैंडेड जस्टिस होता है । अगर कम्पेंसेशन पाने वाला प्रोट्रैक्ट करता रहे तब तो ठीक है लेकिन अगर दूसरा पक्ष प्रोटैक्ट करता हो तो वह क्यों सफर करे ? आप इस पर विचार करें । इन शब्दों के साथ मैंने अपने विचार व्यक्त किये । आपने बड़ी कृपा की जो इतना समय आपने मुझे दिया । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे ।

*श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, जब माननीय राजस्व मंत्री जी सदन में उठे तो मुझे उम्मीद थी कि अपने २० वर्ष के तजुरबे को और खास कर राजस्व विभाग के तजुरबे की बात रखेंगे, लेकिन उनकी बातों को सुन कर बड़ी निराशा हुई ।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैं इस सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है उसका पहला उद्देश्य यह है कि वह भूमि जो नदियों से कटने से इस प्रदेश को मिली हो उस पर इस प्रदेश का अधिकार हो । यह मुख्य चीज विधेयक में है । श्रीमन्, माननीय नरसिंहनारायण जी ने इस सदन के सामने कांस्टीट्युशन का प्रश्न उठाया था । लेकिन उसका माननीय मंत्री जी ने मजाक उड़ाया । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी सुन लें ताकि उनकी मानसिक शक्ति का जो ह्रास हो गया है शायद उसमें कुछ परिवर्तन आ जाय और वह समझ सकें कि माननीय नरसिंहनारायण जी ने जो प्रश्न रखा था वह हवा में नहीं था । मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर आपने जिक्र किया है एल्यूबियन और डिल्यूवियन लैंड का । यानी नदी के कटाव से कभी कभी जमीन बढ़ जाती है । और कभी कभी घट जाती है । जहां तक जमीन बढ़ने का सवाल है दो तरीके पर जमीन बढ़ती है । एक तरीका यह है कि नदी का कटाव धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे नदी के एक किनारे की जमीन कट कर दूसरी ओर चली जाती है । उस वक्त जब धीरे धीरे कटाव होता है और डिस्टिक्शन उस जमीन का नहीं हो पाता या उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता तो उस वक्त जो जमीन कट कर दूसरी तरफ जाती है उसका ओनर वह टेनेंट होता है जिसकी जमीन से वह जमीन जाकर मिल जाती है । लेकिन श्रीमन्, उस वक्त....

(इस समय ४ बजकर २८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

श्रीमन्, अभी मैं बता रहा था कि नदी के जरिये जब जमीन का कटाव होता है तो दो तरीकें पर होता है । एक तो धीरे धीरे कटाव होता है और दूसरा आइडेंटिफायेबिल लैंड कट कर अलग होता है । यानी कि जमीन कट कर जाती है उसको अगर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, धीरे धीरे कटाव होता है तो उस जमीन का मालिक वह टेनेंट होता है जिसकी जमीन में जाकर यह जमीन मिलती है । लेकिन श्रीमन्, उस वक्त....

श्री अध्यक्ष—कहीं धूरधारा भी तो है ?

श्री कमलासिंह यादव—वही मैं बता रहा हूं । धूरधारा के ही प्रश्न को मैं डील कर रहा हूं । उस वक्त अब ज्यादा जमीन एक हजार या दो हजार एकड़ इस तरह से कट कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर चली जाती है तो उस वक्त में उसका मालिक वह नहीं होता है । उसका मालिक वही ओरिजिनल टेनेन्ट ही होता है । इस तरीके पर धूरधारा का सवाल रखा गया है । जहां तक ऐसे कटाव का सम्बन्ध है, ऐसा कटाव दि बंगाल एल्यूवियन एंड डिल्यूवियम रेगुलेशन १८२५ से गवर्न होता है । इस ऐक्ट की धारा ४ की तरफ मैं श्रीमान् का ध्यान दिलाना चाहता हूं—

"4. First—When land may be gained by gradual accession whether from the recess of a river or of the sea, it shall be considered an increment to the tenure of the person to whose land or estate is thus annexed, whether such land or estate be held immediately from Government by a zamindar or other superior landholder, or as a subordinate tenure by any description of under-tenant whatever.

Second—The above rule shall not be considered applicable to cases in which a river, by a sudden change of its course, may break through and intersect an estate, without any gradual encroachment or may by the violence of stream separate a considerable piece of land from one estate and join it to another estate, without destroying the identity, and preventing the recognition, of the land so removed."

In such cases the land, on being clearly recognized shall remain property of its owner ?

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने बड़े जोश में यह कहा था कि अगर छपरा की जमीन या बिहार की जमीन कट कर आ जाती है, उस पर हम अपना अधिकार जमा लेते हैं तो क्या बुरी बात है ? मैं तो श्रीमन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह विधेयक ऐसी भूमि के लिए है जिसकी कि आइडेंटिटी है, जो किसी रिवर के कोर्स के बदलने की वजह से आती है । उसके बारे में यह विधेयक लाया गया है । तो मैं समझता हूं कि जहां तक इस ऐक्ट का सवाल है, इस ऐक्ट के मुताबिक उस जमीन का मालिक वही होगा जो पहले टेनेन्ट रहा है । तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी को नहीं कह सकता कि न मालूम वे इस बात को काली कर पाए हैं या नहीं लेकिन श्रीमन्, का ध्यान इस ओर अवश्य दिलाना चाहता हूं कि आज छपरा की जमीन को जो कटकर बलिया के अन्दर आई, स्ट्रीम कोर्स की वजह से कटकर जितनी जमीन बलिया के अन्दर आ गई है उसका मालिक छपरा का टेनेन्ट होगा । मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि संविधान की धारा ३१ के अनुसार जो छपरा का टेनेन्ट है उसकी मिल्कियत आप के प्रदेश में आ गई तो क्या आप अपनी टेरिटरी इन्क्रीज करना चाहते हैं या अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं ? क्या आप को अधिकार है कि आप ऐसा कर सकें ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि इस बिल को माननीय महाबीर प्रसाद जी पायलेट कर रहे हैं या राजस्व मंत्री जी ?

श्री अध्यक्ष—माननीय महावीरप्रसाद जी।

श्री कमलासिंह यादव—मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर छपरा के काश्तकार की जमीन कट कर बलिया में आ गई तो बगैर प्रतिकर दिये हुये श्रीमान् कैसे मालिक हो जाते हैं ? मेरी पहली बात यह है।

दूसरी बात यह है कि अब उस जमीन का मालिक गांव समाज है। तो जब तक गांव समाज प्रतिकर अदा नहीं करता है उस काश्तकार को तो संविधान के खिलाफ बिना प्रतिकर दिये हुये उस काश्तकार को गांव समाज कैसे मालिक हो सकता है ? अभी जमींदारी एबालिशन हुआ जिसमें वह जमींदार इस प्रदेश के रहने वाले थे। उनके हक को आपने लिया। उस वक्त उनके अधिकार को बगैर प्रतिकर दिये आप नहीं ले सके। इस बात को सदन मंजूर कर चुका है। बगैर प्रतिकर दिये किसी की जमीन आप नहीं ले सकते। तब छपरा की जमीन का बगैर प्रतिकर दिये हुये यह प्रदेश मालिक नहीं हो सकता है चाहे वह गांव समाज हो या और कोई हो। मैं श्रीमन् के सामने जो ३१-ए में बतलाया गया है उस को पढ़ देना चाहता हूं। उसमें साफ दिया हुआ है कि (१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। मैं दूसरे को भी पढ़ देना चाहता हूं :—

(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उस की स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धान्तों और रीति का उल्लेख न कर दे जिनसे प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है।

(३) राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जैसी कि खंड (२) में निदिष्ट है, तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्, उसको अनुमति न मिल गई हो।

तो यह सरकार आदी हो गई है धारा २५५ का फायदा उठाने के लिये। कभी-कभी विरोधी पक्ष में भी कमजोरी आ जाती है। जब यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया तो उस वक्त यहां पर कोई एतराज नहीं किया गया। तो अब यह सरकार उसका फायदा उठाना चाहती है। जो धारा २५५ में बताया गया है उसका फायदा मन्त्री जी उठाना चाहते हैं तो कब तक वह फायदा उठाते रहेंगे ? अगर हमारी बुद्धि किसी समय कमजोर हो जाय, हम समय पर श्रीमन् का ध्यान न आकृष्ट कर सकें तो आप कब तक उसका फायदा उठा पायेंगे ? यहां के किसानों को तो आप कम्पेंसेशन दे देंगे, लेकिन दूसरे प्रदेश के किसान की जमीन आप कैसे हड़प जायंगे यह मैं नहीं समझ पाता। जो संविधान है वह उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिये है। मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर हमको छपरा की जमीन मिल जाय तो क्या हर्ज है ? यह कैसी बात है ? मंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमारे प्रदेश और बिहार की सीमा का झगड़ा चल रहा है। मैं समझता था कि मन्त्री जी सदन को बतलायेंगे कि यह झगड़ा चीफ मिनिस्टरों के जरिये तय हो चुका है, लेकिन मालूम पड़ता है कि वह प्रयत्न विफल रहा। अपोजीशन का नाजायज फायदा उठाने के लिये हमेशा इस तरह के विधेयक लाये जाते हैं, कानून के खिलाफ, सदन के नियमों के खिलाफ इस तरह के कानून पास किये जाते हैं, किये गये हैं और जब ऐसी बातें चल रही हैं तो श्रीमन् इस ओर ध्यान दें और हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि इस प्रकार के विधेयक यहां न पास हो सकें। नहीं तो हो सकता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स पास हो जायं कि जो नाकाबिल बरदाश्त हों।

इस के बाद माननीय नरसिंहनारायण जी ने जो एतराज किया था उस सम्बन्ध में मैं धारा ३ पढ़ देना चाहता हूं।

"संसद विधि द्वारा किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग कर के अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिला कर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग के साथ मिला कर, नया राज्य बना सकेगी।" इस बारे में उनका (ख) है "किसी राज्य

[श्री कमलासिंह यादव]

का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी।" तो माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि एलोवियन डिलोवियन ऐक्ट के अनुसार हम उसे कवर कर सकते हैं, लेकिन यहां वह चीज नहीं है। अगर उस जमीन का मालिक उत्तर प्रदेश का काश्तकार होता तो यह हो सकता है, लेकिन उस घुरघारा का फायदा आप काश्तकार को नहीं दे सकते। नदी का कोर्स बदलने के कारण अगर ज्यादा जमीन मिलती है तो उसका मालिक छपरा का काश्तकार होगा और उसकी जमीन आप छीन नहीं सकते। आप को कोई अधिकार नहीं है। यह भी अधिकार नहीं है कि आप उस के लिये कानून बना सकें यह हमारे लिये एक समस्या है यू० पी० का जमींदारी एबालिशन ऐक्ट उस पर लागू होगा या बिहार का कानून उस पर लागू होगा? इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है वह इसे वापस लें और सेंट्रल गवर्नमेन्ट को लिखें और उसके बाद बिहार और इस प्रदेश की सरकार मिल कर उसके लिये कोई बिल लावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस विधेयक की अन्य बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की बात है उसके अनुसार भी हम छपरा के काश्तकार की जमीन पर उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकेंगे? वहां का कानून दूसरा है और हमारे यहां का दूसरा है। दोनों क्षेत्रों के अलग अलग कानून हैं। मैं समझता हूं कि इतना असामंजस्य इस कानून से बढ़ जायगा कि कोई इंतिहा नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि हमारे यहां जमीन जिन पर यह बंगाल का एलोवियन–डिलोवियन ऐक्ट लागू होता है, उसमें यह धारा २९ भी लागू होता है। यह बंगाल का ऐक्ट हमारे प्रदेश में भी लागू होता है। इस तरीके पर जहां तक इस धारा का सवाल है उससे हम किसी तरीके पर बच नहीं सकते। इसलिये जरूरी है कि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह कान्स्टीट्यूशन का ब्रीच करता है।

अब मैं धारा १५४ पर आना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्य इस सदन के सामने इस धारा की तरफ़ ध्यान दिला चुके हैं। उसकी वर्डिंग में जरा इसलिये पढ़ देना चाहता हूं कि वह आवश्यक है और बगैर इसको पढ़े ठीक समझ में आना मुश्किल है। उसमें इस प्रकार है —

"No bhumidhar shall have the right to transfer, by sale or gift, any land other than tea gardens to any person (other than an institution established for a charitable purpose) where such person shall, as a result of the sale or gift, become entitled to land which together with land, if any, held by himself or together with his family, will, in the aggregate, exceed 12½ acres in Uttar Pradesh."

तो जहां तक धारा १५४ का सवाल है सिर्फ प्रतिबन्ध इसमें है कि कोई भी आदमी किसी दूसरे की जमीन नहीं बेच सकता जब तक उस की जमीन और उस खरीदी हुई जमीन को मिला कर साढ़े १२ एकड़ न हो जाय, अगर इससे ज्यादा होगा तो उसके लिये धारा १८९ है। जो इस प्रकार है—

"189. *Extinction of the interest of a bhumidhar*—The interest of a *bhumidhar* in his holding or any part thereof shall be extinguished—

(*a*) when he dies intestate leaving no heir entitled to inherit in accordance with the provisions of this Act,

(*aa*) when the holding or part thereof has been transferred or let out in contravention of the provisions of the Act."

श्रीमन्, आप देखें कि कोई भी भूमिधर इसके खिलाफ़ ट्रांसफर करता है अपनी भूमि को तो वह नाजायज हो जायगा। भूमिधर और सीरदार के राइट्स का एक्सटिंक्शन होगा।

इस तरीके पर हम इस विधेयक के जरिये बिलकुल उलटी बात कर रहे हैं। अगर भूमिधर या सीरदार का राइट खत्म होता है तो चीज किसकी होती है? गांव समाज की होनी चाहिए। गांव समाज उसका मालिक होगा और उस को यह अधिकार है कि इस ऐक्ट के जरिये भूमिहीन को सब से पहले मौका दे जमीन लेने के लिये और उसके बाद वह जिसके पास कम जमीन हो। यह ऐक्ट तब तक किसानों की मदद करता रहेगा जब तक कि किसानों के पास साढ़े १२ एकड़ जमीन न हो जाय। यह एक नीति है इस सरकार की जो कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के जरिये इस सरकार ने व्यक्त की है। अब हमारी धारणा क्या है इस विधेयक के जरिये? बिलकुल प्रतिकूल इसके है। हम यह कह रहे हैं कि जो काश्तकार अपनी लैंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं सेल या गिफ्ट के जरिये से तो हम तब तक खरीदार की मदद कर सकेंगे जब तक उसके पास साढ़े बारह एकड़ जमीन न हो जाय और अगर उससे ज्यादा खरीद लेंगे तो वह गांव समाज की संपत्ति हो जायगी। यानी आप उसको काश्तकार के जरिये काश्तकार को दिला रहे थे जो कि फरटाइल लैंड है इस देश की। आज देश में वैसे ही गल्ले की कमी है, विदेश से गल्ला मंगा रहे हैं, उत्पादन शक्ति खेतों की कम हो गयी है, हमेशा बाढ़ और सूखा से किसान परेशान रहते हैं। मिसाल के तौर पर डेढ़ सौ मन पर एकड़ हमारे यू० पी० में और १,५०० मन पर एकड़ महाराष्ट्र का गन्ने का ईल्ड है। अब बारीकी यह है कि भूमिधर के नाम पर यह विधेयक लाया गया। मंत्री जी ऐलान कर रहे हैं कि हम भूमिधरों को सब सहूलियत करने का राइट देते हैं तब भी विरोध करते हैं और अब उसको चेक करते हैं तब भी विरोध करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी कम से कम अपनी नीति को तो स्थायी रखते। जमीन का ट्रांस्फर किसके लिये हो रहा है? एक उद्योग के लिये और दूसरे कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये। माननीय नेहरू जी ने और कांग्रेस ने अपनी नीति में घोषित किया कि वह वालंटरी बेसिस पर होगा, यह नहीं कि सेल कराना और एक आदमी के हक में यह चीज होगी। उसके लिये जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा २९५ में दिया हुआ है—(चेप्टर ११ में है)—

"Any ten or more members of Gaon Samaj holding between them *bhumidhari* or *sirdari* rights in 30 acres or more in the circle and desiring to start a co-operative farm may speak in writing....."

मतलब यह है कि गांव समाज के आदमी अपने यहां कोआपरेटिव फार्म बनायेंगे। १० या १० से अधिक आदमी जिनके पास चाहे ३० एकड़ हो या ज्यादा, वह बना सकेंगे, लेकिन इस विधेयक के जरिये से यही अधिकार एक फारेन आदमी को भी दे रहे हैं। और जो चाहे वह करे। तो इस तरह से सरकार की जो नीति थी, वह कहां गयी? इस धारा के अन्दर यह साफ़ दिया हुआ है कि इसके राइट्स को सीज नहीं करेगी। लेकिन नतीजा क्या होगा अगर आप ने उसको सेल करने का अधिकार दे दिया। अगर आपने भूमिधर या सीरदार को यह राइट्स दे दिये तो नतीजा यह होगा कि कोई भी आदमी उस को खरीद लेगा और फिर वह उन राइट्स से वंचित हो जायेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार किसानों को फोर्स कर रही है कि वह मजबूर हो जायं। जब जमीन बेच देगा तो वह मजबूर हो जायेगा। संविधान के अनुसार सरकार बाध्य है कि वह ऐसी नीति बरते जिससे हर आदमी को रोजी मिले और कृषि को नये ढंग से करने का प्रोत्साहन मिले। लेकिन आप गांव को उजाड़ कर एक विदेशी को बिठाना चाहते हैं कि वह गांव में आ कर खेती करे। आप अपनी उस नीति पर कायम रहिये जो नीति आप की रही है। गांधी जी कहते थे कि जमीन उसी की है जो उस को जोतता है। आज अगर गरीबी की वजह से या अन्य किसी कारणवश वह जमीन को बेच डालता है तो उसको कैसे काम मिलेगा? मैं बनारसीदास जी से कहना चाहता हूं कि वह गाजीपुर जिले में जाकर देखें कि वहां पर किसानों की क्या हालत है, वहां पर दो वक्त भोजन नहीं मिलता है। जैसा कि सुना है, अगर यह सही है कि सवा छै एकड़ को अन एकोनामिक माना जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो आप को मालूम हो जायेगा कि कितने सवा छै एकड़ वाले हैं और कितने साढ़े १२ एकड़ वाले हैं। एक तरफ आप ट्रान्सफर करने की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ गरीबों को साधन देने की कोई फिक्र नहीं है। आज आदमी चाहता है कि उस को काम मिले। वह आज भीख नहीं मांगता।

[श्री कमलासिंह यादव]

मुझे अफसोस है कि आज आप उस को काम भी नहीं दे सकते। आज आदमी केवल काम चाहता है। जब आप काम नहीं दे सकते तो उससे आप उम्मीद क्या करते हैं? आप को तो टैक्स चाहिये। आप उसको काम नहीं देना चाहते, टैक्स लेना चाहते हैं। पूर्वी जिलों की आज इतनी बुरी हालत है कि वहां दो वक्त भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है लोगों को। आदमी में काम करने की ताक़त है, ताक़त के रहते हुये भी, उसे काम नहीं मिल रहा है। वह अपनी ताक़त को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आपको चाहिये कि आप काम दें उसको, और उचित मजदूरी दें।

श्रीमन्, गणतंत्र दिवस पर जो नारा लगाया गया था उसकी मैं तारीफ करता हूं। वह नारा था कि श्रमदान करो। जब सरकार ने कहा कि श्रम दान किया जाय तो ग़रीब लोग फावड़े लेकर चल पड़े और सरकार के इशारे पर लोगों ने सड़कें बनाईं और बहुत से काम निर्माण के किये। लेकिन जब सरकार ने उस चीज का दुरुपयोग किया तो और किसी गांव के आदमी से आप आज कह दें कि श्रमदान करो, तो वह गाली के सिवाय और कुछ नहीं कहेगा। तो जहां तक आज के युग में कर लेने का सवाल है, जिसके पास पैसा है उससे पैसा लीजिये और जिसके पास बाहुबल है उस से श्रम लीजिये। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उससे भी पैसा लेना चाहे और जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे कम लेना चाहें तो इसका परिणाम सरकार ही समझे। धारा १५४ में जो इस विधेयक से परिवर्तन होने जा रही है, वह भी सरकार एक तरह से विरोध ही करने जा रही है। पंचायती राज ऐक्ट की धाराओं का भी विरोध करने जा रही है १५४ के जरिये। किसी के पास १२॥ एकड़ से ज्यादा जमीन थी तो उसकी सीलिंग कर दी जाती थी और गांव समाज में उसे निहित कर दिया जाता था। इस प्रकार वह जमीन भूमिहीनों को मिलती थी। एक तरीके पर बड़े बड़े लोगों की जमीन छीन कर हमने भूमिहीनों को देने की व्यवस्था की थी। उस व्यवस्था पर इस विधेयक से सरकार कुठाराघात करने जा ही है। उन आदमियों को सरकार मौक़ा दे रही है जो कभी खेत जोतते ही नहीं थे। नतीजा यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग में लोग गांव के गांव खरीद लेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि ग़रीब किसान जो इस देश और प्रदेश की रीढ़ हैं, जिन्हें टैनेंट कहा जाता है, जिन्हें सरकार को हर कीमत पर बढ़ाना चाहिये चाहे सरकार का सारा काम बन्द हो जाय, उनको हानि होगी। उन्हें प्रिजर्व करना सरकार का पहला काम है। लेकिन अब मशीन के जरिये हल चलाया जायगा। गांधी जी ने भी कहा था कि गांव के ग़रीब लोगों के लिये छोटे छोटे उद्योगधंधे चलाइये, आधुनिक ढंग के औजारों से खेती कराइये। लेकिन इस विधेयक के जरिये आपकी वह तमन्ना कहां गई जो इस सदन में आप बराबर कहा करते थे कि हम किसान के हिमायती हैं। जैसा कि विधेयक आया है अगर वैसा ही पास हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा और जो कानून इस सदन से पास हो चुके हैं उनका कंट्रेडिक्शन होगा। तो जब तक उन धाराओं का संशोधन न कर लें मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता।

इतनी बातों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इन पर गौर से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर वाकई ठीक है तो अपने ला डिपार्टमेंट से कन्सल्ट कर लें, ताकि किसी किस्म का कोई स्ट्रिक्चर इस सदन की कार्यवाही के सिलसिले में न पास हो सके। यही मेरी सरकार से प्रार्थना है।

कारागार राज्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मवत वैद्य)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री टम्केश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, अब ५ बज गये हैं। अब तो आपकी रूलिंग होगी। यह प्रस्ताव तो अब लिया नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री यादवेन्द्रदत्त---श्रीमन्, अब तक इस सदन की ऐसी प्रथा रही है कि किसी भी बिल पर साधारण रूप से दो दिन जनरल डिबेट हुआ करती है ? क्या माननीय बनारसी दास जी ने इस सदन की परम्पराओं पर कुठाराघात करने का निश्चय कर लिया है ? अगर वे मान जायं तो अच्छा है फिर इस प्रस्ताव को न रखा जावे ।

श्री अध्यक्ष---आप उस समय थे नहीं और किसी माननीय सदस्य ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की कि अभी इस पर समुचित रूप से विवाद नहीं हुआ है । माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी भी बोले तो उन्होंने भी यह कहा कि अब इस समय तो आप को रूलिंग देनी है। उस पर आपत्ति उन्होंने भी नहीं की ।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, अगर हम लोगों की कोई कमजोरी हो तो उसका फायदा आप को सरकार को नहीं उठाने देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---अगर कोई भी माननीय सदस्य खड़ा हो कर यह कह देता कि अभी इस पर समुचित विवाद नहीं हुआ है तो मैं उस को स्वीकार न करता ।

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, नियमों के अन्दर यह स्पष्ट दिया हुआ है कि हमारी गलतियों पर भी आप हमें प्रौटेक्ट करेंगे ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---अगर कोई एतराज उस समय नहीं हुआ तो शायद बनारसीदास जी अब मान लें और अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में - १२५,
विपक्ष में - ८१ ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय रामसुन्दर पांडेय जी, आप कितना समय लेंगे ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, कह नहीं सकता क्योंकि माननीय मंत्री जी का जवाब देना है । उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में स्पीच दी है, उनको जवाब देने में तो समय लगेगा ही । तो कब से कब तक मैं बोलूंगा, यह कहने में असमर्थ हूं, आगे जैसा आप हुक्म दें ।

श्री अध्यक्ष---पहले मैं अपना निर्णय दे दूं ।

मंत्रिपरिषद् में कथित मतभेद के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये भाषण के समाचार पत्रों में छपने के बारे में नेशनल हेरल्ड अथवा प्रेस संवाददाता समिति, लखनऊ तथा मुख्य मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह व माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने समाचार पत्र, नेशनल हेराल्ड तथा उसके संवाद-दाता के विरुद्ध विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना इस आधार पर प्रस्तुत की है कि १७ सितम्बर, १९६२ को उक्त समाचार-पत्र में एक बयान छापा गया जो इस कारण से झूठा था कि माननीय मुख्य मंत्री ने वैसा बयान दिया ही नहीं था । इस प्रकार समाचारपत्र ने प्रदेश में इस सदन एवं इसके सदस्यों के प्रति घोर अविश्वास एवं अनादर किया है तथा मंत्रियों एवं सदस्यों के कर्त्तव्य निर्वहन में बाधा डाली है । यह निर्विवाद है कि विवादान्तर्गत बयान कांग्रेस कार्य कर्त्ताओं की सभा में, जो कानपुर में हुई थी, दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय गेंदा सिंह ने कुंवर श्रीपाल सिंह के तर्कों का उत्तर देते हुये इस बात पर बल दिया कि समाचारपत्रों में किसी निजी सभा में सदन के बाहर दिये गये भाषण की आलोचना अथवा अशुद्ध विवरण विशेषाधिकार के प्रस्ताव का आधार नहीं माना जा सकता। ऐसी आलोचनायें व सूचनायें सदन के कर्त्तव्य कृत्यों में बाधा डालने की क्षमता नहीं रखती और न उससे किसी माननीय सदस्य का या सदन का अवमान ही होता है। विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न साधारणतया केवल ऐसी अवस्था में उत्पन्न होता है जबकि अशुद्ध व अपमानजनक खबर या आलोचना, उन कृत्यों के सम्बन्ध में हो कि जो सदन में हुई हो।

मैं माननीय गेंदासिंह के इन तर्कों को स्वीकार करके कुंवर श्रीपाल सिंह आदि के विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को अस्वीकृत करता हूं।

माननीय रामकिशोर के विशेषाधिकार का प्रश्न भी कुंवर श्रीपाल सिंह की सूचना के सम रूप है। अतः उपर्युक्त तथ्य उसमें भी लागू होते हैं और वह भी अस्वीकार की जाती है।

माननीय दीपनारायणसिंह तथा माननीय श्यामलाल ने अपनी विशेषाधिकार की सूचना में यह मांग प्रस्तुत की है कि दोनों विरोधात्मक बयानों में अर्थात् एक जो तथाकथित बयान कानपुर में दिया गया कहा जाता है और दूसरा जो उसके खंडन में दिया गया, इन दोनों के सम्बन्ध में अन्वेषण हो कि इन में कौन सा सत्य है। और यदि अन्वेषण के पश्चात् यह सिद्ध हो कि माननीय मुख्य मंत्री सी० बी० गुप्त का बयान, जैसा कि वह समाचारपत्रों में छपा है, सही है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और यदि वह गलत है तो समाचारपत्र या उस के सम्वाददाता के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। यह विशेषाधिकार की सूचना इस आधार पर अस्वीकार की जाती है कि सदन में दिये गये किसी माननीय सदस्य के बयान को असत्य होने की चुनौती नहीं दी जा सकती। इस सदन के पूर्वगामी आदरणीय अध्यक्षों और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अध्यक्षों के यह निर्णय बार-बार हो चुके हैं कि वाक्स्वातंत्र्य के कारण, किसी भी माननीय सदस्य के बयान की सत्यता पर शंका नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री का बयान सही मानते हुये विचाराधीन विशेषाधिकार की सूचना में केवल यह मांग रह जाती है कि समाचारपत्र या उन के संवाददाता के विरुद्ध इस आधार पर कार्यवाही की जाय कि उन्होंने गलत समाचार प्रकाशित किया। जिन आधारों पर माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह के विशेषाधिकार की सूचना अस्वीकार की गयी है वही आधार इसमें भी लागू होते हैं। अतः यह भी अस्वीकृत होती है।

विशेषाधिकार की तीसरी श्रेणी की सूचनायें माननीय रक्षपाल सिंह, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय, माननीय शिवनाथ सिंह तथा माननीय उग्रसेन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। ये सूचनायें, मुख्य मंत्री माननीय सी०बी० गुप्ता के विरुद्ध इस आधार पर हैं कि माननीय मुख्य मंत्री के कानपुर में दिये गये अपने वक्तव्य का जो खंडनात्मक बयान, इस सदन में दिया है, वह गलत है। इस आरोप को सिद्ध करने के लिये, वह उस प्रस्ताव के ऊपर बल देते हैं, जो कि पत्र प्रतिनिधि समिति ने दिनांक १८ सितम्बर को अपनी बैठक में पारित किया है, और जिस में उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के खंडनात्मक बयान पर अपनी व्याकुलता प्रदर्शित की है। सारतः, इस सूचना में भी माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य की सत्यता पर प्रहार किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सदन में दिये गये वक्तव्यों की सत्यता के सम्बन्ध में संदेह नहीं किया जा सकता है। अतः यह विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना भी अस्वीकार की जाती है।

स्पष्ट है कि विशेषाधिकार समिति को सदन में दिये गये वक्तव्यों की सत्यता के सम्बन्ध में अन्वेषण करने का अधिकार नहीं है और न उस समिति को इस कार्य के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है।

अंतिम विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने लखनऊ प्रेस कारेस्पांडेन्ट कमेटी के विरुद्ध दी है। इस सम्बन्ध में यह कह देना पर्याप्त होगा कि माननीय मुख्य मंत्री श्री सी०बी० गुप्ता ने अपने खंडनात्मक बयान को सदन में पढ़ने के पहले ही उस को दे

दिया था। सदन में केवल सूचना के विचार से, पढ़ दिया गया था, अतः "लखनऊ प्रेस कारेस्पांडेंट कमेटी" का प्रस्ताव भी सदन की किसी कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। अतएव उन के विरुद्ध भी कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी आपसे चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य सदन के बाहर और भीतर एक एक शब्द और लाइन मिलाकर वैसा ही बयान कर दें तो क्या वह सदन की कार्यवाही का अंश समझी जायगी या बाहर की समझी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—अगर पहले बाहर दे दिया है और यहां केवल सूचना की दृष्टि से रखा है तो वह बयान यहां का नहीं समझा जायगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—लेकिन वह यहां का बयान होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—वह मैंने बता दिया कि वह पहले हो चुका था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा निवेदन है कि वह सदन का बयान होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नहीं।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान नियमावली के नियम १३१ की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बिल जो लाया गया है इसमें नियम के अनुसार यह नहीं बताया गया है कि वह कितना क्षेत्र होगा कि जिसके बारे में यह विधेयक लाया गया है और इसे किस प्रकार कितने क्षेत्र पर प्रयोग में लाया जायगा। अतः कृपा कर इसके सम्बन्ध में जितने पेपर्स हों उनको आप दिलाने की व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष—क्या मंत्री जी सम्बन्धित पत्रावली मेज पर नियम १३१ के अनुसार रखेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—इसमें तो कोई ऐसे पेपर्स हैं नहीं। जब मैं अपना निवेदन करूंगा तब बता दूंगा। यह बात नहीं है कि १,२ जिले के लिये बनाया हो या किसी खास एरिया के लिये बनाया है बल्कि चन्द सेक्शन्स उनमें जो डिफेक्ट्स हैं वह बताये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली हो तो अपना भाषण शुरु करने के पहले बता दीजियेगा।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—कोई पत्रावली सम्बन्धित नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—जो मंत्री जी ने बात बतायी जहां १ या २ जिलों का सम्बन्ध है घुर धारा का वहां तो प्रश्न नहीं उठता। लेकिन जो दूसरे प्रान्त के बार्डर एरियाज हैं उनसे सम्बन्धित है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेश की कितनी भूमि इस प्रदेश के अन्दर आ रही है जिस पर यह विधेयक लागू करना चाहते हैं, इसकीजानकारी होना आवश्यक है क्योंकि यह इससे सम्बन्धित है। और खास कर हमारे सदन के सामने यह सवाल भी है, मंत्री जी ने अपने बयान में बताया था कि बलिया में अगर छपरा की जमीन आ जाय तो क्या नुकसान है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है ....

श्री अध्यक्ष—आपने सब बातें बहुत सुन्दर ढंग से कह दीं। आशा है कि समाज कल्याण मंत्री उस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। सत्ताधारी दल की ओर से माननीय राजस्व मंत्री जी ने व्याख्यान दिया और दुख यह है कि व्याख्यान देने के बाद शायद ही हाउस में ५ मिनट बैठते हों। पता नहीं हर ५ मिनट पर हाउस छोड़ कर जाते आते हैं क्या कारण है? इस समय भी अपना जो भाषण दिया है विद्वता पूर्ण उसका उत्तर सुनने को भी सदन में मौजूद नहीं हैं।

यह बात सही है राजस्व मंत्री बहुत काबिल आदमी हैं, उनकी काबलियत का मुकाबला मैं नहीं कर सकता और बहुत से ऐसे सज्जन हैं जो मुकाबला करने को तैयार नहीं हैं। उधर के बैठने वाले लोग हैं जो उनकी काबलियत का मुकाबिला कर सकते हैं। लेकिन इधर बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो मुकाबिला उनकी काबलियत का किसी जमाने में करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरा नाम ले कर कहा विधेयक को पढ़ा नहीं। समय बिताने के लिये इस तरह का संशोधन लाये हैं। मैं क्या कहूं बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, और मैं उनके समय तो नहीं रहा, लेकिन १२ साल का मेरा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर कहने के लिये तैयार हूं, अगर गलती हो तो क्षमा कीजियेगा, ऐसे ही मंत्री की काबलियत के रहते हुये भी उत्तर प्रदेश में एक नहीं हजारों, सैकड़ों मिसालें हैं जब से उनका पद इस सदन में आया है, तब से हजारों मिसालें हो सकती हैं, उनकी काबलियत की मुखालिफत, उसका भंडा फोड़ हाई कोर्ट ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं क्या काबलियत आपकी है और उसका यही नतीजा है आपके बनाये हुये विधेयकों के खिलाफ हाई कोर्ट जजमेंट देता है। कहा जाता है हम नहीं पढ़े हैं। बात सही है, मैं मानता हूं। जितने काबिल वह हैं, बड़े बड़े सलाहकार उनके हाथ में हैं, अगर उनका उपयोग सरकार करती तो मेरा खयाल है हाई कोर्ट में जो जजमेंट होते हैं वह शायद सुनने को न मिलते। हम काबिल आदमी नहीं हैं। कायदे कानून जानते भी नहीं हैं। गाँव का रहने वाला मैं मामूली कार्यकर्ता हूं लेकिन कई उदाहरण उनकी काबलियत के मैं पेश कर सकता हूं।

एक उदाहरण तो यह है, मैं १९५४ की बात कहता हूं। ये जो अनपढ़ और अकिंचन लोग बैठे हुये हैं उनकी ओर से प्रस्ताव आया था जमींदारी विनाश अधिनियम पर कि इस प्रदेश में लाखों किसान ऐसे हैं जो खेत को जोतते हैं और आपके आदेश के बावजूद भी सरकारी कागजात में उनके नाम दर्ज नहीं हैं। मैं भूलता नहीं, कार्यवाही पेश कर सकता हूं। चौधरी चरण सिंह उस विभाग को संभाल रहे थे और राजस्व मंत्री दूसरे विभाग को। इस हाउस में कहा कि गलत इन्दराज हैं लेकिन राजस्व मंत्री ने क्या कहा था? उनकी ओर से कहा गया था कि सारे प्रदेश में कोई गलत इंदराज नहीं है, कोई संशोधन विधेयक नहीं लाया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं राजस्व मंत्री जी से उस समय आपकी काबलियत कहाँ गयी थी? १९५४ में आन्दोलन चला और प्रदेश के हजारों आदमी जेलखाने गये। यही राजस्व मंत्री जी की काबलियत है? इस सदन ने प्रस्ताव पास किया कि कानून में संशोधन किया जाय। वह भी उस समय मौजूद थे। क्या काबलियत है उनकी? सारे सूबे के फीगर्स मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आजमगढ़ के फीगर्स बतला सकता हूं। अकेले आजमगढ़ जिले में ४० लाख गलत इंदराज पाये गये थे। आप जैसे काबिल आदमी मंत्रिमंडल में मौजूद थे। सन् ३७ की बात बतलाता हूं। सन् ३७ से राजस्व मंत्री इस माननीय सदन को सुशोभित करते हैं। २५–३० साल के जमाने में उन्होंने क्या किया है? माननीय राजस्व मंत्री को ज्यादा नाराजगी होगी वर्ना एक नहीं १० उदाहरण मैं बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—इससे कोई लाभ तो है नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—लाभ है। आप सदन में रहे नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उस समय थे। अगर उन शब्दों का प्रयोग माननीय राजस्व मंत्री जी ने उग्रसेन जी के प्रति किया होता जो उन्हें वैसा ही जवाब मिलता। वैसा जवाब मैं दे नहीं सकता हूं। हम तो सीधे सादे आदमी हैं। वह काबिल हैं, हम नाकाबिल हैं। इसको मानने से हम इंकार नहीं करते। उनकी काबलियत से करोड़ों किसान क्या भोग रहे हैं? यह फिर क्या है? राजस्व मंत्री बड़े तीसमारखां बनते हैं। १८४० से जमीन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश का झगड़ा है।

१२२ साल हो गये, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। आपके पास हिम्मत कहाँ है, आपके पास ताकत कहाँ है उन लोगों से जूझने की जिन्होंने नाजायज आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसे लोग हजारों की तादाद में मिलेंगे जो किसान हैं लेकिन बेजमीन हैं, बेघरबार हैं। कत्ल होते हैं, मारे जाते हैं फिर भी राजस्व मंत्री मुस्तैदी, बहादुरी के साथ ईमानदारी और अपनी विद्वता का परिचय देते हैं और हमारे लिये कहते हैं कि यह तो समय टालने के लिये ऐसे संशोधन रखते हैं, खास तौर से राम सुन्दर पाँडेय तो यही करते हैं। क्या कहूं ?

अगर यह सरकार की काबिलियत के दो, चार उदाहरण और पेश कर दूं तो श्रीमन् आप क्षमा करेंगे। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बना कि सब जमींदारी खत्म। चौधरी चरण सिंह जरा ज्यादा क्रांतिकारी हैं। उन्होंने १५४ में संशोधन ला दिया कि जिस किसी के पास साढ़े १२ एकड़ का खाता हो और वह साढ़े १२ एकड़ और लेना चाहता हो तो उसे कलेक्टर इजाजत नहीं देगा। अब बिल पास होगा कि नहीं, खरीद सकता है कोआपरेटिव सोसायटी के लिये और उद्योग चलाने के लिये। क्या यही क्रांतिकारिता है, यही किसानों के हक में है, यही विद्वता है, यही प्रगतिशीलता है ? मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह संशोधन विधेयक प्रतिक्रियागामी है और जो संशोधन आप १५४ के जरिये लाये थे और जो अधिकतम जोत सीमा विधेयक पास किया था उन सब की आड़ में यह संशोधन आया हुआ है और सारे बड़े आदमियों को यह संशोधन हक देता है छोटी से बड़ी खेती करने का। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत किया है और लेक्चर क्या हुआ है, श्रीमन् आप कार्यवाही देख लीजिये ? माननीय राजस्व मंत्रीजी को बहुत नाराजगी हुई कि राम सुन्दर पांडेय बिल नहीं पढ़ते हैं। माफ करेंगे राजस्व मंत्री जी, शायद ५ मिनट भी यहाँ बैठ कर उन्होंने किसी के लेक्चर को सुना नहीं है। हर पाँच मिनट पर वे कहाँ जाते हैं मैं कह नहीं सकता ? जो मंत्री हाउस में दस, बीस मिनट भी बैठ कर सुझाव न सुने वह ऐसे ही अन्दाज से कह दे कि बिल को किसी ने पढ़ा नहीं है। श्रीमन्, आप कार्यवाही मंगा कर हमारा भाषण पढ़ लीजिये। जो राजस्व मंत्री ने कहा मैंने वही कहा लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनके कान में क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन आप कार्यवाही मंगा कर पढ़ लीजिये और फिर भी इस तरह का आक्षेप कि विरोधी दल के लोग समय बिताने के लिये संशोधन लाते हैं। श्रीमन्, हमारा १२ साल का तजुरबा है और सही तजुरबा है। हमने एक बार नहीं, हजार बार सरकार को सिखाया है, रोशनी दिखायी है, सरकार के अन्दर सूझ नहीं, दिल व दिमाग नहीं। वह विरोधियों की सही बातों को सुनने को तैयार नहीं। अधिकतम जोत सीमा विधेयक के समय हमने कहा था कि अपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोगों का संशोधन था कि ३० एकड़ से अधिक मत दीजिये।

श्री अध्यक्ष—अब आप कल जारी रखियेगा। अब साढ़े ५ बज गये हैं, हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ सितम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

मुहल्लों के नाम जहां पर जल संभरण का प्रबन्ध है

वार्ड १

१—नार्थ मलाका, २—ताजिया कलाँ, ३—नार्दन रेलवे एरिया, ४—बदलेपुर ५—लायल रोड, ६—नवाब यूसुफ रोड, ७—कमला नेहरू रोड, ८—हेस्टिंग्स रोड, ९—सरोजिनी नायडू मार्ग, १०—स्ट्रैची रोड, ११—कपूर रोड, १२—क्लाइव रोड, १३—पी०डी० टंडन रोड, १४—ड्रमन्ड रोड, १५—कालविन रोड, १६—सरदार पटेल मार्ग, १७—महात्मा गांधी मार्ग, १८—स्टैन्ली रोड ।

वार्ड २

१—एडमांसटन रोड, २—एलगिन रोड, ३—थार्नहिल रोड, ४—अक्लैंड रोड ५—सरोजिनी नायडू रोड, ६—स्ट्रैची रोड, ७—लायल रोड, ८—तेज बहादुर सपरू रोड, ९—के०एन० मुकर जी रोड, १०—कमला नेहरू रोड, ११—मिन्टो रोड, १२—कपूर रोड १३—ड्रमन्ड रोड, १४—नैपियर रोड, १५—कालविन रोड, १६—पी०डी० टंडन रोड, १७—क्लाइव रोड, १८—महात्मा गांधी रोड, १९—म्यो रोड, २०—सरदार पटेल मार्ग २१—स्टैन्ली रोड, २२—हेस्टिंग्स रोड ।

वार्ड ३

१—बेली, २—राजा पुर, ३—नेवादा, ४—म्योराबाद, ५—म्योर रोड, ६—नैपियर रोड, ७—कस्तूरबा गांधी मार्ग, ८—सरकुलर रोड, ९—ड्रमन्ड रोड, १०—मिंटो रोड, ११—स्टैन्ली रोड, १२—हेस्टिंग्स रोड, ।

वार्ड ४

१—नया कटरा, २—लाजपत राय रोड, ३—न्यू कटरा ऐक्सटैन्शन स्कीम, ४—बी० रोड शाखा बेली रोड, ५—सी० रोड शाखा बेली रोड, ६ ए.—रोड शाखा बेली रोड, ७—बटुक कृष्ण बनर्जी रोड, ८—जहूर मास्टर रोड, ९—ममफोर्ड गंज, १०—राय बहादुर रामचरन दास रोड ११—मास्टर द्वारका प्रसाद रोड, १२—बेली एक्स्यू, १३—लाला रामनरायन लाल रोड, १४—स्टैन्डिली रोड, १५—म्योर रोड, १६—मिशन रोड, १७—कस्तूरबा गांधी मार्ग, १८—ममफोर्ड गंज हाउसिंग स्कीम ।

वार्ड ५

१—कटरा, २—मिशन रोड, ३—कस्तूरबा गांधी मार्ग, ४—बख्तियारी, ५—फकीरे गंज ।

वार्ड ६

१—करनल गंज, २—बाग बाबा शीतल दास, ३—लाउडर रोड, ४—दरभंगा कैसिल कम्पाउन्ड, ५—डा० पन्ना लाल रोड, ६—सी०वाई० चिन्ता मणि रोड, ७—लाला राम नारायण लाल रोड, ८—डा० गंगा नाथ झा रोड, ९—मोती लाला नेहरू रोड, १०—कमला नेहरू रोड, ११—थार्नहिल रोड, १२—कैनिंग रोड ।

वार्ड ८

१—करनपुर, २—हाशिमपुर, ३—प्रयाग स्टेशन, ४—नाकश रोड, ५—राम प्रियारोड, ६—फतेहपुर विद्धुआ, ७—टैगोर टाउन, ८—बंध रोड, ९—पी०सी० बनर्जी रोड, १०—एलन गंज, ११—हासिन पुर रोड, १२—चर्च लेन १३—मोती लाल नेहरू रोड, १४—जवाहर लाल नेहरू रोड १५—लिडिल रोड, १६—ए० लिडिल रोड आफ सूट १७—मदन मोहन मालवीय रोड १८—हिमिल्टिन रोड, १९—महात्मा गांधी मार्ग, २०—थार्नहिल रोड, २१—सी० वाई चिंतामणि रोड, २२—लाउदर रोड ।

वार्ड ९

१—मोतिसिम गंज, २—सहरारा बाग, ३—आजाद स्क्वायर ४—गोसाईं टोला, ५—चारूचन्द्र मित्रा रोड, ६—क्रास्थवेट रोड, ७—लाउदर रोड, ८—हिवट रोड, ९—शिवचरण लाल रोड, १०—ईदगाह ।

वार्ड १०

१—लखनत राय लेन, २—कामता प्रसाद कक्कड़ रोड, ३— श्री शचन्द्र बासू रोड, ४—कोठा पार्चा, ५—मीर गंज, ६—चक ७—बहादुर ।

वार्ड ११

१—त्रिपौलिया, २—जौहरी टोला, ३—महाजनी टोला, ४—कूंचा श्याम दास, ५—चाह चन्द्र, ६—जान्सटन गंज, ७—पान दरीबा, ८—चौक ९—बादशाही मंडी ।

वार्ड १२

१—हम्मामठ ठेरी बाजार, २—नाल बन्द टोला, ३—नूर अली गंज, ४—सब्जी मंडी, ५—सराय गढ़ी, ६—लीडर रोड, ७—शाहगंज ।

वार्ड १३

१—गढ़ी, २—मिन्हासपुर, ३—दोदी पुर, ४—गाड़ी वान टोला, ५—अहमद गंज, ६—याकूत गंज, ७—नूर उल्ला रोड, ८—लीडर रोड ९—नकाश कोना, १०—दारा मोहम्मद शफी, ११—दारा मुहम्मद अली, १२—कोफगृह टोला ।

वार्ड १४

१—नूर उल्ला रोड, २—खुशरू बाग रोड, ३—खुल्दा बाद, ४—सरांय खुल्दा बाद ५—लूकर गंज, ६—निहाल पुर, ७—भावा पुर ८—लीडर रोड ।

वार्ड १६

१—भुसौली टोला, २—काला डाड़ा, ३—चौकी करामत, ४—हिम्मत गंज।

वार्ड १७

१—पूरा मनोहर दास, २—तूलसी पुर, ३—करैला बाग, ४—सुल्तानपुर भावा, ५—नूर उल्ला रोड ।

वार्ड १८

१—काजी गंज, २—कोलहन टोला, ३—बैगन टोला, ४—दारा शाह अजमल, ५—बक्शी बाजार, ६—अटाला, ७—गुलाब बाड़ी, ८—नूर उल्ला रोड ।

वार्ड १९

१—रानी मंडी, २—चौक गंगा दास, ३—कूचा राय गंगा प्रसाद, ४—गुजराती मुहल्ला, ५—अखाड़ा मान खां, ६—बजाजा, ७—अतर सुइया, ८—खुशहाल पर्वत ९—दारा शाह गुलाम अली ।

वार्ड २०

१—मीरा पुर, २—दरिया बाद, ३—कटघर, ४—बलुआ घाट, ५—महाबीरन गली

वार्ड २१

१—अहियापुर, २—महामना मालवीय नगर, ३—ऊंचा मंडी, ४—सरांय मीर खां,

वार्ड २२

१—मुट्ठी गंज महाबीरन गली ।

वार्ड २३

१—चौखंडी पूरा बल्दी, २—पूरा ढ़ाकू, ३—नयी बस्ती, ४—खलासी लैन ।

वार्ड २४

१—कृष्ण नगर, २—तालाब नेवल राय, ३—बैरहना, ४—बाई का बाग, ५—रामबाग ६—मलाक राज ।

वार्ड २५

१—पूरा पड़ाइन, २—मटियारा, ३—ओल्ड लस्कर लाइन ४—न्यू लसकर लाइन ५—अलोपी बाग, ६—बघम्बरी बाग, ७—पूरा दलेल, ८—सौहबतिया बाग, ९—तुला राम बाग, १०—मधवा पुर ।

वार्ड २६

१—बारा गंज, २—बक्सी खुर्द, ३—मोरी, ४—मोरी गली, ५—बक्सी कला ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

सन् १९५५ से अब तक यू० पी० जेलों में बेचे गए पुराने फैनाइल के ड्रमों के सम्बन्ध की सूचना

वर्ष	पुराने ड्रमों की संख्या		बिक्री की दर फी ड्रम	फर्म का नाम जिसको बेचे गये
	अनसर्विसेबुल	सर्विसेबुल	रु०	
१९५५	..	..		कोई बिक्री नहीं हुई ।
१९५६	१	—	६.२५	सर्व श्री गर्ग केमिकल्स, लखनऊ
	९	—	८.००	,, ,,
१९५७	३	—	६.२५	,, ,,
१९५८	३	—	६.२५	,, ,,
१९५९	१	—	६.२५	,, ,,
	१६	—	कुल १५ रु०	नीलाम द्वारा बेचा गया
१९६०	१०	—	४.००	,, ,,
	१३	—	५.५४	,, ,,
	७	—	६.७५	श्री अबरार हुसेन, मुरादाबाद
	४०	—	९.००	श्री शौकल अली, इलाहाबाद
	५१	—	६.२५	श्री गर्ग कैमिकल्स, लखनऊ
१९६१	२७	—	६.२५	,, ,,
१९६२	१६०	—	६.२५	,, ,,
	२०	—	कुल ९३ रु०	नीलाम द्वारा बेचा गया ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

No. 1726-G/XI—A-1019-57

FROM

SRI G. L. MITAL, P.C.S.,
UP SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN.

To

ALL DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, August 20, 1960.

Subject : **Amelioration of the conditions of sweepers and scavengers of local bodies**

SIR,

I am directed to invite reference to Government Resolution no. 4486/XI—713-46, dated August 19, 1947, regarding "Holidays and Leave" asking local bodies to allow their full and part-time sweepers and scavengers half a day off on Sundays and other holidays prescribed by Government. With a view further to improve the working conditions of sweepers and scavengers serving under local bodies, Government have agreed that the sweepers and scavengers working under the local bodies may be allowed a full day off instead of half a day off on Sundays and other prescribed holidays.

NAGARPALIKA (KA VIBHAG

2. I am to add that if on account of shortage or non-availability of sweepers and scavengers, certain local bodies find it difficult to make alternate arrangements for the work to be done on Sundays and other holidays, they may stick to the present practice of giving only a half a day off as at present but in that case payment should be made for the half-day's work at double the wages for the whole day so that these menial employees be adequately compensated for work done on holidays. I am to request that these instructions may be brought to the notice of all local bodies within your district for action accordingly.

Yours faithfully,
G.L. MITAL,
Up Sachiv.

No. 1726-G(i)/XI—A-1019-57

COPY forwarded for information and necessary action to—

(1) All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh.

(2) All Presidents/Administrators of Municipal Boards in Uttar Pradesh.

(3) All Adhyakshas of Antarim Zila Parishads in Uttar Pradesh,

(4) All Chairmen/Presidents of Notified and Town Area Committees in Uttar Pradesh.

(5) The Mukhya Nagar Adhikari, Nagar Mahapalika, Agra, Kanpur, Varanasi, Allahabad and Lucknow.

(6) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, Lucknow.

(7) All Vibhags of Swayatta Shasan Shakha, Sarvajanik Swasthya Vibhag and Harijan Sahayak Vibhag of Sachivalaya.

By order,
G. L. MITAL,
Up Sachiv.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३–४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

१ जुलाई, १९६२ से २० जुलाई, १९६२ तक निर्णित रेन्ट कन्ट्रोल अपीलों का विवरण

क्रम-संख्या	विभाग में प्राप्ति की तिथि	वादी तथा प्रतिवादी के नाम	जिले का नाम	आदेश की तिथि
१	२७ अप्रैल, १९६२	श्री राधेश्याम बाघले बनाम श्रीमती मुन्नी देवी व डा० तुलसी प्रसाद साहू	लखनऊ	९ जुलाई, १९६२
२	२६ जून, १९५९	कष्ट निवारक समिति बनाम श्रीमती सरला देवी	आगरा	१० जुलाई, १९६२
३	२ मई, १९६२	श्री श्याम लाल बनाम श्रीकृष्ण चन्द	एटा	१० जुलाई, १९६२
४	१५ दिसम्बर, १९६१	श्री शौकत अली बनाम श्रीमती जीनतुन्निसां	मेरठ	१० जुलाई, १९६२
५	४ अप्रैल, १९६२	श्री भोला नाथ बनाम श्रीमती फूलवती	आगरा	१० जुलाई, १९६२
६	२३ जनवरी, १९६०	श्रीमती विद्यावती बनाम श्री अर्जुन देव	मुरादाबाद	१० जुलाई, १९६२
७	८ सितम्बर, १९६१	सर्वश्री राजेंद्र कुमार, सतीश चन्द्र बनाम श्री रामगोपाल	मथुरा	११ जुलाई, १९६२
८	३० नवम्बर, १९६१	सर्वश्री धनप्रकाश, राजबहादुर बनाम श्री जय दयाल	मेरठ	११ जुलाई, १९६२
९	१३ मार्च, १९६२	राजा कृष्ण पाल सिंह बनाम श्री महेन्द्रपाल सिंह	जालौन	१२ जुलाई, १९६२
१०	१७ फरवरी, १९६२	सर्वश्री बाधुमल ओछीराम बनाम सर्व श्री महबूब आलम खां, मासुद आलम खां	पीलीभीत	१७ जुलाई, १९६२
११	२९ अप्रैल, १९६०	श्री सत्यवान शर्मा बनाम श्री राम सरन दास	मुरादाबाद	१७ जुलाई, १९६२
१२	२१ अक्टूबर, १९६१	श्री विजय बहादुर सिंह बनाम श्री रामनारायण	मेरठ	१८ जुलाई, १९६२
१३	३ अक्टूबर, १९६०	श्री ज्ञानेंद्र नाथ टंडन बनाम श्रीमती मीना	कानपुर	१८ जुलाई, १९६२
१४	२१ अक्टूबर, १९६१	श्री रामा नन्द हन्डेट बनाम श्री बृजबिहारी लाल	झांसी	१८ जुलाई, १९६२

क्रम-संख्या	विभाग में प्राप्ति की तिथि	वादी तथा प्रतिवादी के नाम	जिले का नाम	आदेश की तिथि
१५	१८ सितम्बर, १९६१	श्री सहतू बनाम सर्वश्री देवकी प्रसाद बदलू प्रसाद	कानपुर	१८ जुलाई, १९६२
१६	४ अगस्त, १९६१	श्री वलीउल हसनत व सैयदा बेगम बनाम सर्वश्री गोबिन्द राम धल्लू मल	इलाहाबाद	१९ जुलाई, १९६२
१७	१८ जुलाई, १९५५	श्री भगवती प्रसाद बनाम श्री राम प्रसाद	सहारनपुर	१९ जुलाई, १९६२
१८	१४ दिसम्बर, १९६१	श्री राम नाथ बनाम श्री रमेश चन्द्र	इटावा	१९ जुलाई, १९६२
१९	१० फरवरी, १९६१	श्री मोहम्मद उमर बनाम श्री कादिर बख्श	लखनऊ	१९ जुलाई, १९६२
२०	२८ नवम्बर, १९६१	श्री बुन्दू हसन बनाम सर्वश्री खुशी मोहम्मद सिराजुद्दीन	सहारनपुर	१९ जुलाई, १९६२
२१	१५ फरवरी, १९६२	श्रीमती रूप रानी व अन्य बनाम श्री सीताराम शर्मा	देहरादून	१९ जुलाई, १९६२
२२	२२ अगस्त, १९६१	श्री बृज कुमार लाल बनाम श्री शिवमूरत सिंह	बलिया	१९ जुलाई, १९६२
२३	५ मई, १९६२	सर्वश्री राम आसन पांडेय व मुन्नी लाल बनाम श्री लक्ष्मी राम व अन्य	बलिया	२० जलाई, १९६२
२४	१५ दिसम्बर, १९६१	श्री आबिद अली बनाम श्री चन्दन लाल	बाराबंकी	२० जुलाई, १९६२

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह व्यवस्था विभाग

संख्या–२ पी/३७–एच०–५०—५७

दिनांक लखनऊ, १० दिसम्बर, १९५८

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके गवर्नर महोदय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों को "विनियमित क्षेत्र" घोषित करते हैं:—

गाजियाबाद—

१—गाजियाबाद नगरपालिका की सीमायें तथा नगरपालिका की सीमा के सब ओर ५ मील दूरी तक का क्षेत्र ।

२—गाजियाबाद तथा दिल्ली के बीच ग्रांड ट्रंक रोड से दोनों ओर २।। मील तक की दूरी में आने वाला क्षेत्र ।

३—दिल्ली और लोनी के बीच दिल्ली-सहारनपुर रोड के दोनों ओर २।। मील की दूरी में आने वाला क्षेत्र ।

४—गंगा नदी के तटों से २ मील के अन्दर आने वाला क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के पुल से हर तरफ १ मील तक तथा ब्रिज हाल्ट रेलवे स्टेशन से २ मील के अर्धव्यास (रेडियस) की दूरी के अन्दर आने वाला क्षेत्र ।

रूद्रपुर—

बरेली जिले में रुद्रपुर नोटीफाइड एरिया कमेटी की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र ।

किछा—

बरेली जिले में किछा टाउन एरिया कमेटी की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र ।

बाजपुर—

नैनीताल जिले में बाजपुर ग्राम सभा की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र ।

कानपुर—

डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र ।

इलाहाबाद—

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, इलाहाबाद की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र ।

वाराणसी—

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, वाराणसी की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र ।

आगरा—

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, आगरा की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र।

लखनऊ—

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, लखनऊ की सीमा रेखाओं के अन्दर आने वाला क्षेत्र।

आज्ञा से,
श्रीपति,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
निवास विभाग

संख्या १३७९-एच-३७-५०-एच—५७
दिनांक लखनऊ, ८ अप्रैल, १९५९

विविध

यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ (यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४) के साथ पठित उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ (उत्तर प्रदेश अधिनियम, ३४, १९५८) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, गवर्नर महोदय, दिनांक १० दिसम्बर, १९५८ को विज्ञप्ति संख्या २-पी/३७—५०-एच-५७, में निम्नलिखित संशोधन करते है :—

संशोधान

१—शीर्षक "गाजियाबाद" के नीचे के अंक ४ घटा दिया जाय तथा प्रस्तर ४ में उल्लिखित क्षेत्र को "हापुड़" शीर्षक दिया जाय।

२—शीर्षक "रुद्रपुर" में पहले शब्द बरेली के स्थान पर "नैनीताल" रखा जाय।

३—शीर्षक "किछी" में बरेली जिले में "किछा टाउन एरिया" कमेटी के स्थान पर "नैनीताल जिले में किछा ग्राम सभा" रखा जाय।

४—शीर्षक "बाजपुर" में "बाजपुर ग्राम सभा" के स्थान पर "ग्राम मौना इसलामनगर (मजरा प्रभू मजरा बक्श), चक्करपुर मज़िरा अलापुर, पुन्डिया पस्टौर, मंडिया कलां तथा खभारिया" रखा जाय।

आज्ञा से,
श्रीपति,
सचिव।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

PRESS NOTE

A resolution passed by the Maha Bodhi Society, Sarnath and some news items and letters have appeared in a section of the Press expressing resentment that the name of "Mrigadav" (Deer Park) at Sarnath, Varanasi, has been changed to "Vishwanath Nikunj". There appears to be some misunderstanding which has been cleared with the representatives of the Maha Bodhi Society. The State Government has always been fully conscious of the importance of Sarnath as a place of international Budhism and has held it in high esteem. It is on this account that the Government have been spending considrable funds through its Forest Department for developing and beautifying the area round Mulgandh Kuti Vihar. Government wish to clarify that it was never intended to change the name of "Mrigadav", nor has it been changed at all, and its original signboard has remained at its place. Government has undertaken plantations in the area of the "Mrigadav". A part of this plantation has been named as "Vishwanath-Nikunj" after the name of the Head of the State who had evinced keen interets in the plantations for providing adequate shade and edible fruits to the deer living in "Mrigadav".

2. The ceremonial planting only represents the plantation done in a small corner of the "Mrigadav" and the naming of Vishwanath Nikunj was done after due intimation to and with the co-operation of the acting Secretary of the Maha Bodhi Society, Sarnath, and a number of local Budhists were present at the time of the ceremony. There is thus no occasion for any misunderstanding or misapprehension to arise in the mind of anyone that the name of "Mrigadav" has been changed. Government assures the public in general and the Budhists, in particular that the State Government has no intention, whatsoever to infringe in any way the sanctity of Sarnath, but, in fact, are taking steps to add to its attraction.

Dated Lucknow;
August 10, 1962.

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

सन १९६१–६२ के लिये दुद्धी वन खंड मिर्जापुर की परिवर्धित मूल्य अनुसूची

जातियां	व्यास इंचों में ४ १/२ फुट के ऊपर																	
	०–४"			४"–८"			८"–१०"			१०"–१२"			१२"–१६"			१६"–२०"			२०"–२४"			२४" और ज्यादा		
	रु०	न०	पै०	रु०	न०	पै०	रु०	न०	पै०	रु०	न०	पै०	रु०	न०	पै०	रु०	न०	पै०	रु०	न०	पै०	रु०	न०	पै०
साल, परसिध, शीशम बिजय साल ..	१			२			४			९			२८			७५			११०			१८५		
असना, हल्दू, स० दल ..		७५		१	५०		३			५	५०		१९			४७			८४			१३०		
तेन्दु, जामुन, सीधा, खौड़ा अमलताभ ..		५०		१			२			३	५०		९			२८			४५			७५		
खैर ..	१			३			५	५०		९			५६			९०			१३०			१५०		
सेमल ..		५०		२			३			४			१५			४५			६५			८५		
कन्जू (चिल मिल) सलई		५०		१			१	५०		२			९			१५			१९			४५		
बौरंग (भुरकुल) ..		..		..			२			४			२०			४५			८५			११०		
अन्य जातियां ..		३७			७५		१			२			९			१८			४५			७५		

बांस—

एक सौ बांस तक १.५० नये पैसे सैकड़े की दर से, एक सौ से ५ सौ बांस तक ३ रुपये सैकड़ा की दर से, पांच सौ बांस से अधिक ४ रुपये सैकड़े की दर से, डोम और धरकारों के लिये ५ रुपये हजार की दर से।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३० पर)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश में एक प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना तथा उसके संघटन और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने के लिये :

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षकारंभ तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "सम्बद्ध संस्था" का तात्पर्य अधिनियम के उपबन्धों के या तदधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार किसी पाठ्य-क्रम या किन्हीं पाठ्य-क्रमों के विषय में परिषद् से सम्बद्ध संस्था से है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है;

(ग) "उपविधि" का तात्पर्य धारा २४ के अधीन बनायी गयी उप-विधियों से है ;

(घ) "केन्द्र" का तात्पर्य परिषद् द्वारा अपनी परीक्षायें लेने के प्रयोजनार्थ निश्चित की गयी संस्था या स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध (appurtenant) भू-गृहादि भी हैं;

(ङ) "प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्य-क्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये प्रमाण-पत्र से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किये जायें;

(च) "सभापति" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति से है;

(छ) "डिप्लोमा" का तात्पर्य परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये डिप्लोमा से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किये जायें;

(ज) "अभीक्षक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र में होने वाली परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में उस केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे और परियोजना परीक्षा के सम्बन्ध में इसके अन्तर्गत परियोजना प्रेक्षक भी है;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसके सभापति तथा उप-सभापति भी हैं;

(ञ) "विनियम" का तात्पर्य धारा २३ के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(ट) "नियम" का तात्पर्य धारा २२ के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से है;

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य धारा ११ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये परिषद् के सचिव से है;

(ड) "राज्य सरकार" का तत्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ढ) "केन्द्र अधीक्षक" का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी हैं; और

(ण) "उप-सभापति" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये परिषद् के उप-सभापति से है।

परिषद् की स्थापना

३—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, एक परिषद् की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् कहलायेगी, जिसमें एक सभापति, एक उप-सभापति और चालीस से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।

परिषद् का संघटन

४—(१) सभापति तथा उप-सभापति सहित सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके करेगी।

(२) प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, उसकी नियुक्ति के दिनाँक से तीन वर्ष का होगा, किन्तु राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी सदस्य के कार्यकाल को वर्षानुवर्ष बढ़ा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक सदस्य का कार्यकाल दो बार से अधिक न बढ़ाया जायेगा।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिये परिषद् के साथ व्यक्तियों की आस्थायी सहयुक्ति

५—(१) परिषद् तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्य-क्रमों में सम्मिलित विषयों के विशेषज्ञ हों, अनुमेलित कर सकती है। अनुमेलित व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक का (अनुमेलन का) कार्यकाल, जो तीन वर्ष से अधिक का न होगा, गजट में विज्ञापित किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन अनुमेलित प्रत्येक व्यक्ति परिषद् की बैठकों में होने वाली चर्चाओं में भाग ले सकता है, किन्तु वह सदस्य नहीं समझा जायेगा और न उसे मतदान करने का अधिकार होगा।

(३) यदि परिषद् किसी अनुमेलित व्यक्ति को आगे बनाये रखना लोक-हित में अनावश्यक समझे तो वह किसी भी समय उसका (अनुमेलन का) कार्य-काल समाप्त कर सकती है।

सदस्यों का पदावधि

६—(१) सदस्य या अनुमेलित व्यक्ति, जो पद-त्याग करना चाहता हो, परिषद् को उस दिनाँक से जब वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, कम से कम तीस दिन पूर्व अपना त्याग-पत्र देकर पद-त्याग कर सकता है। अनुमेलित व्यक्ति का त्याग-पत्र परिषद् स्वीकार कर सकती है किन्तु सदस्य का त्याग-पत्र, परिषद् की समीक्षा के साथ, यदि कोई हो, राज्य सरकार को भेजा जायगा। राज्य सरकार या परिषद् द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर, यथास्थिति, सदस्य या अनुमेलित व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन त्याग-पत्र के कारण, अथवा धारा ७ के अधीन सदस्य की नियुक्ति समाप्त किये जाने के कारण, अथवा धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन (अनुमेलन का) कार्यकाल समाप्त किये जाने के कारण, या किसी

अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथास्थिति, नयी नियुक्ति या अनुमेलन द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार नियुक्त सदस्य का कार्यकाल, उस सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि भर के लिये होगा, जिसकी रिक्त वह नियुक्त किया गया हो और अनुमेलित व्यक्ति का (अनुमेलन का) कार्य-काल वह होगा, जो परिषद् निश्चित करे।

सदस्य की नियुक्ति की समाप्ति

७—राज्य सरकार किसी भी समय सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि—

(क) उसने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है; या

(ख) वह शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ग) उसका इस रूप में बना रहना लोक हित में नहीं है।

परिषद् की बैठकें

८—(१) परिषद् की बैठकें ऐसे समयों तथा स्थानों पर होंगी और continue उपधारा (२) के तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह अपनी बैठकों में कार्य-संपादन करने के लिये, जिसके अन्तर्गत बैठकों की गणपूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था तदर्थ बनायी गयी उपविधियों द्वारा की जाय।

(२) सभापति, तथा उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उन दोनों की अनुपस्थिति में, बठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(३) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

रिक्ति आदि के कारण कार्य या कार्यवाहियां अवैध न होंगी

९—परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ परिषद् या समिति में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने के कारण ही या प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता होने के कारण जिससे मामले के गुण-दोष पर प्रभाव न पड़े, अवैध न समझी जायेंगी।

परिषद् का कार्यालय

१०—परिषद् का कार्यालय उत्तर प्रदेश में उस स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निश्चित करे।

परिषद् के सचिव तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

११—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में परिषद् की सहायता करने के निमित्त उसका एक सचिव नियुक्त करेगी।

(२) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा अन्य कर्मचारिवर्ग नियुक्त करेगी, जिसका राज्य सरकार समय-समय पर अनुमोदन करे।

(३) सचिव तथा परिषद् के कर्मचारिवर्ग के सदस्य सरकारी कर्मचारी होंगे।

परिषद् के कृत्य और कर्त्तव्य

१२—इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद् के निम्नलिखित कृत्य और कर्त्तव्य होंगे—

(१) संस्थाओं को सम्बद्ध करना और अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम तथा शिक्षण-क्रम नियत करना;

(२) सम्बद्ध संस्थाओं की इमारतों तथा सज्जा के लिये मानदण्ड नियत करना ;

(३) सम्वद्ध संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग के लिये शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य मानदण्ड नियत करना;

(४) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती के लिये शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं नियत करना;

(५) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों के भर्ती किये जाने की रीति नियत करना;

(६) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रविष्ट करना;

(७) निम्नतर कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नति के निमित्त तथा प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा देने के निमित्त भी परीक्षाऐं संचालित करना;

(८) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित करना;

(९) उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने किसी सम्बद्ध संस्था में नियत पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया हो और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हों, प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा देना,

(१०) अन्य प्राधिकारियों तथा निकायों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो;

(११) प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास तथा तत्संबंधी प्रशिक्षण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(१२) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन ऐसे अन्य समस्त कार्य करना, जो उसके कृत्यों का यथोचित निर्वहन करने के लिये आवश्यक हों; और

(१३) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या तद्-धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उस पर आरोपित किये जायें।

परिषद् के अधिकार

१३—(१) परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्त्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हों ।

(२) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे —

(१) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षा-फल को रोक लेना, जिसके संबंध में यह पाया जाय कि—

(क) वह परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग करने का दोषी है; या

(ख) उसने संस्था अथवा परीक्षा में भर्ती के लिये प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण दिया है या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाया है; या

(ग) वह परीक्षा में कपट करने या प्रतिरूपण का दोषी है; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश पाने के नियमों का उल्लंघन करके उसने परीक्षा में प्रवेश पाया है; या

(ङ) वह परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासनहीनता का दोषी है।

(२) किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षाफल रद्द करना जो खंड (१) के उपखंडों (क) से (घ) तक में दिये गये कार्यों में सभी या किसी का दोषी पाया जाये अथवा ऐसा परीक्षा-फल रद्द करना जिसकी घोषणा में परिषद् द्वारा कोई सद्भावनापूर्ण भूल हो गयी हो;

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् की सद्भावनापूर्ण भूल के कारण कोई परीक्षा फल उसकी घोषणा की दिनाँक से नब्बे दिन व्यतीत हो जाने पर रद्द न किया जायेगा;

(३) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(४) किसी ऐसी संस्था को सम्बद्ध करने से इनकार करना—

(क) जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा, या इमारत के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुंचती है ; या

(ख) जो परिषद् द्वारा तदर्थ निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(५) ऐसी संस्था की सम्बद्धता वापस लेना जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा, या इमारत के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती, अथवा जो परिषद् के संतोषानुसार सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती;

(६) नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निर्देशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन माँगना और नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना, जो विनियमों द्वारा नियत की जाय;

(७) यह सुनिश्चित करने के लिये संबद्ध संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्य-क्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो; और

(८) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी संबद्ध संस्था में पाठ्य-क्रमों के लिये भरती किया जा सकें;

(३) उपधारा (१) तथा (२) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा ।

राज्य सरकार के अधिकार

१४—(१) राज्य सरकार परिषद् द्वारा किये गये या उसके द्वारा संचालित किसी काम के विषय में या परिषद् से संबंध रखने वाले किसी मामले में, अपने विचार परिषद् को संसूचित कर सकती है और तदुपरान्त परिषद् राज्य सरकार को उस कार्यवाही की सूचना देगी जो उनके संबंध में उसने की हो या करने का उसका विचार हो ।

(२) यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करें, या की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही की उसे सूचना न दे तो राज्य सरकार, परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे। परिषद् उक्त निदेशों का पालन---उनमें उल्लिखित समय के भीतर करेगी, और यदि वह उनका पालन न करे, तो राज्य सरकार ऐसी समस्त कार्यवाही कर सकती है जो वह उक्त निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

(३) राज्य सरकार, किसी भी आपातिक दशा में, जिसकी वही एक मात्र निर्णायक होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी तात्कालिक कार्यवाही कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर समझी जाय।

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

१५---(१) सभापति को, परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित सभी कार्य करने का अधिकार होगा और वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत किये जायं।

(२) सभापति, ऐसी आपातिक दशा में जिसमें उसकी राय में तात्कालीन कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, परिषद् की क्षमता के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में कार्यवाही कर सकता है और इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। तदुपरान्त सभापति तुरन्त परिषद् को, उसकी अगली बैठक में इस प्रकार की गई कार्यवाही की सूचना देगा।

(३) धारा १४ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् उपधारा (२) के अधीन सभापति द्वारा दिये गय आदेश की पुष्टि कर सकती है या उसे रद्द या परिष्कृत कर सकती है और सभापति द्वारा की गयी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य आदेश दे सकती है जो इष्टकर या आवश्यक समझे जायं।

(४) धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा चाहे वह किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में हो जिस पर सभापति द्वारा उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही की गयी हो अथवा अन्य प्रकार का हो, और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी तथा इस धारा के अधीन सभापति या परिषद् द्वारा दिये गये किसी भी आदेश पर अभिभावी होगा।

उप-सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

१६---उपसभापति, सभापति के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत अथवा सभापति द्वारा प्रतिनिहित किये जायं।

सचिव के अधिकार और कर्त्तव्य

१७---सचिव, परिषद् का मुख्य प्रशासी अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, उसके निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत किये जायें, और विशेष रूप से वह---

(क) लेखा प्राक्कलन तथा आय-व्यय के वार्षिक विवरण-पत्र तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि परिषद् को प्रदिष्ट समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये खर्च की जायें जिनके लिये वे प्रदिष्ट की गयी हों;

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(घ) परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने और कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार न होगा।

समितियों तथा उप-समितियों का संघटन

१८—(१) परिषद् एक पाठ्य पुस्तक तथा पाठ्य-चर्य्या समिति, एक परीक्षा समिति, एक निरीक्षण एवं संबद्धता समिति और ऐसी अन्य समितियां संघटित करेगी जो नियमों या विनियमों द्वारा नियत की जायें। सचिव ऐसी प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन संघटित किसी समिति में उतने सदस्य और अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें परिषद् उसमें नियुक्त करे। समिति का कार्यकाल और उसके सदस्यों की संख्या वह होगी जो विनियमों द्वारा नियत की जाये।

(३) परिषद् की कोई समिति उतने व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिये अनुमेलित कर सकती है जो वह उचित समझे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुमेलित सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

(४) समिति का सदस्य या उसके द्वारा अनुमेलित व्यक्ति यथास्थिति, परिषद् या समिति को लिखित रूप में सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकता है।

(५) उपधारा (४) के अधीन त्याग-पत्र देने के कारण या किसी अन्य कारण समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथास्थिति, उपधारा (२) या (३) में व्यवस्थित रीति से पुनः नियुक्ति या अनुमेलन द्वारा की जायेगी।

(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति ऐसे प्रयोजनों के लिये जो, विनियमों द्वारा नियत किये जायं, तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझे, उपसमितियाँ संघटित कर सकती है।

(७) जब कभी परिषद् या सम्बद्ध समिति की यह राय हो कि उपधारा (३) के अधीन अनुमेलित व्यक्ति को बनाये रखना लोकहित में नहीं है, तो वह उसके अनुमेलन की अवधि को समाप्त कर सकती है।

परिषद् द्वारा समितियों को अभिदेश

१९—परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग, कर्त्तव्यों के पालन या कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपयुक्त समिति को अभिदिष्ट कर सकती है और जब कभी इस प्रकार का अभिदेश किया जाये तो परिषद्, उस पर निर्णय लेने के पूर्व, समिति के प्रतिवेदन, सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेगी।

परिषद् के आदेशों तथा अन्य करणों का प्रमाणीकरण।

२०—(१) इन अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद् के समस्त निर्णय उसके द्वारा यथाविधि पारित संकल्प द्वारा किये जायंगे, और सभापति के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य सदस्य के, हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायेंगे।

(२) परिषद् की ओर से निष्पादित समस्त करण, परिषद् के सचिव के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायंगे।

केन्द्र अधीक्षक तथा अधीक्षक लोक सेवक होंगे

२१—(१) प्रत्येक केन्द्र अधीक्षक और प्रत्येक अधीक्षक परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा के प्रारम्भ होने के पूर्व एक मास तक और ऐसी परीक्षा समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् दो मास तक इंडियन पेनल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट समझे जायेंगे।

नियम बनाने का अधिकार

२२—(१) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा और गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है —

(क) परिषद् समितियों और उप समितियों के सदस्यों और उनमें अनुमेलित व्यक्तियों को देय यात्रा-भत्तों तथा दैनिक भत्तों की दरें और उनके भुगतान की रीति;

(ख) परिषद् के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, उनके वेतन-क्रम तथा उनकी नियुक्ति की रीति;

(ग) परिषद् सभापति, उप-सभापति और सचिव के अतिरिक्त अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य;

(घ) किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन तक रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार या अभिशून्यन (annulment) के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान-मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

विनियम बनाने का अधिकार

२३—(१) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये इसके उप बन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकती है और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेज सकती है। राज्य सरकार विनियमों का अनुमोदन या उनके परिष्कार या परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे, किन्तु, यदि कोई दिनांक निर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक से, प्रभावी होंगे।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) इस अधिनियम के अधीन संघटित समितियों तथा उप-समितियों की नियुक्ति, संघटन, अधिकार और कर्त्तव्य;

(ख) प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा प्रदान करने की रीति और शर्तें,

(ग) संस्थाओं को सम्बद्ध करने की शर्तें;

(घ) प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमों के निमित्त परीक्षाओं के लिये नियत किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ङ) वे शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में बैठ सकेंगे और प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा पाने के पात्र होंगे;

(च) परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिये शुल्क और उनकी वसूली की रीति;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र परिष्कारों (moderators), तुलनाकारों (collators), परिनिरीक्षकों (scrutinisers), सारिणीकारों (tabulators), केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों तथा अधीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य तथा उनके पारिश्रमिक की दरें;

(झ) सम्बद्धता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिये आवश्यक इमारतों, जिनके अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध भूमि भी है, सज्जा तथा उपकरण के मानदण्ड;

(ञ) सम्बद्ध संस्थाओं के कर्मचारिवर्ग की अर्हताएं, सेवा की शर्तें तथा वेतन-क्रम;

(ट) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के फल प्रकाशित करना;

(ठ) सम्बद्ध संस्था में भर्ती के लिये विद्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें;

(ड) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती;

(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो;

(ण) वे परिस्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को परिषद् की परीक्षा में बैठने या सम्बद्ध संस्था में पाठ्य-क्रम पूरा करने की अनुमति न दी जाये;

(त) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा के फल को रोकना या रद्द करना तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा को किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में रद्द करना;

(थ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन किसी संस्था की सम्बद्धता वापस ली जाये या उसे सम्बद्ध करने से इनकार किया जाये;

(द) केन्द्र का निरीक्षण करना; और

(ध) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन विनियमों द्वारा नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जा सके।

उपविधियां बनाने का अधिकार

२४—(१) परिषद् इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये उपविधियाँ बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त विधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है --

(क) परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गण-पूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद्, समिति या उपसमिति के सदस्यों को उसकी बैठक के दिनांक तथा उस बैठक में विचारणीय बातों की सूचना देना और उक्त बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना; और

(ग) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उपविधियों द्वारा नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जा सके।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा का विकास होने के फलस्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि संस्थाओं में शिक्षा का उचित स्तर और सुविधायें सुनिश्चित करने के लिये राज्य में प्राविधिक शिक्षा का समन्वित विकास किया जाय और ऐसी संस्थाओं को एक परिषद् (बोर्ड) से सम्बद्ध किया जाय जो समान स्तर के अनुसार परीक्षायें ले सके और ऐसे डिप्लोमें तथा प्रमाण-पत्र दे सके जो सम्पूर्ण देश में मान्य हो सके और उनके लिये आवास, कर्मचारियों, सज्जा, पाठ–चारिका (curricula) और पाठ्यचर्या (syllabus) के स्तर नियत किये जायं। राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित एक ज्ञाप के अधीन १९५८ में बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन (प्राविधिक शिक्षा परिषद्) स्थापित किया गया था। इस उद्देश्य से कि परिषद् (बोर्ड) वैधिक प्राधिकार के अधीन अपने निहित अधिकारों का प्रयोग कर सके, यह आवश्यक समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, अधिनियमित किया जाय, जिससे कि उक्त परिषद् (बोर्ड) (१) ऐसी संस्थाओं को जो डिप्लोमा स्तर की और कतिपय प्रमाण-पत्र पाठ्य-क्रमों (certificate courses) की शिक्षा देते हों, सम्बद्ध कर सके, (२) अपने से सम्बद्ध प्राविधिक संस्थाओं में शिक्षा तथा सुविधाओं के उचित स्तर सुनिश्चित कर सके, और (३) उचित स्तरों पर परीक्षायें ले सके और डिप्लोमें, प्रमाण-पत्र दे सके, तथा (४) राज्य सरकार को प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास पर सलाह दे सके।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण का ज्ञापन-पत्र

विधेयक के खण्ड ११ में परिषद् के कर्मचारियों के लिये व्यवस्था की गई है, जो सरकारी कर्मचारी होंगे। खंड १२ के उपखण्ड (७) में परिषद् को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने सम्बद्ध संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा का संचालन करे और खंड १२ के उपखण्ड (२) (क) में परिषद्, उसकी समितियों और उप-समितियों के सदस्यों को, जिसके अन्तर्गत उनमें अनुमोलित व्यक्ति भी हैं, यात्रा-भत्तों तथा दैनिक-भत्तों का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावित विधेयक, जब यह अधिनियमित हो जाय, के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित कर्मचारी पहले से ही विद्यमान हैं। कर्मचारियों तथा व्यय की अन्य सम्बद्ध मदों के लिये कुल २,३१,१०० रुपये ("आयोजना से भिन्न" के अन्तर्गत २,०७,७०० रुपये और "आयोजनागत" के अन्तर्गत २३,४०० रुपये, जिसमें २,३०० अनावर्तक सम्मिलित है) की व्यवस्था की स्वीकृति विधान मण्डल द्वारा वर्ष १९६२-६३ के बजट में पहले से ही दी जा चुकी है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक, १९६२ के उन उपबन्धों के सम्बन्ध मे ज्ञाप जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनाएं अन्तर्ग्रस्त हैं

विधेयक के खण्ड २२ के उप-खण्ड (१) द्वारा राज्य सरकार को, विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर, उसके प्रयोजनों को सामान्य रूप से कार्यान्वित करने और विशेषत: उसके खंड(२) में वर्णित विषयों के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तदनुसार ये नियम, राज्य विधान मन्डल द्वारा अधिनियमित विधेयक के उपबन्धों को यथोचित रूप से ध्यान में रखकर बनाये जायंगे। उक्त खण्ड २२ के उपखंड (३) में ऐसी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि राज्य विधान मण्डल को इन नियमों पर विचार करने और उनमें ऐसे परिष्कार करने का अवसर मिल सके जो आवश्यक हों।

नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में होगा--

क्रम सं०	खण्ड	उपखण्ड	विधायन अधिकार
१	२२	(२)	राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह निम्न-लिखित के लिये नियम बनाये-- (क) परिषद्, समितियों और उप-समितियों के सदस्यों और उनमें अनुमेलित व्यक्तियों को देय यात्रा भत्तों तथा दैनिक-भत्तों की दरें और उनके भुगतान की रीति, (ख) परिषद् के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, उनके वेतन-क्रम तथा उनकी नियुक्ति की रीति, (ग) परिषद्, सभापति, उप-सभापति और सचिव के अतिरिक्त अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य; और (घ) किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के लिये अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया।
२	२३	(१)	राज्य सरकार को, सामान्य रूप में ऐसे विनियमों का, जो परिषद् द्वारा बनाये जायं, अनुमोदन करने, उनमें परिष्कार या परिवर्तन करने का प्राधि-कार देता है।

विधायन अधिकार के प्रतिनिधान की ये समस्त प्रस्थापनायें सामान्य प्रकार की हैं।

चन्द्रभानु गुप्त
मुख्य मन्त्री।

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३४ पर)

मूल प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार बतायेगी कि यह योजना लागू हो जाने के बाद इन निकायों में काम करने वाले कम्पाउण्डरों का वेतन-क्रम क्या हो जायगा ?	इसमें दो वेतन-क्रम हैं—४५–१०० और ७५–१२० ।

विधान सभा

पी० एस० यू०—पी० ए० पी० १९४ एल० ए०—१९६२–८४५ + (प्रो०)